



**MATS**  
**UNIVERSITY**



**MATS CENTRE FOR OPEN & DISTANCE EDUCATION**

**मैट्स विश्वविद्यालय**

मैट्स मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा केंद्र

**छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति**

बी.ए द्वितीय सेमेस्टर



**SELF LEARNING MATERIAL**

---

#### COURSE DEVELOPMENT EXPERT COMMITTEE

---

- 1- Prof.(Dr.) Reshma Ansari, HOD Hindi Department , MATS University Raipur Chhattisgarh
- 2- Dr. Sudhir Sharma , Subject Expert ,HOD Hindi Department, Kalyan College, Bhilai
- 3- Dr. Kamlesh Gogia Associate Professor, MATS University ,Raipur, Chhattisgarh
- 4- Dr. Sunita Shashikant Tiwari Associate Professor, MATS University Raipur Chhattisgarh
- 5- Dr. Rajesh Kumar Dubey , Subject Expert, Principal , Shahid Rajeev Pandey Government College ,Bhatagaon , Raipur ,Chhattisgarh

#### COURSE COORDINATOR

---

Prof.(Dr.) Reshma Ansari, HOD Hindi Department , MATS University Raipur Chhattisgarh

---

#### COURSE /BLOCK PREPARATION

---

(Dr.) Manorama Chandra, Asst. Prof. Hindi Department , MATS University Raipur Chhattisgarh

---

March, 2025

@MATS Centre for Distance and Online Education, MATS University, Village- Gullu, Aarang, Raipur-  
(Chhattisgarh)

All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from MATS University, Village- Gullu, Aarang, Raipur-(Chhattisgarh)

Printed & Published on behalf of MATS University, Village-Gullu, Aarang, Raipur by Mr. Meghanadhu Katabathuni, Facilities & Operations, MATS University, Raipur (C.G.)

---

Disclaimer-Publisher of this printing material is not responsible for any error or dispute from contents of this course material, this is completely depends on AUTHOR'S MANUSCRIPT.

Printed at: The Digital Press, Krishna Complex, Raipur-492001(Chhattisgarh)

## अनुक्रमणिका

| माड्यूल     | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| माड्यूल – 1 | <p><b>छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ</b></p> <p>इकाई – 1 <span style="float: right;">1–5</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● परिभाषा</li> <li>● विशेषताएँ</li> </ul> <p>इकाई – 2 <span style="float: right;">6– 15</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● प्रमुख जनजातियों के नाम</li> <li>● कला और संस्कृति</li> </ul> <p>इकाई – 3 <span style="float: right;">16 – 24</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची</li> <li>● जनजातीय विकास एवं सरकारी योजनाएँ</li> </ul>                                                                               |
| माड्यूल – 2 | <p><b>जनजातीय विकास</b></p> <p>इकाई – 4 <span style="float: right;">25– 28</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● जनजातीय विकास के मुख्य पहलू</li> <li>● जनजातीय विकास में चुनौतियाँ</li> </ul> <p>इकाई – 5 <span style="float: right;">29– 35</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● जनजातीय विकास के लिए नीतियाँ और कार्यक्रम</li> <li>● छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास</li> </ul> <p>इकाई – 6 <span style="float: right;">36– 41</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● औद्योगिकीकरण और शहरीकरण का जनजातीय समाज पर प्रभाव</li> <li>● जनजातीय समाज के संरक्षण और संवर्धन की योजनाएँ</li> </ul> |
| माड्यूल – 3 | <p><b>जनजातीय सामाजिक संगठन</b></p> <p>इकाई – 7 <span style="float: right;">42– 45</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● जनजातीय सामाजिक संगठन का महत्व</li> </ul> <p>इकाई – 8 <span style="float: right;">46– 55</span></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● जनजातीय समाज की संरचना और पारिवारिक व्यवस्था</li> <li>● छत्तीसगढ़ में जनजातीय महिलाओं की स्थिति और उनकी भूमिका</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                        |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>इकाई – 9 56– 61</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>जनजातियों में अंतर्जातीय और अंतरजातीय संबंध</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| माड्यूल – 4 | <p><b>छत्तीसगढ़ के आभूषण ,वाद्ययंत्र ,व्यंजन</b></p> <p>इकाई – 10 62 – 65</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>आभूषण का सामान्य परिचय</li> <li>प्रमुख जनजातीय आभूषण</li> </ul> <p>इकाई – 11 66– 72</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातीय वाद्ययंत्र</li> </ul> <p>इकाई – 12 73– 79</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>छत्तीसगढ़ का पारंपरिक भोजन और व्यंजन</li> <li>त्योहार से जुड़े विशेष व्यंजन</li> </ul> |
| माड्यूल – 5 | <p><b>छत्तीसगढ़ की लोककला एवं संस्कृति</b></p> <p>इकाई – 13 80–87</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>छत्तीसगढ़ का जनजातीय हस्तशिल्प एक विस्तृत परिचय</li> <li>छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा</li> </ul> <p>इकाई – 14 88– 92</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>छत्तीसगढ़ के लोकगीत ,कहानियाँ और मौखिक परंपराएँ</li> <li>आधुनिक समय में जनजातीय संस्कृति पर पड़ता प्रभाव</li> </ul>                                                           |

**Acknowledgement**

The Material (Pictures and images) we have used is purely for educational purpose. Every effort has been made to trace the copyright holders of material reproduced in this book. Sould any infringement have occurred, the publishers and editors apologize and will be pleased to make the necessary corrections in future of this book.

## छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ

छत्तीसगढ़ में, जनजाति का अर्थ है एक ऐसा समुदाय जो विशिष्ट भू-भाग पर रहता है, एक समान संस्कृति, भाषा और रीति-रिवाजों को साझा करता है, और जो मुख्य समाज से अलग, अक्सर पहाड़ी या जंगली क्षेत्रों में रहता है।

विस्तार से:

परिभाषा:

जनजाति एक ऐसे सामाजिक समूह को कहा जाता है जो अपने विशिष्ट भू-भाग, संस्कृति, भाषा और रीति-रिवाजों के आधार पर एक साथ जुड़ा होता है।

स्थान:

छत्तीसगढ़ में, जनजातियाँ अक्सर पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहती हैं, और वे मुख्य समाज से अलग होती हैं।

प्रमुख जनजातियाँ:

छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा, पहाड़ी कोरवा, अबूझमाड़िया, मुरिया, हल्बा, बिरहोर आदि जनजातियाँ प्रमुख हैं।

संस्कृति:

जनजातियों की अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति-रिवाज और परंपराएं होती हैं।

आर्थिक गतिविधियाँ:

जनजातियाँ अपनी आजीविका के लिए शिकार, वनोपज संग्रहण, कृषि आदि पर निर्भर होती हैं।

विशेषताएँ:

जनजातियों की कुछ प्रमुख विशेषताएँ हैं:

साझा नाम: जनजातियों के पास एक साझा नाम होता है जो उनकी पहचान को दर्शाता है।

जनजातीय संप्रभुता: जनजातियों के पास अपनी स्वायत्तता होती है और वे अपने मामलों को स्वयं ही नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं।

पारंपरिक समाज: जनजातियाँ पारंपरिक समाज में रहती हैं और वे आधुनिक समाज से अलग होती हैं।

सामुदायिक जीवन: जनजातियाँ सामुदायिक जीवन पर जोर देती हैं और वे एक-दूसरे की मदद करती हैं।

उदाहरण:

गोंड: छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है, जो बस्तर क्षेत्र में रहती है।

## Notes

छत्तीसगढ़ की जनजातिय  
संस्कृति

बैगा: बैगा जनजाति भी छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है।

पहाड़ी कोरवा: पहाड़ी कोरवा जनजाति भी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में रहती है।

अबूझमाड़िया: अबूझमाड़िया जनजाति अबूझमाड़ क्षेत्र में रहती है।

भारत में कई जनजातियाँ हैं, जिनमें प्रमुख जनजातियों में गोंड, भील, संथाल, मुंडा, खासी, गारो, अंगामी, भूटिया, चेंचू, कोडाबा और ग्रेट अंडमानी शामिल हैं।

प्रमुख जनजातियों के नाम:

गोंड:

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है।

भील:

मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है।

संथाल:

झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा में पाई जाती है।

मुंडा:

झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है।

खासी:

मेघालय में पाई जाती है।

गारो:

मेघालय में पाई जाती है।

अंगामी:

नागालैंड में पाई जाती है।

भूटिया:

सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है।

चेंचू:

आंध्र प्रदेश में पाई जाती है।

कोडाबा:

तमिलनाडु में पाई जाती है।

ग्रेट अंडमानी:

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है।

अन्य जनजातियाँ:

कोल, उरांव, बिरहोर, पारधी, असुर, भिलाला, हल्बा, खड़िया, बोडो, नायक, सहरिया, भूमिज, हो.

अरुणाचल प्रदेश की जनजातियाँ:

आपतानी, मिश्मी, डफला, मिरी, आका, सिंफो, खामती आदि.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ:

शोम्पेन, सेंटनली आदि.

झारखंड की जनजातियाँ:

बिरहोर, भूमिज, गोंड, खरिया, मुंडा, संथाल, सावर, बेदिया, हो, खरवार, लोहरा, महली, परहैया, संथाल, कोल, बंजारा.

हिमाचल प्रदेश की जनजातियाँ:

गद्दी, गुज्जर, खस, लांबा, लाहौला, पंगवाला, स्वांगला, बीटा, बेदा भोट, बोध.

मेघालय की जनजातियाँ:

गारो.

मध्य प्रदेश की जनजातियाँ:

गोंड, सावरा परजा, कोया, पनियान, चेंचू, कदार, मालसर तथा मलरेयान.

बिहार की जनजातियाँ:

गोंड, बिरजिया, असुर, सावर, परहैया, चैरो, बिरहोर, संथाल, बैगा.

छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ:

नागासिया, बियार, खोंड, अगरिया, भट्टरा, मवासी, भैना.

गोवा की जनजातियाँ:

वर्ली, दूबिया, सिद्दी, ढोडिया, नायकदा.

थारु जनजाति:

थारु अपने को मूलतः सिसोदिया वंशीय राजपूत कहते हैं.

बुक्सा जनजाति:

चार सामान्य वर्गों में बटी है—ब्राह्मण, क्षत्रिय, अहीर और नाई.

माहीगिरी जनजाति:

इस जनजाति लोग मुख्यतः बिजनौर जिले में निवास करते

राज्य शासन, एतद्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों की सूची के अनुक्रमांक 12 पर अंकित जातियों ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवरधमल्लाह, नावड़ा

### छत्तीसगढ़ की जनजातिय संस्कृति

तुरहा, केवट (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम) कोर, प्रितिया (वृत्तिया) सिंगरहा, जालारी (जालारनलु बस्तर जिले में) सोंधिया के साथ केवट के आगे कॅवट शब्द स्थापित करता है .

प्रत्येक जनजाति की अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है। इस संस्कृति में व्यवहार के कुछ विशेष नियमों, प्रथाओं, परम्पराओं, धार्मिक, विश्वासों और जादुई क्रियाओं का समावेश होता है। जनजाति के स्थानीय अथवा क्षेत्रीय मुखिया और दूसरे प्रभावपूर्ण लोगों का कार्य जनजाति के लोगों को अपनी सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित कराना तथा जनजातीय एकता को सुदृढ़ बनाये रखना होता है।

#### 1. शिक्षा का अभाव

जनजाति समूह में शिक्षा का अभाव बहुत ही अधिक होता है। भारत सरकार ने शिक्षा के अभाव को दूर करने के लिए अनेक दम भी उठाए हैं।

#### 2. अंतर्विवाह

जनजातियों में अंतर्विवाह का परिचय से एक जनजाति के लोग दूसरी जनजाति में विवाह नहीं करते हैं।

#### 3. आत्म-निर्भरता

जनजाति समूह में आत्म-निर्भरता पाई जाती है भौतिकता के दौर में जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने में जनजाति समूह स्वयं सक्षम होते हैं।

#### 4. विस्तृत आकार

एक जनजाति कई परिवारों का संकलन है इसमें वंश समूह, गोत्र और गोत्र के संयुक्त रूप भ्रातृदल होते हैं। इस तरह जनजाति संगठन एक विस्तृत आकार ले लेता है।

#### 5. सामान्य निषेध

जनजाति जीवन में रहन-सहन के तरीकों विश्वास तरीकों एवं संबंध निर्वाह के तरीकों में कुछ निश्चित निषेधों का पालन किया जाता है। निषेधाज्ञाओं का पालन जनजातीय संस्कृति की महत्वपूर्ण विशेषता है।

#### 6. जनजाति परिवारों का समूह है

एक जनजाति में समान लक्षण वाले परिवारों का समूह होता है। दरअसल कुछ परिवारों से मिलकर एक नातेदारी समूह का निर्माण होता है और इसी तरह नातेदारी समूहों के अंतःसंबंधों के आधार पर जनजाति समूह विकसित हो जाता है।

#### 7. स्वतंत्र राजनीतिक संगठन

जनजाति की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसके द्वारा एक स्वतंत्र राजनीतिक इकाई के रूप में काम करना है। प्रत्येक जनजाति में मुखिया और वयोवृद्ध लोगों की पंचायत द्वारा व्यवहार के नियम निर्धारित करके व्यक्तियों के आचरणों पर नियंत्रण रखा जाता है। इन नियमों का प्रभाव सरकार के कानूनों की ही तरह होता है। व्यक्ति को मिलने वाले दण्ड अथवा पुरस्कार का निर्धारण भी जनजाति की वृद्धाजन परिषद् के द्वारा होता है।

राल्फ पिडिंग्टन ने जनजातीय समाज की प्रकृति को निम्नलिखित पाँच विशेषताओं के आधार पर स्पष्ट किया है—

1. जनजातीय समाज को एक निरक्षर समाज कहा जाता है, क्योंकि इनमें साधारणतया लेखन या लिपि का अभाव होता है।

2. जनजातीय समाज का एक सरल समाज है। विभिन्न जनजातियों का निर्माण अनेक सामाजिक समूहों, जैसे— परिवार, गोत्र तथा अर्द्धांश के आधार पर होता है जिसके फलस्वरूप सदस्यों के बीच बहुत घनिष्ठ एवं अनौपचारिक संबंध पाये जाते हैं।

3. एक जनजाति में विभिन्न व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों का निर्धारण नातेदारी अथवा क्षेत्र के आधार पर होता है।

4. जनजाति में प्रौद्योगिक विकास का स्तर निम्न होता है।

5. मौलिक रूप से जनजातियों में विशेषीकरण और श्रम—विभाजन का अभाव देखने को मिलता है। अधिकांश सामाजिक और आर्थिक क्रियाएं सामूहिकता के आधार पर की जाती हैं।

छत्तीसगढ़ की जनजातियों की कई खासियतें हैं, जैसे कि कला, संस्कृति, बोली, और सामाजिक व्यवस्था।

कला और संस्कृति

मुरिया जनजाति के ककसार, मांदरी, और गेंड़ी नृत्य अपनी कलात्मक विन्यास और कोमल संरचना के लिए प्रसिद्ध हैं।

गोंड जनजाति के मुख्य देवता 'दूल्हा देव' हैं।

कमार जनजाति के लोग बांस से टोकरियां, कुर्सी, टेबल, घर, और गुलदस्ता वगैरह बनाते हैं।

बोली

गोंड जनजाति की बोली को गोंडी या कोया कहते हैं।

उरांव जनजाति की बोली को कुडुख कहते हैं।

कोध जनजाति की बोली को कुई कहते हैं।

दोरला जनजाति की बोली को दोरली कहते हैं।

परजा जनजाति की बोली को परजी कहते हैं।

भतरा जनजाति की बोली को भतरी कहते हैं।

बैगा जनजाति की बोली को बैगानी कहते हैं।

कमार जनजाति की बोली को कमारी कहते हैं।

हल्बा जनजाति की बोली को हल्बी कहते हैं।

सामाजिक व्यवस्था

कमार जनजाति एक बहिर्विवाही समुदाय है।

कमार जनजाति पितृवंशिय, पितृसत्तात्मक, और पितृस्थानिक समुदाय है।

छत्तीसगढ़ की जनजातिय  
संस्कृति

कमार परिवार में पारिवारिक निर्णयों और आर्थिक क्षेत्र में महिलाएं आजाद हैं.

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियां की सूची

1— अगरिया

2— आन्ध

3— बैगा

4— भैना

5— भारिआ, भूमिआ, भुईहर, भूमियां, पालिहा, पांडो, भूमिआ, भारिया

6— भतरा

7— भील, भिलाला, बरेला, पटलिया

8— भील मीना

9— भुंजिया

10— बिआर, बीआर

11— बिंझवार

12— बिरहुल, बिरहोर

13— डमोर, डामरिया

14— धनवार

15— गदाबा, गदबा

16— गोंड, अरख, अगरिया, असुर, बड़ी मारिया, बड़ा मारिया, भटोला, भीमा, भुता, कोइलाभुता, कोइलाभुती, भार, बिसोनहार्न, मारिया, छोटा मारिया, दंडामी मारिया, धुरू, ६  
पुरवा, धोबा, धुलिया, दोरला, गायकी, गट्ट गट्टी, गैटा, गोड गोवारी, हिल मारिया, कंडरा,  
कलंगा, खटोला, कोइतर, कोया, खिरवार, खिरवारा, कुचा, मारिया, कुचाकी, मारिया,  
माडिया, मारिया माना, मन्नेवार, मोगिया, मोध्या, मुडिया, मुरिया, नगारची, नागवंशी,  
ओझा, राजगोंड, सोन्झारी, झरेका, थाटिया, थोटया, बड़े माडिया, वडे मारिया, दरोई

17— हलबा, हलबी

18— कुमार

19— कारकू

20— कवर, कंवर, कौर, चेरवा, राठिया, तंवर, छत्री

21— खैरवार, कोंदर

22— खरिया

23— कोंध, खोंड, कांध

24— कोल

25— कोलम

26— कोरकू, बोचपी, मवासी, निहाल, नाहुल, बांधी, वोडेंया

27— कोरवा, कोडाकू

28— माझी

29— मझवार

30— मवासी

31— मुंडा

32— नगेसिया, नगासिया

33— उरांव, धानका, धनगड़

34— पाव

35— पारधान, पथारी, सरोती

36— पारधी, बहेलिया बहेल्लिया, चिता पारधी, लंगोली पारधी, टाकनकर, टाकिया, फांस पारधी, शिकारी

(1) बस्तर, दंतेवाड़ा, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा, तथा कोरिया, जिले में

(2) कोरबा, जिले के कटघोरा, पाली, करतला और कोरबा तहसील में

(3) बिलासपुर जिले के बिलासपुर, पेंड्रा, कोटा और तखतपुर तहसील में

(4) दुर्ग जिले की दुर्ग, पाटन, बालोद, गुंडरदेही, गुरुर, डौंडी लोहार, और धमधा तहसील में

(5) राजनांदगांव जिले के चौकी, मानपुर और मोहला, राजस्व निरीक्षकों के क्षेत्रों में

(6) महासमुन्द जिले महासमुन्द, सराईपाली बसना तहसील में

(7) रायपुर जिले के बिन्द्रानवागढ़, राजिम और देवभोग तहसील में

(8) धमतरी जिले के धमतरी, कुरुद ओर सिहावा तहसील में

37— परजा

38— सहारिया, सहरिया, सेहरिया, सहरिया, सोसिया, सोर

39— साओंता, सौंता

40— सौर

41— सावर, सवरा

42— सौर

## छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ

छत्तीसगढ़ राज्य भारत के मध्य में स्थित है और यहाँ की जनजातियाँ इसकी सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यह राज्य अपनी समृद्ध जनजातीय परंपराओं, रीति-रिवाजों और लोक कलाओं के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की लगभग 32: जनसंख्या अनुसूचित जनजाति (ज) वर्ग में आती है।

## जनजाति की परिभाषा

जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, संस्कृति, रीति-रिवाज, परंपराएँ और पारंपरिक पेशे होते हैं। ये समुदाय आमतौर पर जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम इलाकों में निवास करते हैं।

## छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ

छत्तीसगढ़ में कुल 42 से अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख जनजातियाँ निम्नलिखित हैं:

1. गोंड दृ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति, जो बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर और सरगुजा जिलों में पाई जाती है।
2. बैगा दृ यह विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (चट्जळ) में शामिल है और मुख्य रूप से कबीरधाम, बिलासपुर और मुंगेली जिलों में रहती है।
3. हल्बा दृ यह जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर, रायपुर और महासमुंद जिलों में पाई जाती है।
4. मुरिया दृ गोंड जनजाति की उपशाखा है और मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में निवास करती है।
5. अबूझमाड़िया दृ अबूझमाड़ क्षेत्र (नारायणपुर जिला) में रहने वाली यह जनजाति अत्यंत पिछड़ी और पारंपरिक जीवनशैली अपनाए हुए है।
6. पहाड़ी कोरवा दृ यह भी चट्जळ में शामिल है और जशपुर, बलरामपुर तथा सरगुजा जिलों में रहती है।
7. बिरहोर दृ यह एक घुमंतू जनजाति है और सरगुजा, बलरामपुर व कोरबा जिलों में निवास करती है।
8. कुमार दृ यह जनजाति गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद जिलों में अधिक पाई जाती है।

## जनजातियों की सांस्कृतिक विशेषताएँ

छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ अपनी अनूठी संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली के लिए प्रसिद्ध हैं।

## 1. भाषा एवं बोली

जनजातीय समुदायों द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएँ और बोलियाँ:

गोंडी दृ गोंड जनजाति द्वारा बोली जाती है।

हल्बी दृ हल्बा और बस्तर क्षेत्र की अन्य जनजातियाँ इस भाषा का उपयोग करती हैं।

कुड़ुख दृ उरांव जनजाति की प्रमुख भाषा है।

बैगानी दृ बैगा जनजाति द्वारा बोली जाती है।

## 2. पारंपरिक वेशभूषा

पुरुष आमतौर पर धोती पहनते हैं, जबकि महिलाएँ साड़ी पहनती हैं, जिसे पारंपरिक शैली में पहना जाता है।

गहनों का विशेष महत्व होता है, खासकर चाँदी और काँसे से बने आभूषण लोकप्रिय हैं।

## 3. प्रमुख नृत्य और लोकगीत

गौर नृत्य दृ यह गोंड जनजाति का प्रसिद्ध नृत्य है।

पंथी नृत्य दृ सतनाम पंथ के अनुयायी इसे करते हैं।

कर्मा नृत्य दृ यह सरगुजा और जशपुर क्षेत्र में प्रचलित है।

सुआ नृत्य दृ महिलाएँ विशेष रूप से त्योहारों के दौरान इस नृत्य को करती हैं।

## 4. धार्मिक आस्था एवं पूजा पद्धति

जनजातियाँ प्रकृति पूजक होती हैं और जंगल, पहाड़, नदी, सूर्य, चंद्रमा आदि को देवता मानती हैं।

प्रमुख देवताओं में बुढ़ादेव, ठाकुरदेव, अंगादेव, धरमे आदि शामिल हैं।

## आर्थिक जीवन एवं रोजगार

जनजातीय समुदाय मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है।

कृषि दृ झूम खेती (स्थानांतरण कृषि) और पारंपरिक खेती करते हैं।

वनोपज संग्रहण दृ महुआ, तेंदू पत्ता, साल बीज, शहद और गोंद एकत्र करते हैं।

शिकार एवं मछली पकड़ना दृ कुछ जनजातियाँ अपनी आजीविका के लिए इन पर निर्भर हैं।

बाँस एवं लकड़ी के हस्तशिल्प दृ जनजातीय कारीगर सुंदर कला-कृतियाँ बनाते हैं, जो उनकी आय का साधन भी है।

## विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (चट्जळे)

भारत सरकार द्वारा कुछ जनजातियों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (चट्जळे) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। छत्तीसगढ़ में 5 चट्जळे हैं:

1. अबूझमाड़िया
2. बैगा
3. कमार

### छत्तीसगढ़ की जनजातिय संस्कृति

4. बिरहोर

5. पहाड़ी कोरवा

जनजातीय विकास एवं सरकारी योजनाएँ

छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार जनजातियों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ संचालित कर रही हैं, जैसे:

1. वन अधिकार अधिनियम, 2006 दृ इससे जनजातियों को वन भूमि पर अधिकार मिला।
2. प्रधानमंत्री वन धन योजना दृ वन उपज को बाजार में बेचने के लिए सहायता दी जाती है।
3. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना दृ जनजातीय छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।
4. पेसा अधिनियम (चै।। बज, 1996) दृ ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार दिए गए।
5. सुकमा, बस्तर एवं अन्य क्षेत्रों में विशेष पोषण योजना दृ कुपोषण दूर करने के लिए लागू।
6. छत्तीसगढ़ जनजातीय उपयोजना (जैज) दृ जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए बजट आवंटन।

छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ राज्य की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनकी संस्कृति, रीति-रिवाजों और जीवनशैली को संरक्षित करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं। उनका सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी ढाँचे में सुधार आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ न केवल राज्य की पहचान हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति के अद्भुत प्रतीक भी हैं। उनके संरक्षण और विकास से ही संपूर्ण समाज की प्रगति संभव है।

भारत की कुछ और छोटी जनजातियाँ:

राजी जनजाति, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में पाई जाती है। यह जनजाति शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई है।

बिरहोर जनजाति, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, और ओडिशा में पाई जाती है। यह जनजाति खानाबदोश जीवन जीती है।

भारत की कुछ प्रमुख जनजातियाँ:

संथाल जनजाति, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है।

बुक्सा जनजाति, उत्तराखंड के नैनीताल, देहरादून, और पौड़ी गढ़वाल जिलों में पाई जाती है।

कथोड़ी जनजाति, राजस्थान के उदयपुर जिले में पाई जाती है।

छत्तीसगढ़ के मूल निवासी कलचुरी वंश के चेदीराजा थे। इस क्षेत्र का नाम चेदिदेश हुआ करता था। छत्तीसगढ़ में कई जातियाँ और जनजातियाँ हैं। इनमें से गोंड, हल्बा, कंवर, मुरिया, माडिया, उराँव, कमार, भुंजिया, भारिया, बरई, सतनामी, और बियार, मौवार जैसी प्रमुख जातियाँ हैं।

छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ:

गोंड, उराँव, कंवर, बिंझवार, बैगा, भतरा, कमार, हलबा, सवरा, नगेशिया।

गोंड जनजाति:

गोंड जनजाति दक्षिण क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है।

जनसंख्या के हिसाब से यह सबसे बड़ा आदिवासी समूह है।

गोंड जनजाति के लोग छत्तीसगढ़ के पूरे अंचल में फैले हुए हैं।

गोंडों ने बेहतरीन सौंदर्यपरक संस्कृति विकसित की है।

नृत्य और गायन उनका प्रमुख मनोरंजन है।

बस्तर क्षेत्र की गोंड जनजातियाँ अपने सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण समझी जाती हैं।

छत्तीसगढ़ में निवास करने वाली जनजातियाँ और उनकी जनसंख्या

#### 1. परिचय एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

छत्तीसगढ़, जिसे 'जनजातीय हृदय स्थल' भी कहा जाता है, भारत के उन राज्यों में से एक है जहाँ बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय निवास करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या का लगभग 30: हिस्सा अनुसूचित जनजातियों (ज) का है। इन जनजातियों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और यह समुदाय हजारों वर्षों से इस क्षेत्र में निवास करते आ रहे हैं। जंगलों और पहाड़ों में बसे इन समुदायों की अपनी अनूठी सांस्कृतिक पहचान, रीति-रिवाज, भाषाएँ, और पारंपरिक आर्थिक गतिविधियाँ हैं।

छत्तीसगढ़ का जनजातीय इतिहास महाकाव्यों, किंवदंतियों और पुरातात्विक साक्ष्यों में देखा जा सकता है। प्राचीन काल से यहाँ गोंड, बैगा, हल्बा, उराँव जैसी कई जनजातियाँ निवास कर रही हैं। इन जनजातियों का प्रमुख कार्य कृषि, पशुपालन, वनोपज संग्रह और शिकार था। आधुनिक युग में भी ये जनजातियाँ अपनी पारंपरिक जीवनशैली से जुड़ी हुई हैं, हालाँकि बाहरी प्रभावों के कारण कुछ बदलाव भी आए हैं।

#### 2. प्रमुख जनजातियाँ और उनका जनसंख्या वितरण

छत्तीसगढ़ में 42 से अधिक मान्यता प्राप्त जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित हैं:

(क) गोंड जनजाति

1. जनसंख्या: लगभग 50 लाख
2. वितरण: बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, रायपुर, महासमुंद

## Notes

### छत्तीसगढ़ की जनजातिय संस्कृति

#### 3. विशेषताएँ:

1. गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातियों में से एक है।
2. यह समुदाय कृषि और वनोपज संग्रह में संलग्न रहता है।
3. इनकी भाषा गोंडी है और यह प्रकृति पूजक होते हैं।
4. गोंड समाज में पंचायत प्रणाली प्रभावी होती है और सामाजिक संगठन मजबूत होता है।
5. लोककथाएँ, लोकगीत और चित्रकारी गोंड समाज की विशेषताएँ हैं।

#### (ख) बैगा जनजाति

1. जनसंख्या: लगभग 1.5 लाख
2. वितरण: कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली
3. विशेषताएँ:
  1. यह एक विशेष पिछड़ी जनजाति (चटज्ज) के रूप में वर्गीकृत है।
  2. बैगा समुदाय झूम खेती, वन्य उपज संग्रह और शिकार पर निर्भर रहता है।
  3. इनकी चिकित्सा प्रणाली जड़ी-बूटियों और परंपरागत उपचारों पर आधारित होती है।
  4. बैगा लोग भूमि को माता के रूप में मानते हैं और हल चलाना अपशकुन मानते हैं।

#### (ग) हल्बा जनजाति

1. जनसंख्या: लगभग 2 लाख
2. वितरण: बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव
3. विशेषताएँ:
  1. यह मुख्य रूप से कृषि कार्य में संलग्न हैं।
  2. हल्बा समुदाय हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करते हैं।
  3. यह समुदाय ऐतिहासिक रूप से योद्धा जाति के रूप में जाना जाता था।

#### (घ) उरांव जनजाति

1. जनसंख्या: लगभग 3 लाख
2. वितरण: जशपुर, रायगढ़, सरगुजा
3. विशेषताएँ:
  1. उरांव जनजाति मुख्य रूप से धान की खेती करती है।
  2. यह समुदाय ईसाई धर्म को भी मानता है।

3. इनके विवाह और उत्सवों में विशेष प्रकार के नृत्य और संगीत का आयोजन किया जाता है।

(ड) कंवर जनजाति

1. जनसंख्या: लगभग 2 लाख

2. वितरण: महासमुंद, जशपुर, रायगढ़

3. विशेषताएँ:

1. यह समुदाय मछली पकड़ने और कृषि कार्य में संलग्न रहता है।

2. सामाजिक जीवन में गोदुल प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

3. पारंपरिक लोकनृत्य और गीत इनके सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न अंग हैं।

3. सामाजिक जीवन, रहन-सहन और खान-पान

(क) सामाजिक संगठन

1. जनजातियों की सामाजिक संरचना कबीलाई व्यवस्था पर आधारित होती है।

2. गाँवों में पंचायती व्यवस्था होती है, जिसमें मुखिया या मांझी निर्णय लेते हैं।

3. शादी-विवाह के नियम सख्त होते हैं और समुदाय के भीतर ही विवाह किए जाते हैं।

(ख) वास्तुकला और घरों की संरचना

1. जनजातीय घर बाँस, लकड़ी और मिट्टी से बनाए जाते हैं।

2. छत्तीसगढ़ के बैगा और गोंड समुदाय घरों को पारंपरिक रंगों और चित्रों से सजाते हैं।

3. घरों के निर्माण में पर्यावरण-अनुकूल सामग्रियों का उपयोग किया जाता है।

(ग) खान-पान और कृषि

1. मुख्य खाद्य पदार्थ: महुआ, कोदो-कुटकी, बाजरा, चावल, जंगली कंद-मूल

2. पेय पदार्थ: सल्फी, ताड़ी

3. खाद्य पदार्थों में पोषण का ध्यान रखा जाता है और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है।

4. शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक सहभागिता

(क) शिक्षा

1. सरकारी योजनाओं जैसे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (मंडै) के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है।

2. जनजातीय बच्चों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएँ उपलब्ध हैं।

(ख) स्वास्थ्य व्यवस्था

छत्तीसगढ़ की जनजातिय  
संस्कृति

स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सीमित होने के कारण जनजातीय लोग पारंपरिक जड़ी-बूटी चिकित्सा पद्धति पर निर्भर रहते हैं।

सरकार द्वारा स्वास्थ्य केंद्र और आयुर्वेदिक चिकित्सा सुविधाएँ बढ़ाई जा रही हैं।

(ग) राजनीतिक सहभागिता

कई जनजातीय नेता राज्य सरकार और संसद में निर्वाचित होते हैं।

छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजातियों के लिए 29: आरक्षण दिया गया है।

ग्राम सभा और पंचायत प्रणाली में जनजातीय भागीदारी बढ़ रही है।

5. आधुनिक चुनौतियाँ और जनजातीय संस्कृति का भविष्य

(क) चुनौतियाँ

औद्योगीकरण और शहरीकरण से भूमि अधिग्रहण की समस्या।

जंगलों से विस्थापन और आजीविका संकट।

पारंपरिक जीवनशैली पर बाहरी प्रभावों का खतरा।

(ख) संरक्षण और संवर्धन

सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास योजनाएँ।

जनजातीय सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना।

जनजातीय भाषा, नृत्य, संगीत और चित्रकला को बढ़ावा देने के प्रयास।

(ग) छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ राज्य की सांस्कृतिक धरोहर की महत्वपूर्ण धारा हैं। उनके जीवन में कई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन आ रहे हैं, लेकिन उनकी अनूठी संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने की आवश्यकता है।

छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियाँ: विस्तृत अध्ययन

1. गोंड जनजाति

परिचय

गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातियों में से एक है। यह जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, महासमुंद और सरगुजा जिलों में बड़ी संख्या में निवास करती है। गोंड जनजाति का नाम 'कोंड' शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ पहाड़ी क्षेत्र होता है।

संस्कृति और परंपराएँ

गोंड समाज प्रकृति पूजक होता है और इनके प्रमुख देवता फुलझड़िया देव, बड़ा देव और ठाकुर देव हैं।

इनका पारंपरिक नृत्य 'कर्मा', 'रैला' और 'सैला' प्रसिद्ध है।

गोंड चित्रकला विश्वभर में प्रसिद्ध है।

यह जनजाति मुख्य रूप से कृषि, वनोपज संग्रह और पशुपालन पर निर्भर करती है।

## भाषा और पहनावा

1. गोंड जनजाति की भाषा गोंडी है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है।
2. पुरुष धोती और अंगोछा पहनते हैं, जबकि महिलाएँ साड़ी पहनती हैं।

## 2. बैगा जनजाति

## परिचय

बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली और राजनांदगांव जिलों में निवास करती है। यह जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति (छटज्ज) के रूप में वर्गीकृत है।

## संस्कृति और परंपराएँ

1. बैगा समाज में झूम खेती प्रचलित है, जिसमें भूमि को कुछ वर्षों तक परती छोड़ दिया जाता है।
2. यह जनजाति जंगलों में रहने और जड़ी-बूटी चिकित्सा में पारंगत होती है।
3. इनके प्रमुख त्योहार करमा, दिवाली और होली होते हैं।
4. बैगा महिलाएँ अपने शरीर पर गोदना (टैटू) बनवाती हैं।

## भाषा और पहनावा

1. बैगा भाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी से प्रभावित है।
2. पुरुष लुंगी और अंगोछा पहनते हैं, जबकि महिलाएँ रंगीन साड़ियाँ पहनती हैं।
3. हल्बा जनजाति

## परिचय

हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा और राजनांदगांव जिलों में निवास करती है। यह जनजाति प्राचीन काल में योद्धा समुदाय के रूप में जानी जाती थी।

## संस्कृति और परंपराएँ

1. हल्बा समुदाय मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है।
2. इनका प्रमुख त्योहार दशहरा होता है।
3. हल्बा समाज में पंचायती व्यवस्था प्रभावी होती है।
4. हल्बी भाषा इस समुदाय की प्रमुख भाषा है।

## भाषा और पहनावा

1. हल्बी भाषा का प्रभाव मराठी और छत्तीसगढ़ी पर भी देखा जाता है।
2. पुरुष धोती-कुर्ता और महिलाएँ पारंपरिक साड़ी पहनती हैं।
4. मुरिया जनजाति

## छत्तीसगढ़ की जनजातिय संस्कृति

### परिचय

मुरिया जनजाति बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। यह जनजाति गोंड जनजाति की एक उपशाखा मानी जाती है।

### संस्कृति और परंपराएँ

1. मुरिया जनजाति का गोदुल प्रथा प्रसिद्ध है, जो युवाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा देने का स्थान होता है।
2. इनका प्रमुख नृत्य सैला और कर्मा है।
3. मुरिया समाज में समूह विवाह प्रथा प्रचलित है।

### 5. उरांव जनजाति

### परिचय

उरांव जनजाति मुख्य रूप से जशपुर, रायगढ़ और सरगुजा जिलों में पाई जाती है। यह समुदाय कृषि पर निर्भर रहता है।

### संस्कृति और परंपराएँ

4. उरांव समाज के प्रमुख त्योहार सरहुल, करमा और दिवाली हैं।
5. यह समुदाय पारंपरिक धान की खेती करता है।
6. उरांव लोग प्रकृति पूजक होते हैं।

### भाषा और पहनावा

7. उरांव भाषा कुडुख है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है।
8. पुरुष धोती और महिलाएँ पारंपरिक साड़ी पहनती हैं।

### 6. कमार जनजाति

### परिचय

कमार जनजाति छत्तीसगढ़ के महासमुंद और गरियाबंद जिलों में निवास करती है। यह भी विशेष पिछड़ी जनजाति (व्हेज्ज) के रूप में सूचीबद्ध है।

### संस्कृति और परंपराएँ

9. कमार लोग मुख्य रूप से वनोपज संग्रह और शिकार पर निर्भर रहते हैं।
10. यह जनजाति अपनी अनूठी पारंपरिक औषधियों के लिए प्रसिद्ध है।

### भाषा और पहनावा

11. कमार भाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी से प्रभावित है।
12. पुरुष लुंगी और अंगोछा पहनते हैं, जबकि महिलाएँ साड़ी पहनती हैं।

### 7. भतरा जनजाति

## परिचय

भतरा जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों में निवास करती है।

## संस्कृति और परंपराएँ

1. भतरा समाज कृषि आधारित होता है।

2. यह समुदाय प्रकृति पूजक होता है।

## भाषा और पहनावा

1. भतरा भाषा हल्बी और गोंडी से प्रभावित है।

2. पुरुष धोती और महिलाएँ पारंपरिक साड़ी पहनती हैं।

## 8. कंवर जनजाति

## परिचय

कंवर जनजाति महासमुंद, रायगढ़ और जशपुर जिलों में निवास करती है।

## संस्कृति और परंपराएँ

1. यह जनजाति मछली पकड़ने और कृषि कार्य में संलग्न रहती है।

2. गोदुल प्रणाली इस जनजाति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

## भाषा और पहनावा

1. कंवर भाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी से प्रभावित है।

2. पुरुष लुंगी और महिलाएँ पारंपरिक साड़ी पहनती हैं।

छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ अपने अनूठे जीवन, संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं। आधुनिकरण और शहरीकरण के बावजूद, ये जनजातियाँ अपनी पहचान बनाए रखने का प्रयास कर रही हैं।

## जनजाति की जीवनशैली, बोली, और भौगोलिक वितरण

## 1. गोंड जनजाति

## परिचय

गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातियों में से एक है। यह जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, महासमुंद और सरगुजा जिलों में बड़ी संख्या में निवास करती है। गोंड जनजाति का नाम 'कोंड' शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ पहाड़ी क्षेत्र होता है।

## संस्कृति और परंपराएँ

### छत्तीसगढ़ की जनजातिय संस्कृति

1. गोंड समाज प्रकृति पूजक होता है और इनके प्रमुख देवता फुलझड़िया देव, बड़ा देव और ठाकुर देव हैं।
2. इनका पारंपरिक नृत्य 'कर्मा', 'रैला' और 'सैला' प्रसिद्ध है।
3. गोंड चित्रकला विश्वभर में प्रसिद्ध है।
4. यह जनजाति मुख्य रूप से कृषि, वनोपज संग्रह और पशुपालन पर निर्भर करती है।

भाषा और पहनावा

गोंड जनजाति की भाषा गोंडी है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है।

पुरुष धोती और अंगोछा पहनते हैं, जबकि महिलाएँ साड़ी पहनती हैं।

### 2. बैगा जनजाति

परिचय

बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली और राजनांदगांव जिलों में निवास करती है। यह जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति (छट्ज्) के रूप में वर्गीकृत है।

संस्कृति और परंपराएँ

बैगा समाज में झूम खेती प्रचलित है, जिसमें भूमि को कुछ वर्षों तक परती छोड़ दिया जाता है।

यह जनजाति जंगलों में रहने और जड़ी-बूटी चिकित्सा में पारंगत होती है।

इनके प्रमुख त्योहार करमा, दिवाली और होली होते हैं।

बैगा महिलाएँ अपने शरीर पर गोदना (टैटू) बनवाती हैं।

भाषा और पहनावा

बैगा भाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी से प्रभावित है।

पुरुष लुंगी और अंगोछा पहनते हैं, जबकि महिलाएँ रंगीन साड़ियाँ पहनती हैं।

### 3. हल्बा जनजाति

परिचय

हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा और राजनांदगांव जिलों में निवास करती है। यह जनजाति प्राचीन काल में योद्धा समुदाय के रूप में जानी जाती थी।

संस्कृति और परंपराएँ

हल्बा समुदाय मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है।

इनका प्रमुख त्योहार दशहरा होता है।

हल्बा समाज में पंचायती व्यवस्था प्रभावी होती है।

हल्बी भाषा इस समुदाय की प्रमुख भाषा है।

भाषा और पहनावा

हल्बी भाषा का प्रभाव मराठी और छत्तीसगढ़ी पर भी देखा जाता है।

पुरुष धोती-कुर्ता और महिलाएँ पारंपरिक साड़ी पहनती हैं।

#### 4. मुरिया जनजाति

परिचय

मुरिया जनजाति बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। यह जनजाति गोंड जनजाति की एक उपशाखा मानी जाती है।

संस्कृति और परंपराएँ

1. मुरिया जनजाति का गोदुल प्रथा प्रसिद्ध है, जो युवाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा देने का स्थान होता है।
2. इनका प्रमुख नृत्य सैला और कर्मा है।
3. मुरिया समाज में समूह विवाह प्रथा प्रचलित है।

#### 5. उरांव जनजाति

परिचय

उरांव जनजाति मुख्य रूप से जशपुर, रायगढ़ और सरगुजा जिलों में पाई जाती है। यह समुदाय कृषि पर निर्भर रहता है।

संस्कृति और परंपराएँ

1. उरांव समाज के प्रमुख त्योहार सरहुल, करमा और दिवाली हैं।
2. यह समुदाय पारंपरिक धान की खेती करता है।
3. उरांव लोग प्रकृति पूजक होते हैं।

भाषा और पहनावा

1. उरांव भाषा कुडुख है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है।
2. पुरुष धोती और महिलाएँ पारंपरिक साड़ी पहनती हैं।

#### 6. कमार जनजाति

परिचय

कमार जनजाति छत्तीसगढ़ के महासमुंद और गरियाबंद जिलों में निवास करती है। यह भी विशेष पिछड़ी जनजाति (चट्जळ) के रूप में सूचीबद्ध है।

संस्कृति और परंपराएँ

1. कमार लोग मुख्य रूप से वनोपज संग्रह और शिकार पर निर्भर रहते हैं।

## Notes

### छत्तीसगढ़ की जनजातिय संस्कृति

2. यह जनजाति अपनी अनूठी पारंपरिक औषधियों के लिए प्रसिद्ध है।

भाषा और पहनावा

1. कुमार भाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी से प्रभावित है।

2. पुरुष लुंगी और अंगोछा पहनते हैं, जबकि महिलाएँ साड़ी पहनती हैं।

7. भतरा जनजाति

परिचय

भतरा जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों में निवास करती है।

संस्कृति और परंपराएँ

1. भतरा समाज कृषि आधारित होता है।

2. यह समुदाय प्रकृति पूजक होता है।

भाषा और पहनावा

3. भतरा भाषा हल्बी और गोंडी से प्रभावित है।

4. पुरुष धोती और महिलाएँ पारंपरिक साड़ी पहनती हैं।

8. कंवर जनजाति

परिचय

कंवर जनजाति महासमुंद, रायगढ़ और जशपुर जिलों में निवास करती है।

संस्कृति और परंपराएँ

5. यह जनजाति मछली पकड़ने और कृषि कार्य में संलग्न रहती है।

6. गोदुल प्रणाली इस जनजाति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भाषा और पहनावा

7. कंवर भाषा हिंदी और छत्तीसगढ़ी से प्रभावित है।

8. पुरुष लुंगी और महिलाएँ पारंपरिक साड़ी पहनती हैं।

छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ अपने अनूठे जीवन, संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं। आधुनिकरण और शहरीकरण के बावजूद, ये जनजातियाँ अपनी पहचान बनाए रखने का प्रयास कर रही हैं।

पारंपरिक आर्थिक गतिविधियाँ

1. गोंड जनजाति

परिचय

गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातियों में से एक है। यह जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, महासमुंद और सरगुजा जिलों में बड़ी संख्या में निवास करती है। गोंड जनजाति का नाम 'कोंड' शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ पहाड़ी क्षेत्र होता है।

संस्कृति और परंपराएँ

9. गोंड समाज प्रकृति पूजक होता है और इनके प्रमुख देवता फुलझड़िया देव, बड़ा देव और ठाकुर देव हैं।

10. इनका पारंपरिक नृत्य 'कर्मा', 'रैला' और 'सैला' प्रसिद्ध है।

11. गोंड चित्रकला विश्वभर में प्रसिद्ध है।

भाषा और पहनावा

1. गोंड जनजाति की भाषा गोंडी है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है।

2. पुरुष धोती और अंगोछा पहनते हैं, जबकि महिलाएँ साड़ी पहनती हैं।

पारंपरिक आर्थिक गतिविधियाँ

1. कृषि: धान, कोदो, कुटकी की खेती करते हैं।

2. शिकार: परंपरागत रूप से शिकार करते थे, लेकिन अब यह कम हो गया है।

3. हस्तशिल्प: लकड़ी की नक्काशी और बांस से बनी वस्तुएँ।

4. वन संसाधन उपयोग: महुआ, तेंदू पत्ता, साल बीज, चार बीज का संग्रह।

2. बैगा जनजाति

परिचय

बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली और राजनांदगांव जिलों में निवास करती है। यह जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति (चटज्ज) के रूप में वर्गीकृत है।

संस्कृति और परंपराएँ

1. बैगा समाज में झूम खेती प्रचलित है, जिसमें भूमि को कुछ वर्षों तक परती छोड़ दिया जाता है।

2. यह जनजाति जंगलों में रहने और जड़ी-बूटी चिकित्सा में पारंगत होती है।

3. इनके प्रमुख त्योहार करमा, दिवाली और होली होते हैं।

4. बैगा महिलाएँ अपने शरीर पर गोदना (टैटू) बनवाती हैं।

पारंपरिक आर्थिक गतिविधियाँ

1. कृषि: झूम खेती करते हैं, जिसमें हल का उपयोग नहीं किया जाता।

2. शिकार: पारंपरिक शिकार प्रथाएँ अपनाते थे।

3. हस्तशिल्प: बाँस और लकड़ी के हस्तशिल्प बनाते हैं।

### छत्तीसगढ़ की जनजातिय संस्कृति

4. वन संसाधन उपयोग: जड़ी-बूटियों, महुआ, तेंदू पत्ता का संग्रह।

3. हल्बा जनजाति

परिचय

हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा और राजनांदगांव जिलों में निवास करती है। यह जनजाति प्राचीन काल में योद्धा समुदाय के रूप में जानी जाती थी।

संस्कृति और परंपराएँ

1. हल्बा समुदाय मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है।

2. इनका प्रमुख त्योहार दशहरा होता है।

3. हल्बा समाज में पंचायती व्यवस्था प्रभावी होती है।

पारंपरिक आर्थिक गतिविधियाँ

कृषि: धान, मक्का और गेहूँ की खेती करते हैं।

हस्तशिल्प: मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के औजार बनाते हैं।

वन संसाधन उपयोग: औषधीय पौधों का उपयोग करते हैं।

4. मुरिया जनजाति

परिचय

मुरिया जनजाति बस्तर क्षेत्र में निवास करती है। यह जनजाति गोंड जनजाति की एक उपशाखा मानी जाती है।

संस्कृति और परंपराएँ

मुरिया जनजाति का गोदुल प्रथा प्रसिद्ध है, जो युवाओं को सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा देने का स्थान होता है।

इनका प्रमुख नृत्य सैला और कर्मा है।

पारंपरिक आर्थिक गतिविधियाँ

कृषि: मिश्रित खेती करते हैं।

हस्तशिल्प: बांस की टोकरी और लकड़ी की मूर्तियाँ बनाते हैं।

वन संसाधन उपयोग: शहद, महुआ, चार बीज, और रेशे इकट्ठा करते हैं।

5. उरांव जनजाति

परिचय

उरांव जनजाति मुख्य रूप से जशपुर, रायगढ़ और सरगुजा जिलों में पाई जाती है। यह समुदाय कृषि पर निर्भर रहता है।

संस्कृति और परंपराएँ

उरांव समाज के प्रमुख त्योहार सरहुल, करमा और दिवाली हैं।

यह समुदाय पारंपरिक धान की खेती करता है।

पारंपरिक आर्थिक गतिविधियाँ

कृषि: धान, गेहूँ और दलहन की खेती करते हैं।

हस्तशिल्प: बेंत और बांस के उत्पाद बनाते हैं।

वन संसाधन उपयोग: लाह उत्पादन और तेंदू पत्ता संग्रह।

## 6. कमार जनजाति

परिचय

कमार जनजाति छत्तीसगढ़ के महासमुंद और गरियाबंद जिलों में निवास करती है। यह भी विशेष पिछड़ी जनजाति (वटज) के रूप में सूचीबद्ध है।

संस्कृति और परंपराएँ

1. कमार लोग मुख्य रूप से वनोपज संग्रह और शिकार पर निर्भर रहते हैं।
2. यह जनजाति अपनी अनूठी पारंपरिक औषधियों के लिए प्रसिद्ध है।

पारंपरिक आर्थिक गतिविधियाँ

1. कृषि: सीमित खेती करते हैं।
2. शिकार: परंपरागत शिकार प्रथाएँ अपनाते हैं।
3. वन संसाधन उपयोग: औषधीय पौधों का संग्रह और शहद निकालना।

## 7. भतरा जनजाति

परिचय

भतरा जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर और दंतेवाड़ा जिलों में निवास करती है।

संस्कृति और परंपराएँ

1. भतरा समाज कृषि आधारित होता है।
2. यह समुदाय प्रकृति पूजक होता है।

पारंपरिक आर्थिक गतिविधियाँ

1. कृषि: धान और मक्का उगाते हैं।
2. हस्तशिल्प: लकड़ी और बांस के उत्पाद बनाते हैं।
3. वन संसाधन उपयोग: महुआ, तेंदू पत्ता, शहद संग्रह।

## Notes

छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ अपने अनूठे जीवन, संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं। आधुनिकरण और शहरीकरण के बावजूद, ये जनजातियाँ अपनी पहचान बनाए रखने का प्रयास कर रही हैं।

छत्तीसगढ़ की जनजातिय  
संस्कृति

## इकाई 2:

### जनजातीय विकास

जनजातीय विकास, अनुसूचित जनजातियों (जे) के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य उनकी विशिष्ट जरूरतों और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मुख्यधारा में लाना और सशक्त बनाना है।

जनजातीय विकास के मुख्य पहलू

#### 1. परिभाषा:

जनजातीय विकास, भारत में अनुसूचित जनजातियों के लिए नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों का एक व्यापक सेट है, जो उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास करता है।

#### 2. उद्देश्य:

जनजातीय समुदायों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार करना।

उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना।

उनकी सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करना।

भेदभाव और शोषण से उनकी रक्षा करना।

उनको समाज की मुख्यधारा में शामिल करना।

#### 3. विकास के क्षेत्र:

4. शिक्षा: जनजातीय बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षा तक उनकी पहुंच में सुधार करना और ड्रॉपआउट दर को कम करना।

5. स्वास्थ्य: जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ और प्रभावी बनाना, कुपोषण और बीमारियों को कम करना।

6. आर्थिक विकास: रोजगार के अवसर पैदा करना, कौशल विकास कार्यक्रम चलाना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना।

7. भूमि अधिकार: जनजातीय लोगों के भूमि अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें भूमि से वंचित होने से बचाना।

8. संस्कृति: जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करना और बढ़ावा देना।

9. सुशासन: जनजातीय क्षेत्रों में सुशासन सुनिश्चित करना और भ्रष्टाचार को कम करना।

जनजातीय विकास में चुनौतियां:

10. गरीबी और विकास का अभाव: जनजातीय क्षेत्रों में गरीबी और विकास के अभाव की समस्या गंभीर है।

11. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी: इन क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सीमित है।
12. भूमि अधिकार: जनजातीय लोगों के भूमि अधिकारों को लेकर विवाद और संघर्ष होते रहते हैं।
13. भेदभाव और शोषण: जनजातीय लोग अक्सर भेदभाव और शोषण का शिकार होते हैं।
14. संस्कृति का ह्रास: तेजी से शहरीकरण और औद्योगिकीकरण के कारण जनजातीय संस्कृति का ह्रास हो रहा है।

जनजातीय विकास के लिए नीतियां और कार्यक्रम:

15. जनजातीय कार्य मंत्रालय: 1999 में जनजातीय लोगों के विकास के लिए भारत सरकार ने इसकी स्थापना की।
16. जनजातीय उप-योजना: जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजना।
17. वन अधिकार अधिनियम: जनजातीय लोगों को वन संसाधनों पर अधिकार देता है।
18. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा): जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को अधिक अधिकार देता है।
19. ईएमआरएस (मसंअलं डवकमस त्मेपकमदजपंसैबीववसे): अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 1997-98 में शुरुआत की गई।
20. विशेष पिछड़ी जनजातियां: पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, कमार, अबुझमाड़िया और बैगा जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजातियां घोषित किया गया।

छत्तीसगढ़ में जनजातीय विकास:

1. जनसंख्या एवं जनजातीय समुदाय:

21. जनजातीय जनसंख्या: 78,22,902 (2011 जनगणना), जो राज्य की कुल जनसंख्या का 30.6: है।
22. अनुसूचित जनजाति समुदाय: 42 अनुसूचित जनजातियाँ।
23. विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (चटज्ज): 7 समूह (अबुझ मारिया, बैगा, भारिया, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार, सहरिया)।
24. प्रमुख जनजातियाँ: गोंड, हल्बा, कमार, भुजिया, बैगा, कोंध, सावरा, कंवर, शिकारी पारधी, बिंझवार, धनवार आदि।

2. पीवीटीजी की स्थिति:

25. बैगा: कबीरधाम के बोडला और पंडरिया ब्लॉक में।
26. पहाड़ी कोरवा: जशपुर के बागीचा और बलरामपुर के शंकरगढ़ ब्लॉक में।
27. बिरहोर: धरमजयगढ़, पोड़ी उपरोड़ा और पाली में।

28. कमार: गरियाबंद, छुरा और मैनपुर ब्लॉक में।

29. अबूझमाड़िया: नारायणपुर और ओरछा ब्लॉक में।

3. जनजातीय विकास कार्यक्रम एवं योजनाएं:

राज्य सरकार की योजनाएं:

व आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के तहत छात्रवृत्ति, आवासीय संस्थाएं और आर्थिक सहायता।

व व्यापक जनजातीय विकास कार्यक्रम (बज्जट) — भूमि विकास, सड़क निर्माण, पेयजल और कौशल विकास।

पुरस्कार एवं सम्मान: शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार, खूबचंद बघेल सम्मान, गुरुघासी दास सम्मान।

छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति:

1. कला और संस्कृति:

नृत्य एवं संगीत: मुरिया जनजाति के ककसार, मांदरी और गेंड़ी नृत्य प्रसिद्ध हैं।

देवता: गोंड जनजाति के मुख्य देवता 'दूल्हा देव' हैं।

हस्तशिल्प: कमार जनजाति के लोग बांस से टोकरियां, कुर्सी, टेबल, और अन्य वस्तुएं बनाते हैं।

2. भाषाएं और बोलियां:

गोंडी (गोंड जनजाति), कुडुख (उरांव), कुई (कोध), दोरली (दोरला), भतरी (भतरा), बैगानी (बैगा), कमारी (कमार), हल्बी (हल्बा)।

3. सामाजिक व्यवस्था:

कमार जनजाति बहिर्विवाही, पितृवंशिय, पितृसत्तात्मक और पितृस्थानिक समुदाय है।

परिवार में पारिवारिक निर्णयों और आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं की आजादी अधिक है।

1. गोंड जनजाति

परिचय

गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजातियों में से एक है। यह जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, महासमुंद और सरगुजा जिलों में बड़ी संख्या में निवास करती है। गोंड जनजाति का नाम 'कोंड' शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ पहाड़ी क्षेत्र होता है।

संस्कृति और परंपराएँ

30. गोंड समाज प्रकृति पूजक होता है और इनके प्रमुख देवता फुलझड़िया देव, बड़ा देव और ठाकुर देव हैं।

### छत्तीसगढ़ की जनजातिय संस्कृति

31. इनका पारंपरिक नृत्य 'कर्मा', 'रैला' और 'सैला' प्रसिद्ध है।

32. गोंड चित्रकला विश्वभर में प्रसिद्ध है।

भाषा और पहनावा

33. गोंड जनजाति की भाषा गोंडी है, जो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है।

34. पुरुष धोती और अंगोछा पहनते हैं, जबकि महिलाएँ साड़ी पहनती हैं।

पारंपरिक आर्थिक गतिविधियाँ

35. कृषि: धान, कोदो, कूटकी की खेती करते हैं।

36. शिकार: परंपरागत रूप से शिकार करते थे, लेकिन अब यह कम हो गया है।

37. हस्तशिल्प: लकड़ी की नक्काशी और बांस से बनी वस्तुएँ।

38. वन संसाधन उपयोग: महुआ, तेंदू पत्ता, साल बीज, चार बीज का संग्रह।

### 2. बैगा जनजाति

परिचय

बैगा जनजाति छत्तीसगढ़ में कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली और राजनांदगांव जिलों में निवास करती है। यह जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति (पिछडी) के रूप में वर्गीकृत है।

संस्कृति और परंपराएँ

39. बैगा समाज में झूम खेती प्रचलित है, जिसमें भूमि को कुछ वर्षों तक परती छोड़ दिया जाता है।

40. यह जनजाति जंगलों में रहने और जड़ी-बूटी चिकित्सा में पारंगत होती है।

41. इनके प्रमुख त्योहार करमा, दिवाली और होली होते हैं।

42. बैगा महिलाएँ अपने शरीर पर गोदना (टैटू) बनवाती हैं।

पारंपरिक आर्थिक गतिविधियाँ

43. कृषि: झूम खेती करते हैं, जिसमें हल का उपयोग नहीं किया जाता।

44. शिकार: पारंपरिक शिकार प्रथाएँ अपनाते थे।

45. हस्तशिल्प: बाँस और लकड़ी के हस्तशिल्प बनाते हैं।

46. वन संसाधन उपयोग: जड़ी-बूटियों, महुआ, तेंदू पत्ता का संग्रह।

### 3. हल्बा जनजाति

परिचय

हल्बा जनजाति छत्तीसगढ़ के बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा और राजनांदगांव जिलों में निवास करती है। यह जनजाति प्राचीन काल में योद्धा समुदाय के रूप में जानी जाती थी।

संस्कृति और परंपराएँ

47. हल्बा समुदाय मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है।
48. इनका प्रमुख त्योहार दशहरा होता है।
49. हल्बा समाज में पंचायती व्यवस्था प्रभावी होती है।

पारंपरिक आर्थिक गतिविधियाँ

50. कृषि: धान, मक्का और गेहूँ की खेती करते हैं।
51. हस्तशिल्प: मिट्टी के बर्तन और लकड़ी के औजार बनाते हैं।
52. वन संसाधन उपयोग: औषधीय पौधों का उपयोग करते हैं।

अन्य प्रमुख जनजातियाँ

4. भील जनजाति

53. भौगोलिक क्षेत्र: दक्षिणी छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में।
54. भाषा: भीली भाषा।
55. आर्थिक गतिविधियाँ: कृषि, पशुपालन, शिकार।

5. कोरवा जनजाति

56. भौगोलिक क्षेत्र: सरगुजा, जशपुर।
57. भाषा: कोरवा भाषा।
58. आर्थिक गतिविधियाँ: झूम कृषि, वनोपज संग्रह।

6. मुरिया जनजाति

- भौगोलिक क्षेत्र: बस्तर, कांकेर।
- भाषा: गोंडी।
- आर्थिक गतिविधियाँ: कृषि, शिकार, हस्तशिल्प।

7. उरांव जनजाति

- भौगोलिक क्षेत्र: सरगुजा, रायगढ़।
- भाषा: कुडुख।

आर्थिक गतिविधियाँ: कृषि, श्रमिक कार्य।

जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति

सामाजिक स्थिति

छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ सामाजिक रूप से एकजुट समुदायों में रहती हैं। इनमें पारंपरिक पंचायतें, गोत्र व्यवस्था और अनुष्ठानिक संस्कार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई जनजातियों में बहुपत्नी प्रथा और विवाह के पारंपरिक रीति-रिवाज आज भी प्रचलित हैं।

आर्थिक स्थिति

अधिकांश जनजातियाँ कृषि, वनोपज संग्रह, शिकार और हस्तशिल्प पर निर्भर हैं। हालाँकि, आधुनिकरण और शहरीकरण के प्रभाव से पारंपरिक जीवनशैली में परिवर्तन आ रहा है। सरकारी योजनाओं और सहकारी संगठनों के सहयोग से कई जनजातियाँ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रही हैं।

शैक्षिक स्थिति

शिक्षा के क्षेत्र में जनजातियों की स्थिति कमजोर रही है। स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुँच सीमित होने के कारण साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे छात्रवृत्ति कार्यक्रम और जनजातीय छात्रावास इनके शैक्षिक विकास में सहायक हो रहे हैं।

छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ अपने अनूठे जीवन, संस्कृति और परंपराओं के लिए प्रसिद्ध हैं। आधुनिकरण और शहरीकरण के बावजूद, ये जनजातियाँ अपनी पहचान बनाए रखने का प्रयास कर रही हैं।

सरकार द्वारा संचालित जनजातीय विकास कार्यक्रम

भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें आदिवासी समुदायों के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएँ संचालित कर रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सशक्तिकरण, महिला विकास और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करना है।

1. शिक्षा एवं साक्षरता कार्यक्रम

(प) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (मडै)

यह योजना आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। मडै स्कूलों में आधुनिक सुविधाएँ, तकनीकी शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का समावेश किया जाता है।

(पप) राष्ट्रीय आदिवासी छात्रवृत्ति योजना

इस योजना के तहत जनजातीय छात्रों को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(पपप) विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए निशुल्क कोचिंग

इन जनजातियों के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा के लिए विशेष कोचिंग प्रदान की जाती है।

2. स्वास्थ्य एवं पोषण

## (प) वनवासी कल्याण योजना

यह योजना जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने के लिए लागू की गई है। इसके तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है।

## (पप) मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ

आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने के लिए मोबाइल चिकित्सा इकाइयाँ चलाई जाती हैं।

## (पपप) पोषण अभियान और मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

जनजातीय महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए विशेष योजनाएँ लागू की गई हैं।

## 3. आर्थिक उत्थान और रोजगार

## (प) प्रधानमंत्री वन धन योजना

यह योजना वनोपज संग्रह और विपणन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसके अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

## (पप) आदिवासी क्षेत्रों में कौशल विकास कार्यक्रम

जनजातीय युवाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

## (पपप) वनोपज आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा

हस्तशिल्प, बांस आधारित उत्पादों और अन्य वन संसाधनों से जुड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाता है।

## 4. महिला सशक्तिकरण

## (प) महिला स्वयं सहायता समूह (श्रृंखला) योजना

आदिवासी महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाए जाते हैं।

## (पप) आदिवासी महिलाओं को स्वरोजगार प्रशिक्षण

महिलाओं को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, और अन्य कुटीर उद्योगों में प्रशिक्षित किया जाता है।

## 5. बुनियादी सुविधाएँ

## (प) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (छडळैल)

इस योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है।

## (पप) विद्युतीकरण और पेयजल आपूर्ति योजनाएँ

आदिवासी क्षेत्रों में बिजली और स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान करने के लिए विशेष योजनाएँ चलाई जा रही हैं।

### छत्तीसगढ़ की जनजातिय संस्कृति

सरकार द्वारा संचालित ये विकास कार्यक्रम आदिवासी समुदायों को मुख्यधारा में लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालाँकि, इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कुछ चुनौतियाँ भी हैं, जिन्हें सुधारने की आवश्यकता है।

भारत और छत्तीसगढ़ में जनजातियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार में भागीदारी

भारत में अनुसूचित जनजातियाँ (ज) देश की कुल जनसंख्या का लगभग 8.6: (जनगणना 2011) हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में यह प्रतिशत 30.6: है। जनजातीय समुदायों की सामाजिक और आर्थिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाएँ चला रही हैं। हालाँकि, अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

#### 1. शिक्षा में जनजातियों की भागीदारी

भारत में जनजातीय शिक्षा की स्थिति

भारत में जनजातीय साक्षरता दर 59: (जनगणना 2011) थी, जो राष्ट्रीय औसत (74.04:) से काफी कम है।

विशेष रूप से, आदिवासी महिलाओं में साक्षरता दर और भी कम है।

अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों तक पहुँच, शिक्षकों की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी बनी हुई है।

छत्तीसगढ़ में जनजातीय शिक्षा की स्थिति

छत्तीसगढ़ में जनजातीय साक्षरता दर 59.1: है, जो राष्ट्रीय जनजातीय औसत के बराबर है।

बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा और अन्य आदिवासी बहुल जिलों में साक्षरता दर अपेक्षाकृत कम है।

आदिवासी समुदायों में ड्रॉपआउट दर अधिक है, खासकर माध्यमिक और उच्च शिक्षा स्तर पर।

शिक्षा सुधार के लिए सरकारी योजनाएँ

योजना भारत छत्तीसगढ़

एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (मडै) आदिवासी छात्रों के लिए कक्षा 6 से 12 तक मुफ्त शिक्षा राज्य में 63 मडै स्कूल संचालित

प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति आर्थिक रूप से कमजोर जनजातीय छात्रों को वित्तीय सहायता आदिवासी छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति योजनाएँ

अश्रम और आवासीय विद्यालय जनजातीय बच्चों के लिए मुफ्त हॉस्टल और स्कूल लगभग 500 से अधिक आश्रम और छात्रावास कार्यरत

रानी दुर्गावती शिक्षा सहायता योजना — जनजातीय छात्राओं को प्रोत्साहित करने हेतु छात्रवृत्ति

परिणाम और प्रभाव

प्राथमिक स्तर पर स्कूल नामांकन में सुधार हुआ है।

उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले आदिवासी छात्रों की संख्या बढ़ी है।

सरकार डिजिटल शिक्षा के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का प्रयास कर रही है।

## 2. स्वास्थ्य में जनजातियों की भागीदारी

भारत में जनजातीय स्वास्थ्य की स्थिति

59. भारत में जनजातीय समुदायों में मातृ मृत्यु दर (डडट) और शिशु मृत्यु दर (पडट) अधिक है।

60. कुपोषण और एनीमिया की समस्या आम है।

61. संक्रामक बीमारियों (मलेरिया, टीबी, कुष्ठ रोग) का अधिक प्रकोप।

छत्तीसगढ़ में जनजातीय स्वास्थ्य की स्थिति

62. कुपोषण और एनीमिया की दर अधिक है, खासकर बस्तर और सरगुजा में।

63. सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों की कमी एक बड़ी समस्या है।

64. जनजातीय क्षेत्रों में मलेरिया, डेंगू और कुष्ठ रोग की उच्च दर दर्ज की गई है।

स्वास्थ्य सुधार के लिए सरकारी योजनाएँ

योजना भारत छत्तीसगढ़

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (छम्ड) ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएँ स्वास्थ्य केंद्रों और 100 कार्यकर्ताओं का विस्तार

वनवासी कल्याण योजना आदिवासी स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करना जनजातीय बहुल क्षेत्रों में विशेष स्वास्थ्य सुविधाएँ

मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना— हाट बाजारों में मोबाइल मेडिकल यूनिट सेवा

दाइदी बाई योजना — जनजातीय गर्भवती महिलाओं के लिए मुफ्त चिकित्सा सहायता

मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान — मलेरिया उन्मूलन के लिए विशेष पहल

परिणाम और प्रभाव

65. मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में गिरावट आई है।
66. सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ी है।
67. टीकाकरण और कुपोषण निवारण कार्यक्रमों में सुधार हुआ है।

3. रोजगार में जनजातियों की भागीदारी

भारत में जनजातीय रोजगार की स्थिति

68. जनजातीय समुदायों में बेरोजगारी और असंगठित श्रम की उच्च दर है।
69. अधिकांश जनजातीय लोग कृषि, वनोपज संग्रह और पारंपरिक शिल्प कार्यों में लगे हुए हैं।
70. औद्योगिक और शहरी रोजगार के अवसरों में उनकी भागीदारी कम है।

छत्तीसगढ़ में जनजातीय रोजगार की स्थिति

71. वन उपज आधारित आजीविका एक प्रमुख रोजगार का साधन है।
72. कई आदिवासी समुदाय मनरेगा (डलछत्तल) के माध्यम से कार्यरत हैं।
73. महिला स्वयं सहायता समूह (भल) और स्टार्टअप योजनाओं के माध्यम से स्व-रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

रोजगार सुधार के लिए सरकारी योजनाएँ

योजना भारत छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री वन धन योजना आदिवासी समुदायों को वन उत्पादों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना 12 वन धन विकास केंद्र स्थापित

डलछत्तल। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन 20 लाख से अधिक आदिवासी लाभार्थी

मुद्रा योजना और स्टार्टअप इंडिया स्व-रोजगार और लघु व्यवसाय को बढ़ावा 1000 से अधिक जनजातीय उद्यमों को सहायता

छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन — कोदो, कुटकी और रागी उत्पादन को बढ़ावा

परिणाम और प्रभाव

13. जनजातीय युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण में वृद्धि हुई है।
14. स्व-रोजगार और लघु उद्योगों में जनजातीय भागीदारी बढ़ी है।

15. मनरेगा और अन्य योजनाओं से आर्थिक स्थिरता में सुधार हुआ है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में भारत और छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

भविष्य के लिए आवश्यक कदम:

16. शिक्षा में सुधार दृ डिजिटल शिक्षा, स्थानीय भाषा में पाठ्यक्रम, और अधिक छात्रवृत्तियाँ।

17. स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार दृ अधिक अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स।

18. रोजगार के अवसर बढ़ाना दृ कौशल विकास, वन उत्पाद आधारित उद्योग, और सरकारी समर्थन योजनाएँ।

छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष योजनाओं और स्थायी विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है, जिससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें और सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त बनें।

औद्योगिकीकरण और शहरीकरण का जनजातीय समाज पर प्रभाव

औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने जनजातीय समाज पर गहरे प्रभाव डाले हैं। ये परिवर्तन आर्थिक अवसरों, सामाजिक संरचना, सांस्कृतिक पहचान, पर्यावरण और आजीविका के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आए हैं। हालाँकि, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव देखे गए हैं।

1. औद्योगिकीकरण का जनजातीय समाज पर प्रभाव

(i) सकारात्मक प्रभाव

रोजगार के नए अवसर

19. कारखानों, खनन, निर्माण और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़े।

20. कौशल विकास और व्यावसायिक प्रशिक्षण से जनजातीय युवाओं को मुख्यधारा में शामिल होने का मौका मिला।

सार्वजनिक बुनियादी ढाँचा विकास

21. सड़कों, बिजली, परिवहन, और संचार सुविधाओं का विस्तार हुआ।

22. स्कूलों, अस्पतालों और सरकारी योजनाओं का लाभ आदिवासी समुदायों तक पहुँचा।

आर्थिक सुधार और जीवन स्तर में वृद्धि

छत्तीसगढ़ की जनजातीय  
संस्कृति

23. मजदूरी आधारित कार्यों से आय में वृद्धि हुई।

24. बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बढ़ने से आर्थिक सशक्तिकरण हुआ।

(ठ) नकारात्मक प्रभाव

भूमि विस्थापन और पुनर्वास की समस्या

74. औद्योगिक परियोजनाओं, खनन और डैम निर्माण के कारण हजारों आदिवासी अपने पारंपरिक घरों से विस्थापित हुए।

75. उचित पुनर्वास और मुआवजा नहीं मिलने के कारण उनका जीवन स्तर प्रभावित हुआ।

पर्यावरणीय क्षति

76. जंगलों की कटाई, जल स्रोतों के प्रदूषण और खनन गतिविधियों से प्राकृतिक संसाधनों की हानि हुई।

77. पारंपरिक कृषि और वनोपज पर आधारित आजीविका पर संकट आया।

सांस्कृतिक पहचान का संकट

78. बाहरी समाज के संपर्क में आने से पारंपरिक रीति-रिवाज, भाषा और सामाजिक संरचना में बदलाव आया।

79. नई पीढ़ी की आदिवासी आबादी औद्योगिक जीवन शैली अपनाने लगी, जिससे उनकी सांस्कृतिक पहचान कमजोर हुई।

2. शहरीकरण का जनजातीय समाज पर प्रभाव

(I) सकारात्मक प्रभाव

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार

80. शहरी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ बेहतर होने से जनजातीय लोगों को उच्च शिक्षा और आधुनिक चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच मिली।

81. महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ।

तकनीकी और आर्थिक विकास

82. शहरीकरण ने इंटरनेट, डिजिटल बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की पहुँच बढ़ाई।

83. आदिवासी युवा स्टार्टअप, ई-कॉमर्स और शहरी नौकरियों में अपनी जगह बना रहे हैं।

राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता

शहरीकरण ने आदिवासी समुदायों में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई, जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हुए।

अनुसूचित जनजाति (ज) के लिए सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ बेहतर तरीके से प्राप्त हुआ।

(ठ) नकारात्मक प्रभाव

पारंपरिक आजीविका का नुकसान

आदिवासी समुदायों के लिए कृषि, पशुपालन और वन आधारित व्यवसाय महत्वपूर्ण थे, लेकिन शहरीकरण के कारण यह धीरे-धीरे कम हुआ।

परंपरागत शिल्प और कला को भी नुकसान हुआ।

शोषण और सामाजिक असमानता

शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने वाले आदिवासी लोग कई बार सस्ते श्रम के रूप में उपयोग किए जाते हैं और उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती।

कई आदिवासी झुग्गी बस्तियों में रहने को मजबूर होते हैं, जहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी होती है।

सांस्कृतिक विघटन और आत्मीयता की हानि

शहरीकरण के कारण पारंपरिक परिवार और सामाजिक ताने-बाने में बदलाव आया।

आदिवासी भाषाओं और सांस्कृतिक परंपराओं का ह्रास हो रहा है।

### 3. भारत और छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज पर प्रभाव

प्रभाव भारत में प्रभाव      छत्तीसगढ़ में प्रभाव

रोजगार      फैक्ट्रियों और खनन क्षेत्र में रोजगार बढ़ा, लेकिन मजदूरी कम। उद्योगों और खनन क्षेत्रों (बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़) में रोजगार उपलब्ध।

विस्थापन      झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़े बाँध और खनन परियोजनाओं से विस्थापन। बस्तर और सरगुजा में आदिवासियों को खनन और औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापन झेलना पड़ा।

पर्यावरण      जंगलों की कटाई और जल प्रदूषण बढ़ा। खदानों और औद्योगिक कचरे से जल और वायु प्रदूषण।

शिक्षा      आदिवासी क्षेत्रों में स्कूलों और डिजिटल शिक्षा का विस्तार। शिक्षा दर बढ़ी, लेकिन दूरस्थ क्षेत्रों में समस्या बनी हुई है।

संस्कृति      शहरीकरण के कारण पारंपरिक रीति-रिवाज और भाषाओं का ह्रास। गोंडी, हल्बी जैसी भाषाओं का संरक्षण चुनौती बनी हुई है।

### 4. समाधान और नीति सुझाव

संतुलित औद्योगिकीकरण और पुनर्वास नीति

सरकार को उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण से पहले प्रभावित समुदायों को उचित मुआवजा और पुनर्वास देना चाहिए।

आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए वन अधिकार अधिनियम, 2006 को सख्ती से लागू किया जाए।

पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास

84. उद्योगों को स्थानीय पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए।

85. वनों की रक्षा के लिए वन धन योजना और मिलेट मिशन जैसी योजनाओं को और बढ़ावा देना चाहिए।

सांस्कृतिक और भाषाई संरक्षण

86. आदिवासी भाषाओं को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए।

87. आदिवासी कला, शिल्प और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय हस्तशिल्प उद्योगों को समर्थन दिया जाए।

शहरी क्षेत्रों में आदिवासियों की बेहतरी

88. आदिवासी लोगों के लिए आवासीय योजनाएँ, कौशल विकास केंद्र और स्वरोजगार योजनाएँ लागू की जाएँ।

89. प्रवासी आदिवासियों के लिए शहरी रोजगार और शिक्षा योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जाए।

औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने जनजातीय समाज के लिए नई संभावनाएँ और अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन इसके साथ ही विस्थापन, सांस्कृतिक क्षरण और सामाजिक-आर्थिक असमानता जैसी चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। सरकार और समाज को इस दिशा में संतुलित विकास नीति अपनाने की आवश्यकता है ताकि आदिवासी समाज का समावेशी विकास हो सके और उनकी पारंपरिक पहचान भी सुरक्षित रहे।

जनजातीय समाज के संरक्षण और संवर्धन की योजनाएँ

भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने जनजातीय समुदायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई योजनाएँ शुरू की हैं। ये योजनाएँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्कृति संरक्षण, आर्थिक विकास और सामाजिक सशक्तिकरण से संबंधित हैं।

1. शिक्षा और कौशल विकास योजनाएँ

(1) एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (मंडै) योजना

90. 1997-98 में शुरू की गई इस योजना के तहत जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए आदिवासी बहुल जिलों में आवासीय विद्यालय खोले जाते हैं।
91. प्रत्येक जिले में कम से कम एक मंडै स्थापित करने का लक्ष्य है।
- (ठ) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
92. अनुसूचित जनजाति (ज) के छात्रों को 10वीं कक्षा के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
93. इसका लाभ कॉलेज, विश्वविद्यालय, मेडिकल और इंजीनियरिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को मिलता है।
- (ब) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (चड्ज़टल)
12. जनजातीय युवाओं को तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए शुरू की गई योजना।
13. उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार योग्य बनाया जाता है।
- (क) ज्ञानोदय योजना (छत्तीसगढ़ सरकार)
14. राज्य सरकार द्वारा आदिवासी छात्रों के लिए विशेष शिक्षण केंद्र खोले गए हैं।
15. इसके तहत छात्रवृत्ति, मुफ्त किताबें और कोचिंग सुविधा दी जाती है।
2. स्वास्थ्य और पोषण योजनाएँ
- (।) विशेष केंद्रीय सहायता योजना (ब। जव जैच)
16. आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने और मल्टी-स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा सहायता दी जाती है।
17. इस योजना का लाभ दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मिलता है।
- (ठ) पोषण अभियान
18. गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और किशोरियों के लिए सुपोषण अभियान चलाया जाता है।
19. छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत आदिवासी बच्चों को पौष्टिक भोजन और कुपोषण मुक्ति कार्यक्रम दिया जा रहा है।
- (ब) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (छम्ड)
20. जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्रों और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों की स्थापना की गई।

21. आदिवासियों को मुफ्त टीकाकरण, मातृ एवं शिशु देखभाल, और आयुष्मान भारत योजना के तहत बीमा कवर दिया जाता है।

### 3. आर्थिक और रोजगार योजनाएँ

#### (I) वन धन योजना

94. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2018 में शुरू की गई यह योजना आदिवासी समुदायों को वन उत्पादों से आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए है।

95. आदिवासियों को वन उपजों (हर्बल उत्पाद, लघु वनोपज, जड़ी-बूटियाँ) को बेहतर मूल्य पर बेचने की सुविधा दी जाती है।

#### (ठ) ट्राइफेड (जुष्टम्ब) योजना

96. यह योजना आदिवासियों के बनाए हुए हस्तशिल्प, हथकरघा और वन उत्पादों को बाजार में बेचने में मदद करती है।

97. "जुष्टम्ब पदकप" स्टोर्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आदिवासी उत्पाद बेचे जाते हैं।

#### (ड) प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (छड।ळल)

98. इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति (ज) बहुल गाँवों का समग्र विकास किया जाता है।

99. सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं।

#### (व) छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना

100. गाय के गोबर से जैविक खाद बनाने और उसे सरकार द्वारा खरीदने की योजना।

101. इससे आदिवासी किसानों और पशुपालकों को अतिरिक्त आय प्राप्त होती है।

### 4. सांस्कृतिक संरक्षण और संवर्धन योजनाएँ

#### (I) जनजातीय कला एवं संस्कृति संवर्धन योजना

102. यह योजना आदिवासी नृत्य, संगीत, चित्रकला, और शिल्पकला के संरक्षण और प्रचार के लिए है।

103. आदिवासी महोत्सव और हस्तशिल्प मेले आयोजित किए जाते हैं।

#### (ठ) पेसा अधिनियम (चै।।बज, 1996)

यह कानून आदिवासियों को उनके परंपरागत संसाधनों पर अधिकार देने के लिए बना है।

ग्राम सभाओं को स्थानीय प्रशासन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का अधिकार दिया जाता है।

(ब) मुख्यमंत्री लोक कला प्रोत्साहन योजना (छत्तीसगढ़ सरकार)

जनजातीय लोक कलाओं जैसे गोंड पेंटिंग, बस्तर धातु कला, लकड़ी शिल्प, और नृत्य-संगीत को बढ़ावा देने के लिए।

कलाकारों को आर्थिक सहायता और प्रशिक्षण दिया जाता है।

5. पर्यावरण संरक्षण और आजीविका योजनाएँ

(1) राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (छ।च)

वनों को पुनर्जीवित करने और आदिवासी समुदायों को वन संरक्षण में शामिल करने के लिए यह योजना लागू की गई।

इसमें संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (श्रृंख) के माध्यम से आदिवासियों को वनीकरण योजनाओं से जोड़ा जाता है।

(ठ) आदिवासी विकास योजना (छत्तीसगढ़)

बस्तर, सरगुजा और अन्य वन क्षेत्रों में जैविक खेती, वनोपज व्यापार, और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्यों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनजातीय समाज के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

हालाँकि, इन योजनाओं का सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और आदिवासी समाज की भागीदारी बढ़ाना आवश्यक है ताकि वे अपने अधिकारों और संसाधनों पर आत्मनिर्भर हो सकें।

छत्तीसगढ़ की जनजातीय  
संस्कृति

### इकाई 3 :

#### जनजातीय सामाजिक संगठन

जनजातीय समाज अपने अद्वितीय सामाजिक संगठन, परंपराओं और रीति-रिवाजों के लिए जाना जाता है। इनका सामाजिक ढांचा मुख्य रूप से सामूहिकता, समानता और परंपरागत नियमों पर आधारित होता है।

#### परिचय

जनजातीय सामाजिक संगठन उन समुदायों के समूह को संदर्भित करता है जो सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित रखने के लिए पारंपरिक मान्यताओं, रीति-रिवाजों और संबंधों पर आधारित होते हैं। इन संगठनों में नातेदारी, विवाह, परिवार, वंश समूह, गोत्र आदि का विशेष महत्व होता है।

#### जनजातीय समाज की विशेषताएँ

104. जनजातीय समाज आमतौर पर रिश्तेदारी और वंश के आधार पर संगठित होते हैं।
105. इनमें शासन जनजातीय परिषद या बुजुर्गों के माध्यम से किया जाता है।
106. अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से शिकार, संग्रहण, पशुपालन और कृषि पर आधारित होती है।
107. इन समाजों में विशिष्ट पहचान की भावना होती है, जो इन्हें एकजुट रखती है।
108. सामाजिक संगठन सामुदायिक जीवन और परंपराओं के आधार पर चलता है।

#### भारत के प्रमुख जनजातीय समुदाय

109. गोंड
110. भील
111. संथाल
112. मुंडा
113. खासी
114. गारो
115. अंगामी
116. भूटिया
117. चेंचू
118. कोडाबा

जनजातीय समाज में सामाजिक संगठन

जनजातीय समाज में गोत्र संगठन, नातेदारी, विवाह, परिवार और वंश समूह महत्वपूर्ण घटक होते हैं।

#### गोत्र संगठन

119. प्रत्येक जनजाति का कोई न कोई गोत्र अवश्य होता है।

120. एक ही गोत्र के लोग आपस में भाई-बहन माने जाते हैं।

#### विवाह एवं परिवार व्यवस्था

121. अधिकांश जनजातीय समाजों में अपने समुदाय के भीतर विवाह की प्रथा होती है।

122. संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित होती है।

#### आर्थिक क्रियाएँ

22. संकलन, शिकार, पशुपालन, मछली पकड़ना, दस्तकारी और कृषि इनके मुख्य आजीविका के साधन हैं।

#### जनजातीय समाज में कला और संस्कृति

23. जनजातीय समाज की कला, संस्कृति और परंपराएँ उनके जीवन, प्रकृति और समाज से गहराई से जुड़ी होती हैं।

24. संगीत और नृत्य धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

25. कुछ जनजातियों में 'युवागृह' नामक संस्था होती है, जहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

#### जनजातीय सामाजिक संगठन का महत्व

26. सामुदायिक भावना और सहयोग: यह संगठन व्यक्तियों को एक साथ लाकर समर्थन और सहयोग प्रदान करता है।

27. सांस्कृतिक पहचान और विरासत: जनजातीय संस्कृति, रीति-रिवाज और परंपराएँ संरक्षित रहती हैं।

28. सामाजिक नियंत्रण और न्याय: जनजातीय पंचायतें न्याय प्रदान करने में मदद करती हैं।

29. आर्थिक सहयोग: कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी में परस्पर सहयोग मिलता है।

30. शिक्षा और विकास: शिक्षा और कौशल विकास के लिए मंच प्रदान करता है।

31. राजनीतिक संगठन: जनजातियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में मदद करता है।

32. पर्यावरण संरक्षण: प्रकृति संरक्षण में जनजातियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

#### सरकारी संगठन एवं योजनाएँ

छत्तीसगढ़ की जनजातिय  
संस्कृति

सरकार जनजातीय समाज के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए कई योजनाएँ और संगठन संचालित करती है:

छत्तीसगढ़ में जनजातीय सामाजिक संगठन

33. छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग: अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा और विकास के लिए नीतियाँ बनाता है।

34. जनजातीय सलाहकार परिषद: अनुसूचित जनजातियों से संबंधित नीतियों की अनुशंसा करने वाली परिषद।

35. आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग: जनजातीय समुदायों के लिए योजनाएँ और कार्यक्रम लागू करता है।

36. छत्तीसगढ़ जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (ब्लज्ज): जनजातीय संस्कृति, भाषा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर शोध करता है।

वन अधिकार अधिनियम और आर्थिक विकास

37. वन अधिकार अधिनियम जनजातीय समाजों के भूमि अधिकारों को सुनिश्चित करता है।

38. छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम आर्थिक विकास में सहायक है।

जनजातीय गौरव दिवस और सम्मान

123. जनजातीय गौरव दिवस: भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया जाता है।

124. गुरु घासीदास सम्मान: सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है।

जनजातीय सामाजिक संगठन जनजातियों की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संरचना को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए सरकार और गैर-सरकारी संगठन मिलकर कार्य कर रहे हैं, जिससे इन समुदायों का सतत विकास सुनिश्चित किया जा सके।

जनजातीय समाज की संरचना और पारिवारिक व्यवस्था

छत्तीसगढ़ भारत का एक प्रमुख जनजातीय बहुल राज्य है, जहाँ की लगभग 30.6: जनसंख्या विभिन्न जनजातियों से संबंधित है। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ गोंड, मुरिया, माडिया, हल्बा, बैगा, उरांव, कंवर, भुंजिया, बिरहोर, कमार, अबूझमाडिया आदि हैं। ये जनजातियाँ अपनी विशिष्ट सामाजिक संरचना, पारिवारिक व्यवस्था, रीति-रिवाज, परंपराओं और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जानी जाती हैं।

1. जनजातीय समाज की संरचना

छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज की संरचना सामूहिकता, परंपरागत जीवनशैली और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता पर आधारित होती है। इनके सामाजिक संगठन में गाँव प्रमुख इकाई होता है, जिसमें निर्णय लेने की प्रक्रिया सामूहिक होती है।

(I) सामाजिक संगठन

## 1. सामूहिकता और परंपरागत जीवनशैली

125. जनजातीय समाज सामूहिक रूप से कार्य करता है और उनका जीवन परंपरागत रीति-रिवाजों से संचालित होता है।

126. प्रत्येक जनजाति की अपनी विशिष्ट संस्कृति, भाषा, धार्मिक मान्यताएँ और सामाजिक नियम होते हैं, जो उनके संगठन को प्रभावित करते हैं।

127. विवाह, त्योहार, उत्सव और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण होती है।

128. जनजातीय समुदायों में सामुदायिक स्वामित्व की परंपरा पाई जाती है, जहाँ भूमि, जंगल और जल संसाधनों पर पूरे गाँव का अधिकार होता है।

129. बाहरी प्रभावों के बावजूद ये जनजातियाँ अपनी पारंपरिक मान्यताओं और सामाजिक संगठन को बनाए रखने का प्रयास कर रही हैं।

## 2. प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता

छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, वनोपज संग्रह, शिकार और मछली पकड़ने पर आधारित होती है।

### 130. कृषि और वनोपज संग्रह:

1. गोंड और बैगा जनजातियाँ झूम खेती (पजिपदह बसजपअंजपवद) करती हैं, जिसमें जंगल के किसी हिस्से को काटकर वहाँ अस्थायी रूप से खेती की जाती है और कुछ वर्षों बाद नया क्षेत्र चुना जाता है।

2. हल्बा और उरांव जनजातियाँ स्थायी कृषि अपनाती हैं और धान, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी जैसी फसलें उगाती हैं।

3. कुछ जनजातियाँ मधुमक्खी पालन, वनोपज संग्रह (महुआ, तेंदू पत्ता, साल बीज आदि) और पशुपालन में संलग्न होती हैं।

### 131. शिकार और मछली पकड़ना

1. पारंपरिक रूप से जनजातीय लोग शिकार और मछली पकड़ने को भोजन का एक प्रमुख स्रोत मानते थे।

2. हालांकि, अब कानूनी प्रतिबंधों के कारण शिकार की परंपरा में कमी आई है।

### 132. वन और जल संसाधनों का महत्व

1. जंगल जनजातियों के लिए जीवनरेखा की तरह हैं, जहाँ से वे लकड़ी, औषधीय पौधे और खाद्य सामग्री प्राप्त करते हैं।

2. जल स्रोतों (झरने, नदी, तालाब) का उपयोग सिंचाई, मत्स्य पालन और दैनिक उपयोग के लिए किया जाता है।

## 3. समानता और सरल समाज

छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज सामाजिक समानता पर आधारित होता है, जहाँ जातिवाद और ऊँच-नीच का भेदभाव नगण्य होता है।

133. यहाँ के समुदायों में संपत्ति, संसाधनों और कार्यों का समान वितरण किया जाता है।

134. जनजातीय समाज में सामूहिक निर्णय-प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया जाता है, जहाँ पंचायतों के माध्यम से सामुदायिक समस्याओं का समाधान किया जाता है।

135. इन समाजों में महिलाओं को भी निर्णय लेने में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है।

## 4. पारंपरिक ग्राम संगठन

छत्तीसगढ़ की जनजातियों में पारंपरिक ग्राम संगठन बहुत ही सशक्त और प्रभावी होता है।

### 136. ग्राम सभा या गोत्र परिषद

1. प्रत्येक जनजातीय गाँव में पारंपरिक ग्राम पंचायत होती है, जिसे ग्राम सभा या गोत्र परिषद कहते हैं।

2. यह पंचायत गाँव के बुजुर्गों और मुखिया (माझी, मांडवी, पटेल, सिरहा, बैगा) द्वारा संचालित की जाती है।

3. यह संगठन भूमि विवाद, विवाह, अपराध, और सामाजिक मामलों में निर्णय लेने का कार्य करता है।

### 137. पेसा अधिनियम (1996)

1. "पंचायती राज व्यवस्था के विस्तार (चै।) अधिनियम, 1996" के तहत छत्तीसगढ़ के जनजातीय क्षेत्रों को स्वशासन का अधिकार दिया गया है।

2. इस कानून के तहत ग्राम सभाओं को निर्णय लेने की शक्ति दी गई है, जिससे वे बाहरी हस्तक्षेप से बच सकें।

## 2. पारिवारिक व्यवस्था

### (1) परिवार का स्वरूप

छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन अधिक देखा जाता है।

### 138. संयुक्त परिवार प्रणाली

1. अधिकांश जनजातियों में संयुक्त परिवार प्रणाली पाई जाती है, जहाँ तीन-चार पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं।

2. परिवार के सभी सदस्य कृषि, पशुपालन और घर के कामों में योगदान देते हैं।

3. संपत्ति और संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व होता है और सभी को समान अधिकार प्राप्त होते हैं।

(ठ) पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक व्यवस्थाएँ

139. अधिकांश जनजातियाँ पितृसत्तात्मक होती हैं, जैसे कि गोंड, मुरिया, हल्बा, उरांव, जहाँ पिता परिवार का प्रमुख होता है।

140. कुछ जनजातियाँ मातृसत्तात्मक भी हैं, जहाँ संपत्ति का उत्तराधिकार महिलाओं को मिलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह परंपरा ज्यादा प्रचलित नहीं है।

(ब) वंश परंपरा

141. अधिकतर जनजातियों में पितृवंशीय प्रणाली प्रचलित होती है, जहाँ बच्चे पिता का गोत्र अपनाते हैं।

142. कुछ जनजातियाँ गोत्र-आधारित संगठन का पालन करती हैं, जिससे विवाह और अन्य सामाजिक संबंधों का निर्धारण किया जाता है।

(क) आवास और जीवनशैली

143. जनजातीय समाज के घर बाँस, लकड़ी, मिट्टी और पत्तों से बनाए जाते हैं।

144. घर आमतौर पर पर्यावरण-अनुकूल होते हैं और इन्हें मौसम के अनुसार बनाया जाता है।

145. घरों के पास ही पशुपालन और कृषि कार्यों के लिए भूमि होती है।

छत्तीसगढ़ का जनजातीय समाज सामूहिकता, परंपरागत रीति-रिवाजों और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित है। इनकी पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार प्रणाली, पितृसत्तात्मक समाज और वंशानुगत परंपराओं से जुड़ी होती है। हालाँकि, औद्योगीकरण और शहरीकरण के प्रभाव से जनजातीय समाज में कई बदलाव हो रहे हैं, फिर भी ये समुदाय अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत और पारंपरिक न्याय प्रणाली

1. ग्राम पंचायत की संरचना

छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज में ग्राम पंचायत एक पारंपरिक और स्वायत्त संस्था के रूप में कार्य करती है। यह न केवल प्रशासनिक बल्कि सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक भूमिका भी निभाती है।

146. ग्राम सभा का महत्व: ग्राम सभा स्थानीय शासन की मूल इकाई होती है, जिसमें गाँव के सभी वयस्क सदस्य शामिल होते हैं। यह निर्णय लेने, विवाद सुलझाने और विकास योजनाओं पर विचार करने का कार्य करती है।

147. ग्राम पंचायत का नेतृत्व:

1. जनजातीय समाज में पंचायत का नेतृत्व गाँव के मुखिया द्वारा किया जाता है।

2. अलग-अलग जनजातियों में इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसेकृ

1. गोंड जनजाति: पाटेल, मांडवी, मेहतर

2. हल्बा जनजाति: मांझी

3. बैगा जनजाति: बैगा मुखिया

4. उरांव जनजाति: परगनैत

5. कंवर जनजाति: सिरहा या गुनिया

148. पारंपरिक पंच परिषद: कई जनजातीय समुदायों में “गोटूल” जैसी संस्थाएँ होती हैं, जो सामाजिक जीवन और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

2. पारंपरिक न्याय प्रणाली

छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज में न्याय प्रणाली पारंपरिक रीति-रिवाजों, लोक परंपराओं और सामाजिक सहमति पर आधारित होती है।

न्याय प्रक्रिया:

व विवादों का निपटारा पंचायत या ग्राम सभा में सामूहिक रूप से किया जाता है।

व निर्णय लेने में मुखिया, बुजुर्गों और अनुभवी लोगों की अहम भूमिका होती है।

व सामान्यतः पंचायत का निर्णय अंतिम माना जाता है, लेकिन कभी-कभी विवादों के समाधान के लिए उच्च स्तर की पंचायतों का सहारा लिया जाता है।

□ सजा और दंड प्रणाली:

व आर्थिक दंड (अर्थदंड या जुर्माना)

व सामाजिक बहिष्कार (दोषी व्यक्ति का समाज से निष्कासन)

व सामूहिक भोज का आयोजन (सुलह के लिए)

व पशु बलि (कुछ जनजातियों में मान्य)

व सार्वजनिक माफी (गलती स्वीकार करने पर माफी दी जाती है)

पेसा अधिनियम (1996) का प्रभाव:

व “पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996” (चै।) के तहत जनजातीय क्षेत्रों में ग्राम सभा को अधिक अधिकार दिए गए हैं।

व इससे ग्राम पंचायतों को अपने पारंपरिक न्यायिक अधिकारों को संरक्षित करने और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने में मदद मिली है।

व ग्राम सभाएँ अब भूमि अधिग्रहण, वन संसाधनों के प्रबंधन और स्थानीय विवादों के समाधान में निर्णायक भूमिका निभा रही हैं।

छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज में ग्राम पंचायत और पारंपरिक न्याय प्रणाली का गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। यह प्रणाली न केवल स्थानीय शासन को मजबूत करती है, बल्कि जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और परंपराओं को भी संरक्षित करती है। चै। अधिनियम ने इसे संवैधानिक मान्यता देकर और अधिक सशक्त बनाया है, जिससे जनजातीय समाज को स्वशासन और न्याय व्यवस्था में आत्मनिर्भरता मिली है।

छत्तीसगढ़ में जनजातीय विवाह, पारंपरिक रीति-रिवाज और संस्कार

छत्तीसगढ़ में विभिन्न जनजातीय समुदाय निवास करते हैं, जिनमें गोंड, बैगा, उरांव, हल्बा, कंवर, कोरकू, मुरिया, संथाल, भुंजिया आदि प्रमुख हैं। इन जनजातियों की सामाजिक संरचना, विवाह प्रथा, धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार अद्वितीय होते हैं, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान को परिभाषित करते हैं।

### (I) विवाह प्रणाली

छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज में विवाह एक सामाजिक अनुबंध है, जो पारिवारिक सहमति और सामुदायिक मान्यताओं पर आधारित होता है। विवाह से जुड़ी कई प्रथाएँ और परंपराएँ आज भी प्रचलित हैं।

#### 1. विवाह की प्रक्रिया

सामूहिक स्वीकृति: विवाह आमतौर पर परिवार और समुदाय की स्वीकृति से होते हैं।

जाति पंचायत की भूमिका: कुछ जनजातियों में जाति पंचायत (गोत्र पंचायत) विवाह की अनुमति प्रदान करती है और विवाह संबंधी विवादों को सुलझाती है।

मांगलिक रीति-रिवाज: विवाह समारोह में पारंपरिक नृत्य, संगीत, लोकगीत, और सामूहिक भोज का विशेष महत्व होता है।

#### 2. विवाह के प्रकार

छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज में विभिन्न प्रकार के विवाह प्रचलित हैं।

सहमति विवाह (प्रेम विवाह):

व युवक और युवती की पारस्परिक सहमति से होने वाले विवाह को मान्यता प्राप्त है।

व गोंड, उरांव, बैगा और हल्बा जनजातियों में प्रेम विवाह स्वीकृत है।

व परिवार और समुदाय की सहमति के बाद विवाह संपन्न होता है।

सेवा विवाह (घुरवा विवाह):

व इसमें युवक को विवाह से पहले लड़की के परिवार के लिए कार्य करना पड़ता है।

व गोंड और संथाल जनजातियों में यह प्रथा प्रचलित है।

व सेवा की अवधि पूरी होने के बाद विवाह संपन्न होता है।

घुसपैठ विवाह (भगोड़ा विवाह):

व युवक युवती को भगाकर विवाह करता है।

व विवाह के बाद जाति पंचायत द्वारा इस विवाह को सामाजिक मान्यता दी जाती है।

व यह विवाह आमतौर पर बैगा, हल्बा और उरांव जनजाति में देखने को मिलता है।

विनिमय विवाह (बदला विवाह):

व इसमें एक परिवार से लड़के और लड़की की अदला-बदली कर विवाह किया जाता है।

व यह प्रथा मुख्यतः गोंड और कंवर जनजाति में देखी जाती है।

अनुवांशिक विवाह (गोत्र विवाह प्रतिबंधित):

व अधिकांश जनजातियों में एक ही गोत्र में विवाह निषिद्ध होता है।

व बहिर्विवाह (म्वहंउल) प्रथा अधिक प्रचलित है।

(ठ) विवाह से जुड़े रीति-रिवाज

दहेज प्रथा का अभाव

व छत्तीसगढ़ के जनजातीय समाज में दहेज प्रथा प्रचलित नहीं है।

व इसके बजाय, विवाह में पारस्परिक सहयोग और सामूहिक भोज पर ध्यान दिया जाता है।

वधू मूल्य (ठतपकम च्त्तपबम)

व कुछ जनजातियों में वर पक्ष वधू पक्ष को धन, पशु, अनाज, वस्त्र या अन्य उपहार देता है।

व यह परंपरा मुख्यतः गोंड, उरांव और मुरिया जनजातियों में प्रचलित है।

संगीत और नृत्य का महत्व

व विवाह संस्कार में पारंपरिक नृत्य और संगीत की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

व विवाह के दौरान "करमा नृत्य," "सैला नृत्य," "सुग्गी नृत्य," और "डोकरा नृत्य" किए जाते हैं।

व लोकगीत और मांदर की ध्वनि से विवाह समारोह जीवंत बन जाता है।

बे) अन्य संस्कार और परंपराएँ

1. जन्म संस्कार

नवजात शिशु का नामकरण सामूहिक रूप से होता है।

गोंड जनजाति में बच्चे का नाम ज्योतिषीय गणना से रखा जाता है।

कुछ जनजातियों में शिशु को जन्म के बाद गोद में लेने की रस्म होती है।

बच्चे का पहला अनाज ग्रहण करने का उत्सव भी मनाया जाता है।

2. मृत्यु संस्कार

149. जनजातियों में मृतकों के अंतिम संस्कार की विभिन्न परंपराएँ हैं।

150. गोंड और उरांव जनजातियों में शव को जलाने की परंपरा है।

151. बैगा, हल्बा और कंवर जनजातियों में शव को दफनाने की प्रथा अधिक प्रचलित है।

152. मृत्यु के बाद सामूहिक भोज का आयोजन किया जाता है, जिसे “तीजा” कहा जाता है।

153. कुछ समुदायों में मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा की शांति के लिए अनुष्ठान किए जाते हैं।

### 3. धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएँ

154. छत्तीसगढ़ की जनजातियों में कई धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएँ देखने को मिलती हैं।

155. त्योहारों और धार्मिक अनुष्ठानों में बलि प्रथा प्रचलित है।

1. गोंड और बैगा जनजाति में “नरबलि” प्रथा समाप्त हो चुकी है, लेकिन पशु बलि अभी भी जारी है।

2. देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बकरा, मुर्गा या सुअर की बलि दी जाती है।

156. प्राकृतिक पूजक होने के कारण जनजातियाँ नदी, पर्वत, वृक्ष, सूर्य और चंद्रमा की पूजा करती हैं।

157. विशेष पर्व और त्योहारों में देवी-देवताओं की पूजा के साथ लोकनृत्य और गीतों का आयोजन किया जाता है।

छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ अपनी पारंपरिक विवाह प्रणाली, रीति-रिवाजों और धार्मिक संस्कारों के कारण एक विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान बनाए हुए हैं। विवाह के मामले में यहाँ प्रेम विवाह, सेवा विवाह और विनिमय विवाह जैसी प्रथाएँ देखने को मिलती हैं। मृत्यु और जन्म से जुड़े संस्कार भी विशेष रीति-रिवाजों के तहत संपन्न होते हैं। पारंपरिक गीत, नृत्य और अनुष्ठान जनजातीय समाज की जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा हैं। इन परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन से छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति को मजबूती मिलती है।

छत्तीसगढ़ में जनजातीय महिलाओं की स्थिति और उनकी भूमिका

छत्तीसगढ़ की जनजातीय महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। वे परिवार और समुदाय की रीढ़ होती हैं और विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। जनजातीय समाज में महिलाओं की स्थिति मुख्यधारा की समाज से भिन्न होती है, जहाँ उन्हें अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होती है।

### (I) महिलाओं की सामाजिक स्थिति

158. सामाजिक स्वतंत्रता और समानता

1. जनजातीय समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होते हैं।

2. वे सामाजिक और पारिवारिक निर्णयों में भाग लेती हैं।

3. विवाह, संपत्ति अधिकार और पारंपरिक न्याय प्रणाली में उनकी भूमिका होती है।

159. विवाह और परिवार में भूमिका

1. विवाह में महिला की सहमति को महत्व दिया जाता है।

2. कई जनजातियों में विवाह पूर्व संबंधों को सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है।

3. महिला को तलाक और पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त होता है।

160. पारंपरिक रीति-रिवाज और धार्मिक भूमिकाएँ

1. महिलाएँ पारंपरिक नृत्य, गीत और धार्मिक अनुष्ठानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

2. देवी पूजा, फसल उत्सव और लोकपर्वों में उनकी भागीदारी अनिवार्य होती है।

(ठ) आर्थिक भूमिका

161. कृषि और वन उत्पाद संग्रह

1. जनजातीय महिलाएँ कृषि कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं।

2. वे वनों से महुआ, तेंदूपत्ता, चार बीज, साल बीज, शहद और औषधीय जड़ी-बूटियों का संग्रह करती हैं।

3. यह वन उपज उनकी आर्थिक स्वतंत्रता का प्रमुख स्रोत है।

162. हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग

1. महिलाएँ बांस और मिट्टी के उत्पाद, डोकरा धातु कला, पारंपरिक वस्त्र बुनाई और गहनों का निर्माण करती हैं।

2. वे स्थानीय हाट-बाजारों में अपने उत्पाद बेचती हैं और आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनती हैं।

163. पशुपालन और मत्स्य पालन

1. अधिकांश जनजातीय महिलाएँ पशुपालन और मत्स्य पालन में संलग्न रहती हैं।

2. वे दूध, अंडे और मछली उत्पादन द्वारा परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करती हैं।

(ड) राजनीतिक भूमिका

164. ग्राम सभा और पंचायत में भागीदारी

1. महिलाएँ ग्राम पंचायत और पारंपरिक न्याय प्रणाली में भाग लेती हैं।

2. "पेसा अधिनियम (1996)" के तहत महिलाओं को ग्रामसभा में भागीदारी का अधिकार मिला है।

## 165. महिला नेतृत्व और सामाजिक सुधार

1. कई जनजातीय समुदायों में महिलाएँ सामाजिक कार्यों का नेतृत्व करती हैं।
2. वे शराबबंदी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आंदोलन करती हैं।

## (क) शिक्षा और स्वास्थ्य

## 25. शिक्षा की स्थिति

1. साक्षरता दर में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी जनजातीय महिलाओं में शिक्षा का स्तर कम है।
2. सरकारी योजनाओं के माध्यम से बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है।

## 26. स्वास्थ्य और पोषण

1. स्वास्थ्य सुविधाओं तक सीमित पहुँच के कारण जनजातीय महिलाओं में कुपोषण, प्रसूति मृत्यु दर और एनीमिया जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं।
2. सरकार द्वारा “जननी सुरक्षा योजना” और “आंगनवाड़ी केंद्रों” के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।

## (ख) चुनौतियाँ और समाधान

## 27. मुख्यधारा के समाज से अलगाव

1. जनजातीय महिलाएँ अभी भी शिक्षा और आधुनिक सुविधाओं से दूर हैं।
2. उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है।

## 28. स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी

1. दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सीमित है।
2. अधिक मेडिकल कैंप, पोषण योजनाएँ और मातृ-शिशु देखभाल केंद्रों की आवश्यकता है।

## 29. आर्थिक असमानता और रोजगार के अवसर

1. महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों और स्वरोजगार योजनाओं की जरूरत है।
2. सरकारी योजनाओं जैसे “राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन” का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ की जनजातीय महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। वे कृषि, वन उत्पाद, हस्तशिल्प, पशुपालन, और पारंपरिक न्याय प्रणाली में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। हालाँकि, उन्हें अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उचित सरकारी

## छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति

योजनाओं और सामुदायिक प्रयासों से इन चुनौतियों को दूर कर जनजातीय महिलाओं को और सशक्त बनाया जा सकता है।

जनजातियों में अंतर्जातीय और अंतरजातीय संबंध (छत्तीसगढ़ के संदर्भ में विस्तृत अध्ययन)

छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ अपनी विशिष्ट परंपराओं, रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक पहचान के लिए जानी जाती हैं। इन जनजातियों में सामाजिक संबंधों का निर्धारण परंपरागत नियमों, धार्मिक मान्यताओं और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर होता है। जनजातीय समाज में अंतर्जातीय और अंतरजातीय संबंध समय के साथ विकसित हुए हैं, जिससे उनके सामाजिक ताने-बाने और जीवनशैली में परिवर्तन आया है।

### (I) अंतर्जातीय संबंध (पदजतंतपइंस त्मसंजपवदे)

अंतर्जातीय संबंध का अर्थ एक ही जनजाति के विभिन्न समूहों (उपजातियों, कबीलाई संरचनाओं, गोत्रों) के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क से है। छत्तीसगढ़ में गोंड, बैगा, हल्बा, उरांव, कंवर, मुरिया, माड़िया, कमार, अबूझमाड़िया जैसी प्रमुख जनजातियाँ हैं, जिनकी अपनी विशिष्ट परंपराएँ और सामाजिक संरचनाएँ हैं।

#### 1. विवाह संबंध

30. अधिकांश जनजातियों में गोत्र-आधारित विवाह नियम होते हैं, जहाँ समान गोत्र में विवाह वर्जित होता है।

31. विवाह के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं:

1. सहमति विवाह: युवा पुरुष और महिला की सहमति से विवाह।
2. सेवा विवाह: वर, विवाह से पूर्व वधू के परिवार के लिए कार्य करता है (गोंड, संधाल जनजाति)।
3. घुसपैठ विवाह: युवक युवती को भगाकर विवाह करता है।
4. विनिमय विवाह: दो परिवारों के बीच वर-वधू की अदला-बदली कर विवाह किया जाता है।

#### 2. पारिवारिक और सामाजिक संबंध

32. एक ही जनजाति के विभिन्न समूह सामूहिक जीवनशैली अपनाते हैं, जहाँ परस्पर सहयोग और सामुदायिक भावना का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

33. पारिवारिक निर्णयों में बुजुर्गों और पंचायत की भूमिका होती है।

#### 3. आर्थिक संबंध

34. कृषि, वनोपज संग्रह, पशुपालन और कारीगरी जैसे कार्यों में जनजातियों के विभिन्न उपसमूह आपसी सहयोग से कार्य करते हैं।

35. सामूहिक खेती और श्रमदान की परंपरा प्रचलित है।

36. हाट-बाजारों में आपसी वस्तु-विनिमय का चलन देखने को मिलता है।

#### 4. धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध

166. जनजातियों में सामूहिक पूजा पद्धति प्रचलित है, जिसमें ग्राम देवता, वन देवता और कुल देवताओं की पूजा होती है।

167. धार्मिक अनुष्ठानों में नृत्य, संगीत, बलि प्रथा और उत्सवों का महत्वपूर्ण स्थान होता है।

168. सामूहिक त्यौहार, जैसे कि मड़ई, पोला, कर्मा, सरहुल आदि पूरे जनजातीय समुदाय को एक सूत्र में बाँधते हैं।

#### (ठ) अंतरजातीय संबंध (पदजमतजतपइंस त्मसंजपवदे)

अंतरजातीय संबंधों का तात्पर्य विभिन्न जनजातियों और गैर-जनजातीय समुदायों के बीच आपसी संपर्क से है। छत्तीसगढ़ में जनजातियाँ मुख्य रूप से गैर-जनजातीय हिंदू, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम समुदायों के संपर्क में आई हैं, जिससे उनके सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ा है।

##### 1. विवाह संबंध

169. पहले जनजातियाँ अंतरजातीय विवाह से बचती थीं, लेकिन आधुनिकता, शिक्षा और सरकारी योजनाओं के प्रभाव से अब इनमें वृद्धि हुई है।

170. अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को कई बार सामाजिक विरोध का सामना करना पड़ता है, जिससे परिवारों के बीच संघर्ष उत्पन्न होते हैं।

171. कुछ मामलों में अंतरजातीय विवाह करने वालों को ग्राम पंचायत या समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाता है।

##### 2. आर्थिक संबंध

172. जनजातीय समुदायों के उत्पादों, जैसे कि महुआ, तेंदूपत्ता, लाख, शहद, दोना-पत्तल, आदि का व्यापार बाहरी व्यापारियों के माध्यम से होता है।

173. गैर-जनजातीय व्यापारी कई बार जनजातियों का शोषण करते हैं, जिससे वे ऋण-जाल में फँस जाते हैं।

174. कुछ जनजातीय लोग कृषि मजदूरी और निर्माण कार्यों में गैर-जनजातीय समुदायों के साथ काम करने लगे हैं।

##### 3. धार्मिक और सांस्कृतिक आदान-प्रदान

175. कई जनजातियाँ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और ईसाई धर्म से प्रभावित हुई हैं।

176. कुछ जनजातियों में हिंदू देवी-देवताओं की पूजा को स्वीकार किया गया है, जैसे कि गोंड जनजाति में शिव, दुर्गा और हनुमान की पूजा का प्रचलन बढ़ा है।

177. ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से कुछ जनजातियों में ईसाई धर्म को अपनाने की प्रवृत्ति देखी गई है, विशेष रूप से उरांव और मुंडा जनजातियों में।

##### 4. शिक्षा और राजनीतिक संबंध

178. सरकारी शिक्षा योजनाओं के कारण जनजातीय समुदायों के बच्चे गैर-जनजातीय बच्चों के साथ पढ़ने लगे हैं, जिससे आपसी मेल-जोल बढ़ा है।

179. राजनीतिक जागरूकता के कारण जनजातीय समुदाय अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो रहे हैं और अन्य समुदायों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

(ब) अंतर्जातीय और अंतरजातीय संबंधों से उत्पन्न चुनौतियाँ

1. पारंपरिक संस्कृति पर प्रभाव

बाहरी प्रभावों के कारण जनजातीय समाज की पारंपरिक जीवनशैली और रीति-रिवाजों में बदलाव आ रहा है।

विवाह, त्यौहार और धार्मिक अनुष्ठान अब बाहरी संस्कृति से प्रभावित हो रहे हैं।

2. सामाजिक संघर्ष

कई जनजातीय समुदायों में अंतरजातीय विवाह को स्वीकृति नहीं मिली, जिससे सामाजिक टकराव और हिंसा की घटनाएँ देखी गई हैं।

बाहरी समुदायों के साथ संपर्क बढ़ने से भूमि पर कब्जे और शोषण की घटनाएँ सामने आई हैं।

3. आर्थिक असमानता

जनजातीय समुदायों की भूमि और संसाधनों पर गैर-जनजातीय व्यापारियों और कंपनियों का कब्जा बढ़ रहा है।

वन अधिकार अधिनियम (2006) लागू होने के बावजूद जनजातियों को उनके पारंपरिक अधिकार नहीं मिल पाए हैं।

(क) समाधान और सुधार के प्रयास

1. शिक्षा और जागरूकता

जनजातीय समाज को शिक्षित कर उनके अधिकारों और परंपराओं के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए।

सरकारी योजनाओं के माध्यम से जनजातीय युवाओं को उच्च शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ा जाना चाहिए।

2. आर्थिक सशक्तिकरण

जनजातीय उत्पादों के उचित मूल्य के लिए सहकारी समितियों और सरकारी बाजारों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

स्वरोजगार योजनाओं के माध्यम से जनजातीय समुदायों को आत्मनिर्भर बनाया जाना चाहिए।

3. सामाजिक समरसता और संस्कृति संरक्षण

180. जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने के लिए विशेष योजनाएँ बनाई जानी चाहिए।

181. अंतरजातीय विवाह को सामाजिक स्वीकृति देने के लिए कानूनी संरक्षण और जागरूकता अभियान चलाने चाहिए।

छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ परंपरागत रूप से अपने भीतर अंतर्जातीय संबंधों को प्राथमिकता देती थीं, लेकिन आधुनिकता, शिक्षा और बाहरी प्रभावों के कारण अंतरजातीय संपर्क भी बढ़ा है। हालाँकि, इससे सांस्कृतिक परिवर्तन, आर्थिक असमानता और सामाजिक संघर्ष जैसी चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। अतः संतुलित नीति अपनाने की आवश्यकता है, जिससे जनजातीय समुदायों का समुचित विकास हो और उनकी विशिष्ट संस्कृति भी संरक्षित रह सके।

जनजातीय समाज ने भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता के लिए अहम योगदान दिया है। जनजातीय समाज ने कला, शिल्प, और सांस्कृतिक परंपराओं के जरिए भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया है। इसके अलावा, जनजातीय समाज ने स्वतंत्रता संग्राम में भी अहम भूमिका निभाई है।

जनजातीय समाज के सामाजिक योगदान:

संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण

जनजातीय समाज ने धातुकला, आभूषण, और वस्त्रों के जरिए भारतीय कलात्मकता को समृद्ध किया है।

स्वतंत्रता संग्राम

जनजातीय समाज ने जल, जंगल, और जमीन बचाने के लिए लड़ा। बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो, झानो मुर्मू, अल्लुरी सीतारमण राजू, सुरेंद्र साए, टंट्या भील, तेलंगा खड़िया जैसे वीरों ने अहम भूमिका निभाई।

आर्थिक योगदान

जनजातीय समाज ने शिकार, वनोपज संग्रहण, और कृषि के जरिए अपनी दैनिक जरूरतें पूरी की हैं।

जनजातीय समाज को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने कई पहल की हैं:

शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, और सामाजिक-आर्थिक विकास पर जोर दिया गया है।

आदिवासी संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिए टीआरआई की भूमिका अहम है।

आदिवासी समाजों के लिए स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

जनजातीय समाज का सांस्कृतिक योगदान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें कला, संगीत, नृत्य, लोक कथाएँ, पारंपरिक ज्ञान, और पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं, जो भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध करते हैं।

जनजातीय समाज के सांस्कृतिक योगदान के कुछ प्रमुख पहलू:

कला और शिल्प:

जनजातीय समाज अपनी कला और शिल्प के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि पेंटिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन, और हथकरघा.

संगीत और नृत्य:

जनजातीय समाज में विभिन्न प्रकार के संगीत और नृत्य हैं, जो उनके रीति-रिवाजों और परंपराओं को दर्शाते हैं.

लोक कथाएँ और कथाएँ:

जनजातीय समाज की लोक कथाएँ और कथाएँ उनके इतिहास, संस्कृति और मूल्यों को दर्शाती हैं.

पारंपरिक ज्ञान:

जनजातीय समाज के पास पारंपरिक ज्ञान का एक समृद्ध भंडार है, जैसे कि चिकित्सा, कृषि, और पर्यावरण संरक्षण.

पर्यावरण संरक्षण:

जनजातीय समाज पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं और उन्होंने हमेशा से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है.

जनजातीय समाज के सांस्कृतिक योगदान का महत्व:

सांस्कृतिक विविधता:

जनजातीय समाज भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध करते हैं.

पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण:

जनजातीय समाज के पास पारंपरिक ज्ञान का एक समृद्ध भंडार है, जिसे संरक्षित करने की आवश्यकता है.

पर्यावरण संरक्षण:

जनजातीय समाज पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं और उन्होंने हमेशा से पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया है.

सामाजिक न्याय:

जनजातीय समाज के अधिकारों और हितों की रक्षा करना महत्वपूर्ण है.

:

जनजातीय समाज का सांस्कृतिक योगदान भारत की सांस्कृतिक विविधता को समृद्ध करता है और पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है.

जनजातीय समाज का संगठन मुख्यतः रिश्तों, वंश और समुदाय के आधार पर होता है, जहाँ सामाजिक संरचनाएँ और सांस्कृतिक प्रथाएँ उनकी परंपराओं और पर्यावरण से जुड़ी होती हैं।

जनजातीय समाज की संरचना और संगठन की प्रमुख बातें:

रिश्तों और वंश पर आधारित:

जनजातीय समाज में रिश्तेदारी और वंश के बंधन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो सामाजिक संरचना को आकार देते हैं।

सामुदायिक स्वामित्व:

भूमि और संसाधनों का स्वामित्व आमतौर पर सामुदायिक होता है, न कि व्यक्तिगत।

पारंपरिक शासन:

जनजातीय समाज में शासन अक्सर एक जनजातीय परिषद या बुजुर्गों के माध्यम से होता है।

निर्वाह अर्थव्यवस्था:

जनजातीय समाज आमतौर पर शिकार, संग्रह या कृषि पर आधारित निर्वाह अर्थव्यवस्था पर निर्भर होते हैं।

साझा संस्कृति:

जनजातीय समाज में एक साझा संस्कृति, भाषा, रीति-रिवाज और परंपराएँ होती हैं।

सामाजिक संगठन:

जनजातीय समाजों में सामाजिक संगठन के लिए गोत्र, कबीले, या अन्य सामाजिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है।

जनजातीय समाज में पारंपरिक ज्ञान, जैसे कि चिकित्सा, कृषि और पर्यावरण प्रबंधन, महत्वपूर्ण होते हैं।

स्थानीयता:

जनजातीय समाज अक्सर एक विशिष्ट क्षेत्र या भू-भाग में रहते हैं और उस क्षेत्र के साथ उनका गहरा संबंध होता है।

पर्यावरण संरक्षण:

जनजातीय समाज पर्यावरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका ज्ञान पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने में मदद कर सकता है।

सशक्तीकरण:

जनजातीय समाज को सशक्त बनाने के लिए सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक विकास पर जोर देते हुए कई पहलों की शुरुआत की है।

जनजातीय गौरव दिवस:

15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय:

जनजातीय कार्य मंत्रालय जनजातीय समुदायों के विकास और कल्याण के लिए काम करता है.

टीआरआई:

जनजातीय मामलों पर अनुसंधान और दस्तावेजीकरण के लिए जनजातीय अनुसंधान संस्थान (टीआरआई) की स्थापना की गई है.

पीएम जनमन पहल:

2023-24 से टीआरआई को पीएम जनमन पहल के तहत शामिल कर दिया गया है.

जनजातीय भाषा, साहित्य और संगीत उनकी संस्कृति का अभिन्न अंग हैं, जो मौखिक परंपराओं, लोकगीतों, नृत्यों और कलाकृतियों के माध्यम से व्यक्त होते हैं, जो समुदाय की पहचान, इतिहास और मूल्यों को दर्शाते हैं।

जनजातीय भाषा:

जनजातीय समुदाय अपनी विशिष्ट भाषाओं और बोलियों का उपयोग करते हैं, जो भारत के विभिन्न भाषा परिवारों से संबंधित हो सकती हैं, जैसे कि द्रविड़, आस्ट्रो-एशियाई और चीनी-तिब्बती.

संथाली और गोंडी आदिवासी भाषाओं में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएँ हैं.

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार जनजातीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है.

जनजातीय भाषाओं में द्विभाषी शब्दकोश और त्रिभाषी प्रवीणता मॉड्यूल तैयार किए जाते हैं.

जनजातीय साहित्य:

जनजातीय साहित्य मौखिक परंपराओं और लोकगीतों पर आधारित होता है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं, अनुभवों और मूल्यों को व्यक्त करता है.

जनजातीय साहित्य में भावों की अभिव्यक्ति में बनावटीपन नहीं होता, बल्कि भावों का भदेसपन जनजातीय साहित्य की अपनी विशेषता है.

जनजातीय साहित्य को एकत्रित करने, अनुवाद या ट्रांसक्रिप्शन के माध्यम से संकलित करने का प्रयास किया जा रहा है.

भारत में लिखित आदिवासी साहित्य की शुरुआत बीसवीं सदी के आरंभिक दौर में होती है जब आदिवासी समुदाय आधुनिक शिक्षा के संपर्क में आते हैं.

जनजातीय संगीत और नृत्य:

जनजातीय संगीत और नृत्य उनके जीवन का अभिन्न अंग है, जो विभिन्न अवसरों पर, जैसे कि त्योहार, विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों पर किए जाते हैं.

जनजातीय संगीत में ऊँचे-नीचे स्वरों के साथ ऊँचा स्वर मान होता है.

जनजातीय नृत्य का प्रदर्शन सामान्यतः समूह में होता है और इस अवसर पर विशेष परिधान पहने जाते हैं।

प्रत्येक जनजाति का अपना विशेष नृत्य, विशिष्ट परिधान, संगीत और वाद्ययंत्र होता है।

जनजातीय गीतों में बड़ा ही मर्मस्पर्शी काव्य छिपा होता है।

नृत्य के साथ गीत का होना, समुदाय के द्वारा, समुदाय के लिए और समुदाय का होता है।

बैगा जनजाति के लोग दशहरा से वर्षारंभ तक नाच-गान करते हैं।

भील जनजाति समूह के लोग नृत्य को 'सोलो' या 'नास' कहते हैं।

कोरकू जनजाति के नृत्य प्रायः मिथकों पर आधारित और पर्व-प्रसंगों से जुड़े होते हैं।

भारिया जनजाति के लोगों को भड़म, सैतम और करम सैला आदि नृत्य प्रिय हैं।

सहरिया जनजाति में स्वांग अधिक लोकप्रिय है।

कोल, कोंदर और अन्य जनजातीय लोग भी विभिन्न अवसरों पर नृत्य-संगीत को विशेष महत्व देते हैं।

## छत्तीसगढ़ : आभूषण, वाद्ययंत्र, व्यंजन

छत्तीसगढ़ की जनजातिय  
संस्कृति

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विशेषता का सौंदर्य यहां के आभूषणों में निहित है । उम्र-वर्ग, सामाजिक दर्जे और भौगोलिक कारक से वर्गीकृत होता आभूषणों का भेद, इसे व्यापक और समृद्ध कर देता है । आभूषणों के रूप में सौंदर्य की कलात्मक चेतना का एक आयाम हजारों साल से जीवन्त है और आज भी सुनहरे-रूपहले पन्नों की तरह प्रकट है

प्राकृतिक एवं अचल श्रृंगार 'गोदना' से इसका प्रारंभिक सिरा खुलता है । टोने-टोटके, भूत-प्रेतादि से बचाव के लिए गोदना को जनजातीय कुटुम्बों में रक्षा कवच की तरह निवार्य माना जाता रहा है । अधिकतर स्त्रियां, पवित्रता की भावना एवं सौंदर्य के लिये गोदना गोदवाती हैं । फूल-पत्ती, कांच-कौड़ी से होती रुपाकार के आकर्षण की यह यात्रा निरंतर प्रयोग की पांत पर सवार है । गुफावासी आदि मानव के शैलचित्रों, हड़प्पाकालीन प्रतिमाओं, प्राचीन मृण्मूर्तियों से लेकर युगयुगीन कलावेशेषों में विभिन्न आकार-प्रकार के आभूषणों की ऐतिहासिकता दिखाई पड़ती है ।

मानव के श्रृंगार में यहां सोना, चांदी, लोहा, अष्टधातु, कांसा, पीतल, गिलट, जरमन और कुसकुट (मिश्र धातु) मिट्टी, काष्ठ, बांस, लाख के गहने प्रचलित हैं । सोलह श्रृंगारों में 'गहना' ग्रहण करने के अर्थ में है और 'आभूषण' का अर्थ अलंकरण है । जनजातीय आभूषणों पर गोत्र चिन्ह अंकित करने की प्रथा है । आभूषण-धार्मिक विश्वास, दार्शनिक चिंतन, सौंदर्य बोध और सामाजिक संगठन का भी परिचायक होता है ।

शिशु जन्म, विवाह जैसे मांगलिक और संस्कार अवसरों पर आभूषण लेन-देन तथा धारण करने की प्रथा विशेष रूप से है । आभूषणों को श्रृंगार के अलावा ग्रह-नक्षत्र, ज्योतिष प्रयोजन और एक्यूप्रेशर-एक्यूपंचर से भी जोड़ा जाता है, स्त्री-धन तो यह है ही । छत्तीसगढ़ में प्रचलित सुवा ददरिया गीतों में आभूषणों का उल्लेख रोचक ढंग से हुआ है । एक लोकगीत में बेटी सुवा नाचने जाने के लिए अपनी मां से उसके विभिन्न आभूषण मांगती है— 'दे तो दाई तोर गोड़ के पैरी, सुवा नाचे बर जाबोन' और इसी क्रम में हाथ के बहुंटा, घेंच के सूंता, माथ के टिकली, कान के खूंटी, हाथ के ककनी आदि जिक्र है ।

एरीर के विभिन्न हिस्सों में से सिर के परंपरागत आभूषण बाल, जूड़े व चोटी में धारण किए जाते हैं, जिसमें जंगली फूल, पंख, कौड़ियां, सिंगी, ककई-कंधी, मांगमोती, पटिया, बेंदी प्रमुख हैं । चेहरे पर टिकुली के साथ के साथ कान में ढार, तरकी, खिनवां, अयरिंग, बारी, फूलसंकरी, लुरकी, लवंग फूल, खूंटी, तितरी धारण की जाती है तथा नाक में फुल्ली, नथ, नथनी, लवंग, बुलाक धारण करने का प्रचलन है

सूंता, पुतरी, कलदार, सुर्रा, संकरी, तिलरी, हमेल, हंसली जैसे आभूषण गले में शोभित होते हैं । बाजू, कलाई और उंगलियों में चूरी, बहुंटा, कड़ा, हरैया, बनुरिया, ककनी,

नांमोरी, पटा, पहुंची, ऐंठी, मुंदरी (छपाही, देवराही, भंवराही) पहना जाता है। कमर में भारी और चौड़े कमरबंद—करधन पहनने की परंपरा है और पैरों में तोड़ा, सांटी, कटहर, चुरवा, चुटकी, बिछिया (कोतरी) पहना जाता है। बघनखा, ठुमड़ा, मटुला, मुंगुवा, ताबीज आदि बच्चों के आभूषण हैं, तो पुरुषों में चुरुवा, कान की बारी, गले में कंठी पहनने का चलन है।

छत्तीसगढ़ की संस्कृति में आभूषणों की पृथक पहचान व बानगी है। आदिम युग से ही प्राकृतिक और वानस्पतिक उत्पादन से लेकर सामाजिक विकास कम में बहुमूल्य धातु और रत्नों का प्रयोग होता रहा है। लकरी, बांस, फूल, पत्ती, पंख, कांच, कौड़ी और पत्थर जैसे अपेक्षाकृत स्वाभाविक और आकर्षक लगने वाले मोलरहित पदार्थों को सौंदर्य—बोध से अपनाकर उनसे सजा संवरा गौरव, सौंदर्य के फलस्वरूप है, वहीं बहुमूल्य धातुओं और रत्नों के विविध प्रयोग से छत्तीसगढ़ के आभूषण, राज्य की सांस्कृतिक और कलात्मक गौरव गाथा के समक्ष प्रतीक हैं।

छत्तीसगढ़ की आदिवासी एवं गैर आदिवासी मिश्रित संस्कृति का प्रभाव यहाँ की देह सज्जा शैली और पहने जाने वाले आभूषणों पर भी परिलक्षित होता है। विभिन्न रंगों की मिट्टी, हल्दी, सिन्दूर और चन्दन के लेपन से लेकर शरीर पर गुदना गुदवाना। पंखों, कौड़ियों, रंगीन धागों, रंग—बिरंगे मनकों, घांस और मोरपंखों से बनाये सरल उपादानों के प्रयोग करने के साथ विभिन्न धातुओं से तैयार किये गए गहनों से स्वयं को सजाना यहाँ लोकप्रिय रहा है।

छत्तीसगढ़ में आदिवासी एवं गैर आदिवासी समुदायों के लिए आभूषण बनाने का काम सदियों से सुनार, मलार और घड़वा शिल्पी करते आ रहे हैं। सोने—चांदी जैसी मूल्यवान धातुओं के गहने सुनार बनाते हैं जबकि पीतल और कांसा जैसी सामान्य धातुओं के आभूषण मलार और घड़वा धातु शिल्पी, धातु ढलाई पद्यति से तैयार करते हैं। सुनारों का काम मुख्यतः ग्रामीण, कस्बाई और नगरीय क्षेत्रों में अधिक है। बस्तर, रायगढ़ और सरगुजा के आंतरिक आदिवासी क्षेत्रों में घड़वा और मलारों के बनाये पीतल और कांसे के गहने प्रचलन में रहे। पीतल और कांसे के गहने अब भी अपने न्यूनतम स्तर बस्तर में चल रहे हैं, विशेषतौर पर देवी—देवताओं को चढ़ाये जाने वाले और आदिवासियों द्वारा विवाह के समय पहने जाने वाले गहने।

एक समय चांपा, रतनपुर, धमधा, दुर्ग, रायगढ़ और आरिंग पारम्परिक छत्तीसगढ़ी गहने बनाने के मत्वपूर्ण केंद्र थे तथा बिलासपुर और राजनंद गांव इनकी बिक्री के बड़े बाजार थे। चांपा में बनी पीतल की चूड़ियां दूर—दूर तक मशहूर थीं।

वर्तमान में यह स्थिति बदल चुकी है। नई पीढ़ी की युवतियों की रुचियाँ बदल रहीं हैं। व्हाइट मेटल और गिल्ट से बने रेडीमेड गहनों की पहुँच छोटे से छोटे गांवों तक हो गयी है।

छत्तीसगढ़ की जनजातीय आभूषण संस्कृति में महत्वपूर्ण हैं, जो धार्मिक विश्वास, सामाजिक संगठन, सौंदर्यबोध और आर्थिक गतिविधियों का प्रतीक हैं। यह आभूषण, जैसे कि करधन, सूना, नागमोरी, बनौरी, कड़े, ऐंठी, हवेल, आदि, चांदी, पीतल और कांसे से बनाए जाते हैं और विशेष रूप से महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं।

विस्तार से:

सांस्कृतिक महत्व:

आभूषण धार्मिक विश्वास, दार्शनिक चिंतन, सौंदर्य बोध और सामाजिक संगठन का भी परिचायक होता है।

आभूषणों को शृंगार के अलावा ग्रह-नक्षत्र, ज्योतिष प्रयोजन और एक्यूप्रेशर-एक्यूपंचर से भी जोड़ा जाता है।

ये आभूषण स्त्री-धन के रूप में भी देखे जाते हैं।

आभूषण के प्रकार:

सिर के आभूषण: ककई फूल और पंख का शृंगार, कौड़ियों के शृंगार, शृंगार का ककई (लकड़ी का कंधी), मूड खोचनी शृंगार, टिकली और सिंदूर।

कान के आभूषण: खिनवा, झुमका, धार तितरी, ढरकी लुरकी, फूलसकरी, अयरिंग लवंगफूल, कान के खूंटी, कान के कुंडल, करणफूल कान की बाली।

नाक के आभूषण: नाक की फुल्ली, नाक के नथ, नाक की खूंटी, बुलाक।

अन्य आभूषण: करधनी, सूना, नागमोरी, बनौरी, कड़े, ऐंठी, हवेल।

विशेष आभूषण: करधन (कमर का पट्टा, जो प्रसव के बाद एक युवा माँ के पेट के ढीलेपन को कम करने के लिए पहना जाता है)।

सामग्री:

चांदी, पीतल और कांसे जैसे धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है।

चांदी को पीटकर उसके पतरे बनाकर आभूषण बनाए जाते हैं।

सामाजिक महत्व:

आभूषणों को धारण करने वाली स्त्रियों की शोभा उत्सव, पर्व और नृत्य आदि अवसरों पर और भी अधिक होती है।

स्त्रियाँ एक दूसरे के आभूषणों की प्रशंसा करती हैं, जिससे उनमें स्वाभिमान की अभिवृद्धि होती है।

आर्थिक महत्व:

आभूषणों का निर्माण छत्तीसगढ़ के जनजातीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि है।

यह हस्तशिल्प लोगों के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है।

प्रमुख जनजातीय आभूषण:

1. बाजू, कलाई और उंगलियों के लिए:

चूरी दृ पारंपरिक चूड़ियाँ, जो हाथों की शोभा बढ़ाती हैं।

बहुंटा दृ कलाई में पहना जाने वाला गहना।

कड़ा दृ मोटे आकार का चूड़ी जैसा गहना, जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते हैं।

हरैया दृ कलाई और बांह में पहना जाने वाला आभूषण।

बनुरिया दृ पारंपरिक डिजाइनों वाला कड़ा।

ककनी दृ उंगलियों में पहना जाने वाला गहना।

नामोरी दृ अंगूठे में पहना जाने वाला आभूषण।

पटा दृ हाथों में पहना जाने वाला मोटा कड़ा।

पहुंची दृ चांदी या गिलट से बनी कलाई की चूड़ियाँ।

ऐंठी दृ बाजू और उंगलियों में पहना जाने वाला गहना।

मुंदरी दृ विभिन्न प्रकार की बालियां (छपाही, देवराही, भंवराही)।

## 2. बच्चों के आभूषण:

बघनखा दृ बाघ के नाखून के आकार का गहना।

तुमड़ा दृ छोटे बच्चों के लिए पैरों में पहनने वाला आभूषण।

मटुला दृ गले या कमर में पहनने वाला ताबीज।

मुंगुवा दृ बच्चों के लिए छोटे आभूषण।

ताबीज दृ धार्मिक और सुरक्षा के लिए गले में पहना जाता है।

## 3. पुरुषों के आभूषण:

चुरुवा दृ पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला कड़ा।

कान की बारी दृ पुरुषों के लिए कान का गहना।

कंठी दृ गले में पहना जाने वाला गहना।

## 4. कमर, पैरों और अन्य आभूषण:

करधन दृ कमर में पहना जाने वाला गहना, चांदी, गिलट या नकली चांदी से बना होता है।

फुल्ली दृ नाक के आभूषण का प्रकार।

पैंजना दृ पैरों में पहना जाने वाला पायल जैसा आभूषण।

बिधू दृ पारंपरिक आभूषण।

तोरा दृ कमर में पहनने वाला गहना।

मालदार दृ गले में पहनी जाने वाली बहुस्तरीय माला।

अंगुष्ठना दृ अंगूठे में पहना जाने वाला गहना।

चिंघ मुंदरी दृ छोटी उंगली में पहना जाने वाला आभूषण।

हुसली दृ पाइप जैसी संरचना वाला गहना।

बस्तर क्षेत्र के जनजातीय आभूषण:

बस्तर के लोग अपने पारंपरिक आभूषणों में प्राकृतिक वस्तुओं का भी उपयोग करते हैं, जैसे:

जंगली फूल

पंख

कौड़ियां

सिंगी (सींग के बने गहने)

ककई—कंधी

मांगमोती

पटिया

बेंदी

रामनामी गोदना (जंजवव ज्तंकपजपवद):

रामनामी समाज में शरीर पर 'राम—राम' गुदवाने की परंपरा है, जिसे धार्मिक आस्था का प्रतीक माना जाता है।

सामग्री और डिजाइन:

182. पारंपरिक गहने चांदी, गिलट, तांबा, कांस्य, पत्थर, हड्डी, चमड़ा, पीतल, मोती, रंगीन धागों, मनकों और कौड़ियों से बनाए जाते हैं।

183. फूल—पत्तियों और कांच—कौड़ी जैसे डिजाइनों का उपयोग किया जाता है।

184. बिलासपुर, चांपा, मुंगेली जैसे क्षेत्रों में पारंपरिक और नए डिजाइन के आभूषण बनाए जाते हैं।

185. गिलट पॉलिश वाले आभूषण अक्सर साप्ताहिक बाजारों में बेचे जाते हैं।

छत्तीसगढ़ के ये पारंपरिक आभूषण जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं।

छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातीय वाद्य यंत्र

छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति में संगीत और नृत्य के साथ—साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये वाद्य यंत्र सामाजिक, धार्मिक और अनुष्ठानिक अवसरों पर उपयोग किए जाते हैं, जिनमें त्योहार, विवाह, युद्ध की तैयारी, शिकार, भक्ति और मनोरंजन शामिल हैं।

मध्य छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग अनेक घुमक्कड़ एवं लोक आख्यान गायक समुदायों का प्रिय भूभाग रहा है। पठारी, जोगी, बैरागी, वासुदेवा, देवार और नाथ पंथी जैसे भाट—भिक्षु गायकों साथ यहाँ कबीर पंथी, सतनामी, रामनामी, अहीर भजन एवं लोक गीतों की मंडलियों की भी बहुतायत रही है। एक समय यह कथा एवं भजनगायक

समुदाय न केवल स्थानिय वाचिक परंपरा के भंडार , संरक्षक और प्रसारक थे बल्कि वे अपनी भावी पीढ़ियों को इसे हस्तगत कराकर इसके संवाहक की भूमिका भी निबाहते थे। अतः यह कहना कि छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र का संगीत इन्हीं समुदायों की देन है , अतिशयोक्ति न होगा

घुमन्तु भजन गायकों और गायन मंडलियों के लिए अलग –अलग प्रकार के वाद्यों की आवश्यकता होती है। घुमन्तु गायकों को हल्के और छोटे वाद्यों की आवश्यकता होती है जिन्हें वे लेकर यहाँ –वहाँ जा सकें ,जबकि मंडलियों को पूरे आर्कस्ट्रा का साथ चाहिए। घुमन्तु गायक अकेले या एक रागी जैसे साथी के साथ गायन करते थे। वे स्वनिर्मित तम्बूरा ,किंगरा बाजा , सारंगी या सरांगी , बाना , खंजरी या ढफ ,ढफली लेकर खड़े –खड़े गाते थे। सन १९६० के बाद पंडवानी ,भरथरी ,चंदालोरिक आदि लोक आख्यानों के गायन का एक नया दौर शुरू हुआ। अनेक प्रतिभाशाली लोकगायकों ने नई – नई मंडलियां बनालीं। इन मंडलियों में बेंजो ,हारमोनियम, तबला , बांसुरी और ढोलक जैसे वाद्यों का प्रचलन बढ़ गया। व्यावसायिक स्तर पर प्रदर्शन होने लगे तो भव्यता और तड़क –भड़क भी बढ़ गयी।

मंडलियां बैठक कर अपनी प्रस्तुति देती हैं अतः उन्हें वाद्यों को रखकर बजाने की सुविधा रहती है, इससे भी गायन में वाद्यों की संख्या बढ़ाने में सरलता रही। रेडीमेड वाद्यों का प्रचलन बढ़ने से स्वनिर्मित अथवा स्थानिय स्तर पर हस्तनिर्मित वाद्यों का चलन काम हुआ। वर्तमान में स्थिति यह है कि कुछ प्रचलित लोकवाद्य विलुप्त हो गए। विशेषतौर पर जोगी, वासुदेवा और देवार घुमन्तु गायकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सारंगियाँ विलुप्ति की कगार पर हैं।

ढपरा , निशान , नगाड़ा ,तुड़बुड़ी , मोहरी –शहनाई , मांदर जैसे पारंपरिक वाद्य तो समूचे छत्तीसगढ़ में प्रचलन में हैं। बस्तर ,सरगुजा और रायगढ़ जैसे क्षेत्रों अतिरिक्त या मैदानी छत्तीसगढ़ में भी लोकप्रिय हैं परन्तु निम्न कुछ वाद्य मैदानी छत्तीसगढ़ में अधिक लोकप्रिय हैं।

बांस –

बांस ,अहीरों द्वारा गाए जाने वाले बांस गीत में बजाया जाने वाला सुषिर वाद्य है। यह बांसुरी का एक अन्य रूप है जिसमें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कोई नक्का नहीं होता , बांस में इस प्रकार फूंक मारी जाती है कि उससे ही ध्वनि उत्पन्न हो जाये। बांस ,अहीरों द्वारा गाए जाने वाले बांस गीत में बजाया जाने वाला संगत वाद्य है। यह बांसुरी का एक अन्य रूप है जिसमें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कोई नक्का नहीं होता , बांस में इस प्रकार फूंक मारी जाती है कि उससे ही ध्वनि उत्पन्न हो जाये। इसे बजाने वाले स्वयं ही इसे बनाते हैं। इसकी लम्बाई इतनी राखी जाती है की उसमें बांस की तीन गठानें आ जाएँ। इसके बाद बांस को सामान रूप से पोला किया जाता है , इसके लिए बांस में एक रक्त तप्त लोहे का गोला डाला जाता है जो बांस को अंदर से जलाते हुए आगे बढ़ता है। बार –बार यह क्रिया दोहराने पर बांस ,अंदर से सामान रूप से पोला हो जाता है। बांस से उत्पन्न किये जाने वाले सुरों को संयोजित करने के लिए इसमें पांच छिद्र होते हैं।

ये वाद्य यंत्र उनकी सांस्कृतिक, धार्मिक, एवं अनुष्ठानिक प्रक्रिया के अभिन्न अंग हैं। परैया मुरिया एवं माड़िया जनजाति के द्वारा उपयोग किये जाने वाला एक बेलनाकार ढोल है। यह विशेषतः मुरिया चेलिक (युवा) का पसंदीदा वाद्य है। त्यौहारों, विवाह समारोहों, अनुष्ठानिक कार्यों तथा गौर नृत्य में परैया वादन शुभ माना जाता है।

मध्य छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग अनेक घुमक्कड़ एवं लोक आख्यान गायक समुदायों का प्रिय भूभाग रहा है। पठारी, जोगी, बैरागी, वासुदेवा, देवार और नाथ पंथी जैसे भाट-भिक्षु गायकों साथ यहाँ कबीर पंथी, सतनामी, रामनामी, अहीर भजन एवं लोक गीतों की मंडलियों की भी बहुतायत रही है। एक समय यह कथा एवं भजनगायक समुदाय न केवल स्थानिय वाचिक परंपरा के भंडार, संरक्षक और प्रसारक थे बल्कि वे अपनी भावी पीढ़ियों को इसे हस्तगत कराकर इसके संवाहक की भूमिका भी निबाहते थे। अतः यह कहना कि छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र का संगीत इन्ही समुदायों की देन है अतिशयोक्ति न होगा।

घुमन्तु भजन गायकों और गायन मंडलियों के लिए अलग-अलग प्रकार के वाद्यों की आवश्यकता होती है। घुमन्तु गायकों को हल्के और छोटे वाद्यों की आवश्यकता होती है जिन्हें वे लेकर यहाँ-वहाँ जा सकें, जबकि मंडलियों को पूरे आर्केस्ट्रा का साथ चाहिए। घुमन्तु गायक अकेले या एक रागी जैसे साथी के साथ गायन करते थे। वे स्वनिर्मित तम्बूरा, किंगरा बाजा, सारंगी या सरांगी, बाना, खंजरी या ढफ, ढफली लेकर खड़े-खड़े गाते थे। सन १९६० के बाद पंडवानी, भरथरी, चंदालोरिक आदि लोक आख्यानों के गायन का एक नया दौर शुरू हुआ। अनेक प्रतिभाशाली लोकगायकों ने नई-नई मंडलियाँ बनालीं। इन मंडलियों में बेंजो, हारमोनियम, तबला, बांसुरी और ढोलक जैसे वाद्यों का प्रचलन बढ़ गया। व्यावसायिक स्तर पर प्रदर्शन होने लगे तो भव्यता और तड़क-भड़क भी बढ़ गयी।

मंडलियाँ बैठक कर अपनी प्रस्तुति देती हैं अतः उन्हें वाद्यों को रखकर बजाने की सुविधा रहती है, इससे भी गायन में वाद्यों की संख्या बढ़ाने में सरलता रही। रेडीमेड वाद्यों का प्रचलन बढ़ने से स्वनिर्मित अथवा स्थानिय स्तर पर हस्तनिर्मित वाद्यों का चलन काम हुआ। वर्तमान में स्थिति यह है कि कुछ प्रचलित लोकवाद्य विलुप्त हो गए। विशेषतौर पर जोगी, वासुदेवा और देवार घुमन्तु गायकों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न प्रकार की सारंगियाँ विलुप्ति की कगार पर हैं।

ढपरा, निशान, नगाड़ा, तुड़बुड़ी, मोहरी-शहनाई, मांदर जैसे पारंपरिक वाद्य तो समूचे छत्तीसगढ़ में प्रचलन में हैं। बस्तर, सरगुजा और रायगढ़ जैसे क्षेत्रों अतिरिक्त या मैदानी छत्तीसगढ़ में भी लोकप्रिय हैं परन्तु निम्न कुछ वाद्य मैदानी छत्तीसगढ़ में अधिक लोकप्रिय हैं।

बांस —

बांस, अहीरों द्वारा गाए जाने वाले बांस गीत में बजाया जाने वाला सुषिर वाद्य है। यह बांसुरी का एक अन्य रूप है जिसमें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कोई नक्का नहीं होता, बांस में इस प्रकार फूँक मारी जाती है कि उससे ही ध्वनि उत्पन्न हो जाये। बांस, अहीरों द्वारा गाए जाने वाले बांस गीत में बजाया जाने वाला संगत वाद्य है। यह बांसुरी का एक अन्य रूप है जिसमें ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कोई नक्का नहीं होता, बांस में इस प्रकार फूँक मारी जाती है कि उससे ही ध्वनि उत्पन्न हो जाये। इसे बजाने वाले स्वयं ही इसे बनाते हैं। इसकी लम्बाई इतनी राखी जाती है की उसमें बांस की तीन गठानें आ जाएँ। इसके बाद बांस को सामान रूप से पोला किया जाता है, इसके लिए बांस में एक रक्त तप्त लोहे का गोला डाला जाता है जो बांस को अंदर से जलाते हुए आगे बढ़ता है। बार-बार यह क्रिया दोहराने पर बांस अंदर से सामान रूप से पोला हो जाता है। बांस से उत्पन्न किये जाने वाले सुरों को संयोजित करने के लिए इसमें पांच छिद्र होते हैं।

ढोलक दृ ढोलक या ढोलकी यह गायन व नृत्य के साथ बजायी जाती है। यह एक प्रमुख ताल वाद्य है।। समूचे उत्तर एवं मध्य भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। ढोलक को अधिकतर हाथ से बजाया जाता है। यह आम, बीजा, शीशम, सागौन या नीम की लकड़ी से बनाई जाती है। लकड़ी को पोला करके दोनों मुखों पर बकरे की खाल डोरियों से कसी रहती है। डोरी में छल्ले रहते हैं, जो ढोलक का स्वर मिलाने में काम आते हैं। चमड़े अथवा सूत की रस्सी के द्वारा इसको खींचकर कसा जाता है।

ढोलक एक अपेक्षकृत अधिक लोकप्रिय वाद्य है। यह गांव और शहर दोनों में समानरूप से प्रचलित है। इसे लोक एवं शास्त्रीय तथा सुगम संगीत में सहज स्वीकारा जाता है। गायन एवं भजन मंडलियों का यह अभिन्न अंग है। बीजा की लकड़ी से बना, यह बेलनाकार वाद्य स्त्री –पुरुष सभी के द्वारा बजाया जाता है। इसे गले में लटकाकर या जमीन पर रखकर बजाया जाता है।

पिछले कुछ वर्षों में इसके प्रयोग दायरा और विस्तृत हो गया है, जातीय संगीत मंडली, विभिन्न प्रकार के नृत्यगान में इसे बजाय जाता है। इसकी लयबद्ध ध्वनि बेहद मनमोहक है, आम तौर लोक नृत्य गान और लोकप्रिय संगीतों में उसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है।

छत्तीसगढ़ की लोककथा गायन मंडलियों में ढोलक खूब बजाई जाती है।

### मंजीरा

मंजीरा, कांसे से बानी दो छोटी डिस्क से बना वाद्य है। सामान्यतः यह दोनों डिस्क आपस में एक डोरी द्वारा बंधी रहती हैं, परन्तु कभी –कभी अलग –अलग भी रहती हैं। इसे दोनों हाथों से और कभी एक हाथ से भी बजाया जाता है। मंजीरा, भक्ति संगीत का अभिन्न अंग है। घुमक्कड़ जोगी, मंजीरे की झंकारमय ताल पर भजन गायन करते हैं।

### झांझ

झांझ बनावट में मंजीरा के सामान होता है परन्तु इसका आकर मंजीरे से बड़ा होता है और इसके डिस्क पीतल की चादर को काटकर एवं रूप देकर बनाये जाते हैं। गोलाकार समतल या उत्तलाकारधातु की तश्तरी जैसा ताल वाद्य, इसके जोड़े को एक-दूसरे से रगड़ते हुए टकराकर बजाया जाता है। सामान्यतः यह दोनों डिस्क आपस में एक डोरी द्वारा बंधी रहती हैं, परन्तु कभी –कभी अलग –अलग भी रहती हैं। इसे दोनों हाथों से बजाया जाता है। झांझ, भक्ति संगीत एवं सामुदायिक नृत्य-गीतों का अभिन्न अंग है। अहीर समुदाय में यह एक लोकप्रिय वाद्य है। यह गायन व नृत्य के साथ बजायी जाती है। यह प्रसिद्ध लोकवाद्य है।

### तम्बूरा

#### चटकोला –

चटकोला, खड़ताल का ही एक अन्य रूप है। लकड़ी के बने इस वाद्य में पीतल के बने वृताकार डिस्क लगे रहते हैं। जब चटकोला के दोनों हिस्से आपस में टकराते हैं तब लकड़ी की सतहें और पीतल के यह डिस्क आपस में टकराकर खट – खट मय झंकार उत्पन्न करते हैं। इन्हे गायन के साथ बजाया जाता है।

#### ढफली –

ढफली, खँजड़ी या खँजरी एक छोटा वाद्य यंत्र है जो दो ढाई इंच चौड़ी लकड़ी की बनी गोलाकार परिधि के एक ओर चमड़े से मढ़ा होता है तथा दूसरी ओर खुला

रहता है। इसे एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से थाप देकर बजाया जाता है। कुछ में लोग गोलाकार परिधि में धातु के बने चार-पाँच गोलाकार टुकड़े लगा लेते हैं जो झाँझ की तरह थाप के साथ स्वतः झंकार उठते हैं। इस वाद्य का प्रयोग मुख्यतः गीत गाकर भीख माँगने वाले भिखारी अथवा लोकगीत गायक तथा साधु भजन गाने के लिए करते हैं। बन्दर की खाल से मढ़ी ढफली सर्वोत्तम मानी जाती है।

बाँसुरी –

बाँसुरी अत्यंत लोकप्रिय सुषिर वाद्य माना जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक बांस से बनायी जाती है, इसलिये लोग उसे बाँसुरी भी कहते हैं। बाँसुरी बनाने की प्रक्रिया कठिन नहीं है, सब से पहले बाँसुरी के अंदर के गांठों को हटाया जाता है, फिर उस के शरीर पर कुल सात छेद खोदे जाते हैं। पहला छेद मुंह से फूंकने के लिये छोड़ा जाता है, बाकी छेद अलग अलग आवाज निकले का काम देते हैं।

प्राचीनकाल में लोक संगीत का प्रमुख वाद्य था बाँसुरी।

सारंगी

यह एक तंतु वाद्य है जिसे गज की सहायता से बजाय जाता है। लकड़ी, बंस, घोड़े के बाल, घुँघरू, मिट्टी अथवा लकड़ी के कटोर एवं गोह की खाल से बना यह वाद्य घुमन्तु भजन गायकों का प्रिय वाद्य है। घुमन्तु गायकों को हल्के और छोटे वाद्यों की आवश्यकता होती है जिन्हें वे लेकर यहाँ-वहाँ जा सकें। वे स्वनिर्मित सारंगी या सरांगी लेकर खड़े-खड़े गाते हैं।

तम्बूरा

तम्बूरा एक तंतु वाद्य है जिसे उंगलियों की सहायता से बजाय जाता है। लकड़ी, बंस, घोड़े के बाल, लोहे का तार, घुँघरू, तूमा के कटोर एवं गोह की खाल से बना यह वाद्य घुमन्तु भजन गायकों का प्रिय वाद्य है। घुमन्तु गायकों को हल्के और छोटे वाद्यों की आवश्यकता होती है जिन्हें वे लेकर यहाँ-वहाँ जा सकें। वे स्वनिर्मित तम्बूरा लेकर गाते हैं। पंडवानी गायकों का भी तम्बूरा प्रिय वाद्य है।

हारमोनियम दृ

हारमोनियम एकसंगीत वाद्य यंत्र है जिसमें वायु प्रवाह किया जाता है और भिन्न चपटी स्वर पटलों को दबाने से अलग-अलग सुर की ध्वनियाँ निकलती हैं। इसमें हवा का बहाव हाथों के जरिये किया जाता है, हालाँकि हारमोनियम का आविष्कार यूरोप में किया गया था सीखने की आसानी और भारतीय संगीत के लिए अनुकूल होने की वजह से जड़ पकड़ गया।

हारमोनियम भारतीय शास्त्रीय संगीत का अभिन्न हिस्सा है। हारमोनियम को सरल शब्दों में “पेटी बाजा” भी कहा जाता है।

तबला

तबला भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला एक तालवाद्य है। तबले दो भागों को क्रमशः तबला तथा डग्गा या डुग्गी कहा जाता है। तबला शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है। तबले को बजाने के लिये हथेलियों तथा हाथ की उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। तबले के द्वारा अनेकों प्रकार के बोल निकाले जाते हैं।

तबला हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत में काफी महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग शास्त्रीय एवं उप शास्त्रीय गायन-वादन में लगभग अनिवार्य रूप से हो रहा है। इसके अतिरिक्त सुगम संगीत और हिंदी सिनेमा में भी इसका प्रयोग प्रमुखता से हुआ है

#### 1. ताल वाद्य (चमत्बनेपवद पदेजतनउमदजे)

##### (प) नगाड़ा

- 186. यह एक केटल ड्रम की तरह बड़ा ताल वाद्य है।
- 187. इसे चमड़े से मढ़े हुए धातु के कटोरे पर बजाया जाता है।
- 188. इसे दो छड़ियों से बजाया जाता है।
- 189. यह मड़ई, हरेली और अन्य उत्सवों में बजाया जाता है।

##### (पप) मांदर

- 190. यह एक ढोल की तरह होता है।
- 191. इसे हाथ से या लकड़ी की छड़ी से बजाया जाता है।
- 192. यह करमा, सैला और गोंडी नृत्य में बजाया जाता है।

##### (पपप) ढोल

- 193. यह दो तरफा ड्रम है, जिसे लकड़ी की दो छोटी छड़ियों से बजाया जाता है।
- 194. इसका उपयोग विवाह, युद्ध नृत्य, और त्योहारों में किया जाता है।

##### (पअ) निशान

- 195. यह लय वाद्य है, जो लोहे और चमड़े से बनाया जाता है।
- 196. संबलपुर (ओडिशा) से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है।
- 197. इसे सामूहिक नृत्य और धार्मिक आयोजनों में बजाया जाता है।

##### (अ) ढपरा

- 198. यह बस्तर क्षेत्र का एक पारंपरिक ढोल है।
- 199. मुख्य रूप से गोंड और मुरिया जनजातियाँ इसका उपयोग करती हैं।

##### (अप) टिमकी

- 39. यह एक छोटा ढोलकनुमा वाद्य है।
- 40. इसे मुख्य रूप से करमा नृत्य और उत्सवों में बजाया जाता है।

##### (अपप) डमरू

- 41. यह एक घंटे के आकार का छोटा ड्रम है।

42. धार्मिक और तांत्रिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग होता है।

(अपपप) गुदुम

43. यह गड़वा समुदाय का प्रमुख ताल वाद्य है।

44. इसे सींग बाजा और निशान के साथ बजाया जाता है।

2. सुषिर वाद्य (पदक प्देजतनउमदजे)

(प) मोहरी

45. यह एक प्रकार की शहनाई है।

46. इसे बस्तर क्षेत्र के उत्सवों और अनुष्ठानों में बजाया जाता है।

(पप) तुरही (तोड़ीधसिंग बाजा)

47. यह एक लंबी धातु की तुरही होती है।

48. युद्ध घोष, अनुष्ठान और बड़े आयोजनों में बजाई जाती है।

(पपप) बीन

200. इसे सपेरों का वाद्य भी कहा जाता है।

201. इसे फूंककर ध्वनि उत्पन्न की जाती है।

(पअ) टुडबुरी

202. यह बांस से बनी फूंक वाद्य है।

203. इसे बांसुरी की तरह बजाया जाता है।

(अ) अलगोजा

204. यह राजस्थान और मध्य भारत का प्रसिद्ध यंत्र है।

205. यह दोहरी बांसुरी की तरह बजाया जाता है।

(अप) भन्नाटी वांसु

206. यह बांस से बना फूंक वाद्य है।

207. इसे त्यौहारों और उत्सवों में बजाया जाता है।

3. तंत वाद्य (जतपदह प्देजतनउमदजे)

(प) तंबूरा

208. यह एक तार वाद्य है, जिसे भजन और पारंपरिक संगीत में उपयोग किया जाता है।

(पप) तीनतारी

यह तीन तारों वाला वाद्य यंत्र है।

यह धार्मिक अनुष्ठानों में बजाया जाता है।

(पपप) चिकारा

यह रबाब जैसा वाद्य यंत्र है।

इसे घिसकर बजाया जाता है।

(पअ) कुहुकी

यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है।

इसके नाम पर "कुहुकी कलाग्राम" संग्रहालय का नाम रखा गया है।

#### 4. घर्षण वाद्य (फ़कपवचीवदमे – ब्लउइंसे)

(प) झांझ-मंजीरा

यह दो धातु की प्लेटों से बना होता है।

इसे भक्ति संगीत और लोक नृत्य में बजाया जाता है।

(पप) खड़ताल

यह लकड़ी या धातु से बना होता है।

इसे राजस्थानी और छत्तीसगढ़ी संगीत में बजाया जाता है।

(पपप) चटकोला, चरहे, ढूढ़रा, गुजरी, बडगी, धनकुल और तोड़ी

209. ये सभी बांस से बने वाद्य यंत्र हैं।

210. इनका उपयोग नृत्य और अनुष्ठानों में किया जाता है।

(पअ) झंकार

211. यह टिन के दो बड़े झुन-झुने होते हैं।

212. इसे लोक नृत्यों में प्रयोग किया जाता है।

#### 5. अन्य प्रमुख वाद्य यंत्र

(प) हारमोनियम

213. यह पश्चिमी प्रभाव से आया की-बोर्ड वाद्य है।

214. इसे लोकगीत और भजन में उपयोग किया जाता है।

(पप) डेरू

215. यह एक छोटा डमरू जैसा वाद्य यंत्र है।

(पपप) चिमटा

216. इसे आग के आसपास नृत्य के दौरान बजाया जाता है।

छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति में विभिन्न वाद्य यंत्रों का उपयोग पारंपरिक संगीत और नृत्य में किया जाता है। ये वाद्य यंत्र न केवल मनोरंजन का साधन हैं, बल्कि वे सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक एकता के भी प्रतीक हैं।

छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति में आभूषणों का विशेष महत्व है। पारंपरिक आभूषण न केवल सौंदर्य बढ़ाने के लिए बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं को दर्शाने के लिए भी पहने जाते हैं। इन आभूषणों को विभिन्न धातुओं, कौड़ियों, मोतियों, हड्डी, चमड़े, पत्थर और रंगीन धागों से बनाया जाता है।

छत्तीसगढ़ का पारंपरिक भोजन और जनजातीय व्यंजन

छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति में खानपान की एक समृद्ध परंपरा है, जो प्रकृति से प्राप्त सामग्रियों और स्थानीय स्वादों पर आधारित है। यहाँ के व्यंजन मुख्य रूप से चावल, दाल, महुआ, जड़ी-बूटियों और वनोपज से बनाए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के भोजन में स्थानीय अनाज, साग, मौसमी सब्जियाँ, कंदमूल, फल-फूल, तथा कुछ जनजातियों के लिए मांसाहारी पदार्थ भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

छत्तीसगढ़ की समृद्ध भोजन परंपरा में न केवल पौष्टिकता होती है, बल्कि यह वहाँ की संस्कृति, परंपराओं और समाज के रहन-सहन का प्रतिबिंब भी है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से प्राकृतिक रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जो उनके भोजन को स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट बनाते हैं।

छत्तीसगढ़ का मुख्य भोजन

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और जनजातीय समुदायों का भोजन मुख्य रूप से अनाज, दाल, साग-सब्जी और वनोपज पर आधारित होता है। यहाँ के प्रमुख खाद्य पदार्थों को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

1. प्रमुख अनाज और अनाज आधारित भोजन

छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक अनाज उगाए जाते हैं, जो यहाँ के खानपान का प्रमुख हिस्सा हैं:

1. चावल (धान): चावल यहाँ का मुख्य आहार है और इसे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है।

2. मड़िआ (रागी): यह एक पोषक तत्वों से भरपूर अनाज है, जिससे रोटी, चीला और लड्डू बनाए जाते हैं।

3. कोदो (कोदो मिलेट) और कुटकी (लिटिल मिलेट): ये दोनों अनाज पारंपरिक आहार का हिस्सा हैं और इनका उपयोग दलिया, खिचड़ी और अन्य व्यंजनों में किया जाता है।

4. मक्का (मकई): मक्के की रोटी, भुना हुआ मक्का, और इसका उपयोग स्नैक्स और अन्य व्यंजनों में किया जाता है।

## 2. दालें और उनके उपयोग

छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार की दालें उगाई जाती हैं, जो भोजन में प्रोटीन का मुख्य स्रोत होती हैं:

5. उड़द दाल: इसका उपयोग वड़ा, बड़ा और अन्य व्यंजनों में किया जाता है।

6. मूंग दाल: हल्की और सुपाच्य मूंग दाल को पचने में आसान माना जाता है।

7. कुल्थी दाल: इसे विशेष रूप से ठंड के मौसम में खाया जाता है, क्योंकि यह शरीर को गर्मी प्रदान करती है।

## 3. साग और हरी पत्तेदार सब्जियाँ

छत्तीसगढ़ के व्यंजनों में सागों की प्रमुखता होती है। यहाँ के लोग स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जंगली सागों का सेवन करते हैं:

8. लाल भाजी, चोलाई भाजी, चेच भाजी, कांदा भाजी, खेकसी: ये सभी स्थानीय साग हैं, जो विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होते हैं।

9. कथल (कटहल), कोचाई पत्ता, कोहड़ा (कटू), बोहर भाजी: ये सब्जियाँ भोजन का मुख्य हिस्सा होती हैं।

## 4. मौसमी कंदमूल और फल-सब्जियाँ

छत्तीसगढ़ के लोग जंगलों से प्राप्त होने वाले कंदमूल और फल-फूलों का सेवन भी बड़े पैमाने पर करते हैं:

10. कंदमूल: जमीकंद, सूरन, अरबी आदि को उबालकर या भूनकर खाया जाता है।

11. फल: महुआ, तेंदू, चार, कुसुम, आम, जामुन, बेर जैसे मौसमी फल प्रमुख हैं।

12. सब्जियाँ: लौकी, तुरई, करेला, सहजन आदि प्रमुख रूप से प्रयोग किए जाते हैं।

## 5. मांसाहार और शिकार परंपरा

कुछ जनजातीय समुदायों में मांसाहारी भोजन को पारंपरिक रूप से स्वीकार किया गया है:

1. मांस: मोर, कौआ, खरगोश, मुर्गा, बकरी आदि का सेवन किया जाता है।

2. मछली: मानसून के दौरान मछली का सेवन भी किया जाता है।

## छत्तीसगढ़ के विशेष व्यंजन

छत्तीसगढ़ में कई पारंपरिक व्यंजन हैं, जो स्थानीय अनाज, दाल और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए जाते हैं। ये व्यंजन स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर होते हैं।

## 1. चावल आधारित व्यंजन

1. फरा: चावल के आटे से बना एक लोकप्रिय व्यंजन, जिसे तिल और मसालों के साथ परोसा जाता है।
2. मुठिया: चावल के आटे से भाप में पकाया गया व्यंजन, जो हल्का और पौष्टिक होता है।
3. चीला: चावल और दाल के मिश्रण से बना डोसे जैसा व्यंजन, जिसे चटनी के साथ खाया जाता है।
4. धुसका: चावल और दाल से बना तला हुआ स्नैक, जिसे चटनी या सब्जी के साथ परोसा जाता है।
5. तसमई: दूध और चावल से बनी मीठी खीर, जो त्योहारों और खास मौकों पर बनाई जाती है।

### 2. परंपरागत रोटियाँ और पूरियाँ

1. अंगाकर रोटि: मोटे चावल के आटे से बनी यह रोटि घी के साथ खाई जाती है।
2. चौसेला रोटि: चावल के आटे से बनी हल्की मीठी रोटि, जो खास अवसरों पर बनाई जाती है।

### 3. पारंपरिक मिठाइयाँ और स्नैक्स

1. गुलगुला: गुड़ और आटे से बनी एक पारंपरिक मिठाई।
2. बिदिया: चावल और गुड़ से बनी एक विशेष मिठाई, जो त्योहारों पर बनाई जाती है।
3. खुरमी, अनरसा, बफौली, बालूशाही: पारंपरिक मिठाइयाँ जो छत्तीसगढ़ में खास अवसरों पर बनाई जाती हैं।

### 4. जनजातीय खाद्य पदार्थ और पारंपरिक शिकार

1. बागा (ठं): यह पारंपरिक रूप से बेवरा और पेंदा के नाम से जाना जाता है।
2. बोबो (ठवइव): यह स्प्लेंटिल और तले हुए चावल का मिश्रण होता है।
3. महुआ आधारित व्यंजन: महुआ के फूलों से लड्डू, महुआ की रोटि और पेय पदार्थ बनाए जाते हैं।

### त्योहारों से जुड़े विशेष व्यंजन

छत्तीसगढ़ के प्रमुख त्योहारों में विशेष प्रकार के पारंपरिक भोजन बनाए जाते हैं:

हरेली, पोला, छेरछेरा: चावल के आटे से बने व्यंजन, गुड़ और अचार के साथ खाए जाते हैं।

तीजा—हरितालिका व्रत: इस अवसर पर महिलाएँ विशेष रूप से चावल, दाल और महुआ से बने व्यंजन बनाती हैं।

छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति में भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि परंपरा, स्वास्थ्य और उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के व्यंजन न केवल पौष्टिक होते हैं, बल्कि इनमें स्थानीय जड़ी-बूटियों और वनोपज का भी व्यापक उपयोग किया जाता है। ये व्यंजन जनजातीय समुदायों की जीवनशैली और प्रकृति के प्रति उनके जुड़ाव को भी दर्शाते हैं।

छत्तीसगढ़ के खानपान की विशेषताएँ

स्थानीय सामग्री का उपयोग दृष्टिगत छत्तीसगढ़ के व्यंजनों में स्थानीय अनाज, वनोपज, जंगली फल और कंदमूल का विशेष उपयोग किया जाता है, जिससे यह भोजन पारंपरिक और जैविक होता है।

पौष्टिकता और स्वास्थ्य लाभ दृष्टिगत ये व्यंजन पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और स्थानीय जलवायु तथा जीवनशैली के अनुरूप होते हैं।

भोजन और मौसम का संबंध दृष्टिगत गर्मियों में हल्का और जलयुक्त भोजन जैसे पेज, तासमई और महुआ पेय पसंद किया जाता है, जबकि ठंड में फरा, चौसेला रोटी और गरम व्यंजन अधिक खाए जाते हैं।

त्योहारों और सांस्कृतिक आयोजनों का प्रभाव दृष्टिगत विभिन्न त्योहारों जैसे छेरछेरा, पोला, हरेली, तीजा आदि में खास व्यंजन बनाए जाते हैं, जो संस्कृति से गहराई से जुड़े होते हैं।

जनजातीय खानपान की सादगी और स्वाभाविकता दृष्टिगत छत्तीसगढ़ के जनजातीय व्यंजन प्राकृतिक स्वाद को बनाए रखते हैं और इनमें कृत्रिम मसालों की जगह स्थानीय जड़ी-बूटियों और सामग्रियों का उपयोग किया जाता है।

छत्तीसगढ़ी खानपान को संरक्षित और बढ़ावा देने की आवश्यकता

आधुनिक खानपान की ओर बढ़ते रुझान से पारंपरिक व्यंजन धीरे-धीरे लुप्त हो रहे हैं। अतः, इन्हें बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाना आवश्यक है।

स्थानीय व्यंजनों को पर्यटन उद्योग से जोड़कर इन्हें विश्व स्तर पर प्रचारित किया जा सकता है।

इन पारंपरिक व्यंजनों को शहरी जीवनशैली में फिर से शामिल करने के लिए नई पीढ़ी को इनके महत्व और स्वास्थ्य लाभ के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है।

छत्तीसगढ़ का पारंपरिक खानपान इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ के जनजातीय और ग्रामीण व्यंजन स्वादिष्ट होने के साथ-साथ स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। आधुनिक जीवनशैली और बदलते खानपान के बावजूद, इन पारंपरिक व्यंजनों को संजोकर रखना हमारी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि हम इन व्यंजनों को संरक्षित और प्रचारित करें, तो यह न केवल हमारे खानपान की विविधता को बनाए रखेगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ और पारंपरिक भोजन का आनंद लेने का अवसर देगा।

छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खानपान में औषधीय तत्व

छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजनों में कई ऐसी सामग्री उपयोग की जाती हैं, जो औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं:

### छत्तीसगढ़ की जनजातिय संस्कृति

कुल्थी दाल दृ किडनी स्टोन और गठिया रोग में लाभकारी।

महुआ दृ ऊर्जा बढ़ाने वाला और आयरन से भरपूर।

गोंदली भाजी दृ शरीर की गर्मी को कम करने में मददगार।

तिखुर दृ पेट के लिए फायदेमंद, ठंडक प्रदान करता है।

कंदमूल (जैसे सुरन, कोहड़ा, खेकसा) दृ पाचन को सुधारने और प्रतिरक्षा बढ़ाने में सहायक।

छत्तीसगढ़ी खानपान में पारंपरिक रसोई उपकरणों का महत्व

छत्तीसगढ़ में परंपरागत रूप से उपयोग किए जाने वाले बर्तन और रसोई के औजार भी विशेष भूमिका निभाते हैं:

माटी के बर्तन दृ इनमें खाना बनाने से स्वाद बढ़ता है और यह पाचन के लिए अच्छा होता है।

लौह (आयरन) कढ़ाई दृ इससे खाना बनाने से शरीर में आयरन की मात्रा संतुलित रहती है।

पीतल और कांसे के बर्तन दृ यह स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं और भोजन की पौष्टिकता बनाए रखते हैं।

सिल-बट्टा और जांता (हाथ की चक्की) दृ पारंपरिक मसाला पीसने का तरीका, जिससे मसालों की खुशबू और स्वाद बरकरार रहता है।

जनजातीय खानपान और आत्मनिर्भरता

छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ अपने भोजन के लिए वनोपज और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहती हैं:

1. स्वयं एकत्रित भोजन दृ जनजातियाँ जंगल से कंदमूल, जंगली फल, मशरूम, शहद, और औषधीय पौधे इकट्ठा करके भोजन तैयार करती हैं।
2. पर्यावरण के अनुकूल खानपान दृ पारंपरिक भोजन में कम संसाधनों का उपयोग होता है, जिससे यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल रहता है।
3. मौसमी खानपान दृ जनजातीय व्यंजन मौसम के अनुसार बदलते रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य लाभ अधिक मिलता है।

छत्तीसगढ़ी खानपान और आधुनिक दौर में उसका पुनरुद्धार

आजकल छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को फिर से लोकप्रिय बनाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं:

1. रेस्तरां और होटल दृ छत्तीसगढ़ी व्यंजन अब स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के होटलों और कैफे में उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

2. फूड फेस्टिवल दृ कई शहरों में छत्तीसगढ़ी फूड फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं, जिससे पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा मिलता है।
3. ऑनलाइन प्रचार दृ यूट्यूब, ब्लॉग्स और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग छत्तीसगढ़ी रेसिपीज सीख रहे हैं और साझा कर रहे हैं।
4. अंतरराष्ट्रीय पहचान दृ कई छत्तीसगढ़ी व्यंजन अब भारत के बाहर भी लोकप्रिय हो रहे हैं, जिससे राज्य की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिल रही है।

छत्तीसगढ़ का पारंपरिक खानपान केवल भोजन का हिस्सा नहीं, बल्कि एक जीवंत संस्कृति का प्रतीक है। यह भोजन हमें प्रकृति से जोड़े रखता है, आत्मनिर्भरता सिखाता है, और स्वास्थ्य को लाभ पहुँचाता है। आधुनिकता के इस दौर में पारंपरिक व्यंजनों को संरक्षित और प्रोत्साहित करना आवश्यक है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इस अनमोल धरोहर का आनंद ले सकें। यदि हम छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा दें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाएँ, तो यह न केवल हमारी संस्कृति को जीवित रखेगा बल्कि हमारी सेहत के लिए भी लाभकारी रहेगा।

छत्तीसगढ़ की जनजातीय  
संस्कृति

## इकाई 5:

## छत्तीसगढ़ की लोककला एवं संस्कृति

छत्तीसगढ़ की लोककला और संस्कृति इसकी समृद्ध परंपरा, लोकनृत्य, लोकसंगीत, वाद्य यंत्र, हस्तशिल्प, पारंपरिक आभूषण, और खानपान में झलकती है। यहां की संस्कृति जनजातीय समुदायों की अनूठी परंपराओं और लोककथाओं से प्रभावित है।

छत्तीसगढ़ का जनजातीय हस्तशिल्प: एक विस्तृत परिचय

छत्तीसगढ़ की जनजातीय कला और शिल्पकला उसकी समृद्ध संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यहां के आदिवासी समुदायों ने अपने जीवनयापन के लिए प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का उपयोग कर अद्भुत हस्तशिल्प विकसित किए हैं। छत्तीसगढ़ का धातु शिल्प (ढोकरा कला), लकड़ी की नक्काशी, बांस शिल्प और टेराकोटा देशभर में प्रसिद्ध हैं। इन कलाओं का उपयोग न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, बल्कि घरेलू और सजावटी वस्तुओं के निर्माण में भी किया जाता है।

## 1. धातु शिल्प (ढोकरा कला)

छत्तीसगढ़ में धातु शिल्प को ढोकरा कला के रूप में जाना जाता है। यह प्राचीन लॉस्ट वैक्स कास्टिंग (मोम-ढलाई विधि) तकनीक से बनाई जाती है। ढोकरा कला मुख्य रूप से घड़वा जाति के कारीगरों द्वारा बनाई जाती है, जो पीढ़ियों से इस कला में निपुण हैं।

ढोकरा कला की प्रमुख विशेषताएँ:

5. मोम-ढलाई तकनीक: इस तकनीक में सबसे पहले मोम से मूर्ति या आकृति बनाई जाती है, जिसे मिट्टी से ढका जाता है। जब इसे भट्टी में गर्म किया जाता है, तो मोम पिघल जाता है और धातु (पीतल या कांस्य) को उसमें डाला जाता है। ठंडा होने पर मिट्टी को हटाया जाता है, जिससे सुंदर धातु आकृति प्राप्त होती है।

6. डिजाइन: ढोकरा शिल्प में महीन और जटिल डिजाइनों का प्रयोग किया जाता है। इनमें गहने, मूर्तियाँ, पौराणिक चरित्र, पशु-पक्षी, दीपक, हुक्का, घंटियाँ और धूपदानी शामिल हैं।

7. उपयोग: धार्मिक कार्यों, सजावट, और पूजा-अर्चना में इनका प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है।

8. प्रसिद्ध स्थान:

1. बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर और जगदलपुर में ढोकरा कला के उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं।

2. यहाँ के कारीगर अपनी कला को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेलों में प्रदर्शित करते हैं।

प्रमुख ढोकरा कलाकृतियाँ:

9. बस्तर का घोड़ा दू बस्तर का प्रतीक माना जाता है।

10. कच्छप (कछुआ) मूर्ति दृ सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक।
11. शिवलिंग और देवी-देवताओं की प्रतिमाएँ दृ धार्मिक महत्व रखती हैं।
12. जनजातीय आदिवासी आकृतियाँ दृ छत्तीसगढ़ के आदिवासी जीवन को दर्शाती हैं।

### 2. लकड़ी की नक्काशी (वक्क बतअपदह)

छत्तीसगढ़ की लकड़ी नक्काशी कला अत्यंत सुंदर और बारीक होती है। यहाँ की आदिवासी जनजातियाँ सागौन, शीशम, साल और आम की लकड़ी पर उत्कृष्ट नक्काशी का कार्य करती हैं।

लकड़ी की नक्काशी की प्रमुख विशेषताएँ:

13. बारीक और जटिल नक्काशी: आदिवासी कारीगर अपने हाथों से लकड़ी पर महीन नक्काशी कर सुंदर आकृतियाँ बनाते हैं।
14. प्राकृतिक और धार्मिक विषय-वस्तु: वन्यजीवन, देवी-देवताओं, पौराणिक पात्रों और आदिवासी संस्कृति को नक्काशी में उकेरा जाता है।
15. उपयोग: मंदिरों, घरों की सजावट, फर्नीचर, खिलौनों और दरवाजों में किया जाता है।

प्रमुख लकड़ी शिल्प वस्तुएँ:

16. मंदिरों और घरों के लिए नक्काशीदार दरवाजे और खिड़कियाँ
17. जनजातीय मुखौटे और मूर्तियाँ
18. लकड़ी के जानवर (हाथी, शेर, हिरण, पक्षी, आदि)
19. लकड़ी के ढोल और संगीत वाद्ययंत्र (मांदर, ढोलक, बांसुरी)

प्रसिद्ध स्थान:

20. बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, दंतेवाड़ा और नारायणपुर।

### 3. बांस शिल्प (ठंडइवव बंजि)

छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र बांस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ के आदिवासी बांस से सुंदर हस्तशिल्प वस्तुएँ बनाते हैं।

बांस शिल्प की प्रमुख विशेषताएँ:

21. स्थायित्व और हल्कापन: बांस के उत्पाद टिकाऊ, हल्के और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं।
22. हस्तनिर्मित उत्पाद: प्रत्येक वस्तु को हाथों से काटकर, छीलकर और डिजाइन करके तैयार किया जाता है।
23. कला और उपयोगिता का संगम: बांस शिल्प में उपयोगी वस्तुएँ (टोकरी, चटाई) और सजावटी वस्तुएँ (लैंप, झूले) दोनों मिलती हैं।

प्रमुख बांस शिल्प वस्तुएँ:

## Notes

### छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति

24. बांस की टोकरियाँ और चटाई दृ कृषि और घरेलू उपयोग में आती हैं।
25. मछली पकड़ने के उपकरण दृ पारंपरिक जाल और अन्य उपकरण बनाए जाते हैं।
26. बांसुरी और संगीत वाद्ययंत्र दृ संगीत प्रेमियों के लिए लोकप्रिय हैं।
27. झूले और सजावटी सामान दृ पर्यावरण के अनुकूल फर्नीचर और सजावटी वस्तुएँ।

प्रसिद्ध स्थान:

28. बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, गरियाबंद और धमतरी।

4. टेराकोटा (मृण कला दृ जमततंबवजजं ।तज)

छत्तीसगढ़ की टेराकोटा कला मिट्टी से बनी हस्तशिल्प वस्तुओं की प्राचीन परंपरा का हिस्सा है। यह कला मुख्य रूप से धार्मिक और सजावटी उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती है।

टेराकोटा कला की प्रमुख विशेषताएँ:

29. लाल मिट्टी से निर्मित: यह कलाकृतियाँ स्थानीय लाल मिट्टी से बनाई जाती हैं और भट्टी में पकाई जाती हैं।
30. परंपरागत डिजाइन: इनमें जनजातीय संस्कृति, देवी-देवताओं की मूर्तियाँ, पशु-पक्षियों की आकृतियाँ और परंपरागत आभूषण डिजाइन शामिल होते हैं।
31. सजावटी और उपयोगी वस्तुएँ: इनका उपयोग घरों, मंदिरों और बगीचों की सजावट में किया जाता है।

प्रमुख टेराकोटा वस्तुएँ:

देवी-देवताओं की मूर्तियाँ (माँ दुर्गा, गणेश, शिवलिंग)

घोड़े, हाथी और अन्य पशु आकृतियाँ

मिट्टी के दीये, गमले और खिलौने

पारंपरिक मुखौटे और मूर्तियाँ

प्रसिद्ध स्थान:

बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, राजनांदगांव और धमतरी।

छत्तीसगढ़ का जनजातीय हस्तशिल्प न केवल इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, बल्कि स्थानीय कारीगरों के लिए आजीविका का महत्वपूर्ण साधन भी है। धातु शिल्प, लकड़ी नक्काशी, बांस शिल्प और टेराकोटा हस्तशिल्प यहाँ की प्रमुख कलाएँ हैं, जो अपने अनूठे डिजाइन और पारंपरिक तकनीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। सरकार और स्थानीय संस्थाएँ इन कलाओं को संरक्षित करने और इन्हें वैश्विक स्तर पर पहुँचाने के लिए प्रयासरत हैं।

## छत्तीसगढ़ की लोककला और चित्रकला

छत्तीसगढ़ की लोककला और चित्रकला यहाँ के आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक पहचान और परंपरा को दर्शाती है। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार की पारंपरिक चित्रकलाएँ प्रचलित हैं, जिनमें पिथौरा कला, गोदना चित्रकला, और भित्ति चित्र विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। ये कलाएँ धार्मिक आस्थाओं, लोककथाओं, दैनिक जीवन और प्राकृतिक तत्वों से प्रेरित होती हैं।

### 1. पिथौरा कला (चपजीवतं चंदजपदह)

#### परिचय

पिथौरा चित्रकला छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भील, बैगा और गोंड जनजातियों की पारंपरिक कला है। यह चित्रकला मुख्य रूप से घर की दीवारों पर बनाई जाती है और इसे शुभ व पवित्र माना जाता है।

#### मुख्य विशेषताएँ:

धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व: पिथौरा चित्रकला आमतौर पर भगवान पिथौरा देव और अन्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बनाई जाती है।

रंगों का उपयोग: प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, जो फूलों, पत्तियों, मिट्टी और कोयले से बनाए जाते हैं।

#### डिजाइन और आकृतियाँ:

व प्रमुख आकृतियों में घोड़े, सूरज, चाँद, पेड़, मानव और पशु-पक्षी होते हैं।

व चित्रों में जनजातीय जीवन, कृषि, शिकार, उत्सव और परंपराएँ दिखाई जाती हैं।

त्योहारों और अनुष्ठानों से जुड़ाव: यह कला विशेष रूप से शादी, जन्म, फसल कटाई और अन्य शुभ अवसरों पर बनाई जाती है।

#### प्रसिद्ध स्थान:

बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा और कांकेर।

### 2. गोदना चित्रकला (ळवकदं चंदजपदह)

#### परिचय

गोदना चित्रकला का संबंध छत्तीसगढ़ की पारंपरिक गोदना (टैटू) प्रथा से है। यह मुख्य रूप से गोंड और बैगा जनजातियों द्वारा प्रचलित है, जहाँ पहले शरीर पर गोदना गुदवाने की परंपरा थी। धीरे-धीरे इसे कपड़ों और कागज पर चित्रकला के रूप में विकसित किया गया।

#### मुख्य विशेषताएँ:

प्रारंभिक रूप: यह पहले शरीर पर स्थायी टैटू के रूप में बनाई जाती थी, लेकिन अब इसे कपड़ों, दीवारों और कागज पर भी चित्रित किया जाता है।

#### रंगों और डिजाइनों का उपयोग:

व यह कला काले और गहरे हरे रंगों से बनाई जाती है।

### छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति

व आकृतियाँ ज्यामितीय होती हैं और इनमें बिंदी, सीधी रेखाएँ, गोल आकृतियाँ और फूल-पत्तियाँ प्रमुख होती हैं।

प्रेरणा स्रोत: प्रकृति, पशु-पक्षी, देवी-देवता और जनजातीय प्रतीक।

महत्व: पहले महिलाओं और पुरुषों के शरीर पर इसे सौंदर्य, सुरक्षा और सामाजिक पहचान के रूप में गुदवाया जाता था।

प्रसिद्ध स्थान:

32. सरगुजा, रायगढ़, कोरबा और बस्तर।

3. भित्ति चित्र (सस चंदजपदह)

परिचय

छत्तीसगढ़ के गाँवों में घरों और मंदिरों की दीवारों पर चित्रांकन की प्राचीन परंपरा है, जिसे भित्ति चित्र कहा जाता है। यह कला विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है और इसे शुभ माना जाता है।

मुख्य विशेषताएँ:

33. मिट्टी और प्राकृतिक रंगों का उपयोग: भित्ति चित्रों में सफेद, लाल, पीले और काले रंगों का उपयोग होता है, जो प्राकृतिक रूप से बनाए जाते हैं।

34. प्रेरणाएँ:

1. लोककथाएँ, धार्मिक कहानियाँ, देवी-देवताओं की आकृतियाँ, प्रकृति और सामाजिक जीवन।

2. चित्रों में भगवान शिव, विष्णु, गणेश, देवी दुर्गा, पशु-पक्षी और कृषि संबंधी दृश्य होते हैं।

35. महत्वपूर्ण अवसर: दीपावली, नवाखानी, विवाह और फसल कटाई के समय घरों की दीवारों पर विशेष चित्र बनाए जाते हैं।

36. बनाने की विधि:

1. पहले दीवार को गोबर और मिट्टी से लीपा जाता है।

2. फिर प्राकृतिक रंगों से चित्र बनाए जाते हैं।

प्रसिद्ध स्थान:

37. बस्तर, सरगुजा, जशपुर, धमतरी और कोरिया।

छत्तीसगढ़ की लोककला और चित्रकला उसकी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। पिथौरा चित्रकला, गोदना चित्रकला और भित्ति चित्र जनजातीय समुदायों के जीवन और विश्वासों को व्यक्त करते हैं। ये चित्रकलाएँ न केवल कला का प्रतीक हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा भी हैं। इन कलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार और स्थानीय संस्थाएँ कई प्रयास कर रही हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इनकी सुंदरता और महत्व को समझ सकें।

छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा

छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा यहाँ की जनजातीय और ग्रामीण संस्कृति का प्रतीक है। इस राज्य की वेशभूषा मुख्य रूप से जनजातीय समाज, भौगोलिक परिस्थितियों, जलवायु और पारंपरिक रीति-रिवाजों से प्रभावित है। यहाँ के लोग सरल, हल्के और आरामदायक वस्त्र पहनते हैं, जो उनके दैनिक जीवन और सामाजिक परंपराओं के अनुकूल होते हैं।

#### 1. पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा

(प) धोती और अंगोछा

38. पुरुषों की पारंपरिक पोशाक में धोती प्रमुख परिधान है, जिसे कमर के चारों ओर लपेटा जाता है।

39. इसे आमतौर पर सूती कपड़े से बनाया जाता है, जिससे यह गर्मी में भी आरामदायक रहता है।

40. सिर पर गमछा या अंगोछा रखा जाता है, जिसे कई स्थानों पर पगड़ी की तरह भी बांधा जाता है।

(पप) कुरता और बंडी

41. कई स्थानों पर पुरुष कुरता भी पहनते हैं, खासकर त्योहारों और विशेष अवसरों पर।

42. कुछ जनजातियों में पुरुष बंडी (छोटा कोट) भी पहनते हैं, जो अधिक पारंपरिक रूप प्रदान करता है।

(पपप) पगड़ी और फेंटा

37. बुजुर्ग और सम्मानित पुरुष विशेष अवसरों पर पगड़ी या फेंटा पहनते हैं।

38. यह आमतौर पर सफेद, लाल या केसरिया रंग का होता है।

(पअ) गोंड और मुरिया जनजातियों की वेशभूषा

39. ये जनजातियाँ बहुत ही हल्के कपड़े पहनती हैं, जिसमें केवल लंगोट या धोती प्रमुख होती है।

40. सिर पर मोरपंख और कौड़ियों से बनी पट्टी पहनी जाती है।

41. विशेष अवसरों पर पुरुष माला और हड्डियों से बने आभूषण भी पहनते हैं।

#### 2. महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा

(प) लुगड़ा (साड़ी का पारंपरिक रूप)

42. छत्तीसगढ़ की आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं की पारंपरिक पोशाक लुगड़ा होती है।

43. यह कपास या सिल्क के कपड़े से बनी 5-6 मीटर लंबी साड़ी होती है, जिसे साधारण तरीके से लपेटा जाता है।

44. महिलाएँ इसे बिना ब्लाउज के भी पहनती हैं, लेकिन आधुनिक समय में ब्लाउज का प्रचलन बढ़ गया है।

(पप) कांथा और पोताम

45. कांथा: यह एक विशेष प्रकार की पारंपरिक साड़ी होती है, जिसे गोदना (टैटू) से सजाया जाता है।

46. पोताम: यह साड़ी को संभालने के लिए कमर में बांधी जाने वाली कपड़े की पट्टी होती है।

(पपप) बस्तर की जनजातीय महिलाओं की वेशभूषा

47. बस्तर की महिलाएँ छोटी साड़ी पहनती हैं, जिसे “कमर लुगड़ा” कहा जाता है।

48. यह साड़ी घुटनों तक होती है और इसे बिना पेटीकोट या ब्लाउज के पहना जाता है।

49. इनके कपड़ों पर गोदना (टैटू) डिजाइन भी देखा जाता है।

(पअ) आभूषण और साज-सज्जा

43. छत्तीसगढ़ की महिलाएँ भारी आभूषण पहनती हैं, जो चांदी, पीतल, कौड़ी, हड्डी और मनकों से बने होते हैं।

44. कुछ प्रमुख आभूषण:

1. गले के लिए: हसली, कंठी, रुपिया माला।
2. कानों के लिए: लुरकी, मुंदरी।
3. हाथों के लिए: कड़ा, बहंटा, चूड़ी।
4. पैरों के लिए: तोरा, पैजना।

45. बस्तर की महिलाएँ रामनामी गोदना गुदवाने की परंपरा निभाती हैं, जिसमें वे शरीर के विभिन्न हिस्सों पर “राम-राम” लिखवाती हैं।

3. विशेष अवसरों पर वेशभूषा

46. त्योहार और विवाह परिधान:

1. पुरुष सफेद धोती, कुर्ता और पगड़ी पहनते हैं।
2. महिलाएँ गहरे रंग की साड़ी, चांदी के आभूषण और गोदना डिजाइन वाली साड़ियाँ पहनती हैं।

47. नृत्य और उत्सव परिधान:

1. मुरिया, बस्तर और माड़िया जनजातियों के नृत्य कार्यक्रमों में महिलाएँ मोर पंख और कौड़ी से सजे परिधान पहनती हैं।
2. पुरुष सिर पर सजी हुई पगड़ी और गले में मनकों की माला पहनते हैं।

4. आधुनिक बदलाव

48. समय के साथ छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा में बदलाव आया है।
49. शहरों में महिलाएँ अब सामान्य साड़ी, सलवार-कुर्ता या वेस्टर्न कपड़े पहनने लगी हैं।
50. पुरुषों ने भी शर्ट-पैंट और जींस-टीशर्ट पहनना शुरू कर दिया है।
51. हालाँकि, गाँवों और जनजातीय क्षेत्रों में अभी भी पारंपरिक परिधान प्रचलित हैं।

छत्तीसगढ़ की पारंपरिक वेशभूषा यहाँ की संस्कृति और जीवनशैली का प्रतीक है। आदिवासी समुदाय अब भी अपनी पारंपरिक वेशभूषा को संजोकर रखते हैं, जो उनकी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। हालाँकि, आधुनिकता के प्रभाव के कारण अब वेशभूषा में बदलाव देखने को मिल रहा है, फिर भी विशेष अवसरों और त्योहारों पर लोग पारंपरिक कपड़ों को प्राथमिकता देते हैं।

छत्तीसगढ़ के लोकगीत, कहानियाँ और मौखिक परंपराएँ

छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति अत्यंत समृद्ध है, जिसमें लोकगीत, कहानियाँ और मौखिक परंपराएँ महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। यहाँ के लोकगीत और कहानियाँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक रूप से संप्रेषित होती आई हैं और इनमें जनजातीय जीवन, रीति-रिवाज, त्योहार, सामाजिक मूल्य और आध्यात्मिकता का प्रतिबिंब देखने को मिलता है।

### 1. लोकगीत

छत्तीसगढ़ के लोकगीत मुख्य रूप से ग्रामीण एवं जनजातीय समाज की संस्कृति से जुड़े होते हैं। इनमें प्रकृति, प्रेम, वीरता, भक्ति और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन किया जाता है।

(प) सोहर गीत (जन्मोत्सव गीत)

52. यह गीत शिशु जन्म के अवसर पर गाया जाता है।
53. इसमें परिवार की खुशी, ईश्वर का आभार और नवजात के उज्ज्वल भविष्य की कामना की जाती है।

(पप) विवाह गीत (बिदा, सुआ, गौरी, फाग)

54. विवाह से जुड़े विभिन्न अवसरों पर गाए जाने वाले गीत हैं।
55. बिदा गीत: कन्या विदाई के समय गाया जाता है।
56. सुआ गीत: महिलाएँ समूह में नृत्य करते हुए गाती हैं।
57. गौरी गीत: भगवान शिव और पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गाया जाता है।
58. फाग गीत: होली के अवसर पर गाया जाने वाला प्रेम और रंगों का गीत।

(पपप) करमा गीत

छत्तीसगढ़ की जनजातिय  
संस्कृति

यह आदिवासियों का प्रमुख गीत है, जो करमा पर्व के दौरान गाया जाता है।

इसमें प्रकृति की आराधना और सामूहिक नृत्य शामिल होता है।

(पअ) ददरिया

यह प्रेम और हास-परिहास का गीत है, जिसमें युवक-युवतियाँ आपसी संवाद के रूप में गाते हैं।

इसका ताल और धुन मनोरंजन का मुख्य स्रोत होता है।

(अ) जसगीत

भगवान राम और कृष्ण की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति गीत।

विशेष रूप से रामनवमी और जन्माष्टमी पर गाया जाता है।

(अप) पंथी गीत

यह सतनामी समाज के भक्ति गीत हैं, जो गुरु घासीदास के विचारों को व्यक्त करते हैं।

इसमें आध्यात्मिकता और सामाजिक समानता का संदेश दिया जाता है।

2. कहानियाँ और लोककथाएँ

छत्तीसगढ़ में कहानियों की मौखिक परंपरा अत्यंत समृद्ध है। इन कहानियों में नैतिक शिक्षा, वीरता, भक्ति और समाज में व्याप्त बुराइयों पर कटाक्ष किया जाता है।

(प) टोनही की कहानियाँ

छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में टोनही (डायन) से जुड़ी कहानियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं।

इनमें अंधविश्वास और समाज में व्याप्त रूढ़ियों का चित्रण होता है।

(पप) गणेशराम और नकलाल की कहानियाँ

59. यह हास्यप्रधान लोककथाएँ हैं, जो ग्रामीण बुद्धिमत्ता और चतुराई को दर्शाती हैं।

60. इनमें सामाजिक व्यवस्था पर कटाक्ष किया जाता है।

(पपप) राजा विक्रमाजीत की कहानियाँ

61. इन कहानियों में न्यायप्रिय राजा विक्रमाजीत की दयालुता और न्यायसंगत निर्णयों को दर्शाया गया है।

62. यह कहानियाँ बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए सुनाई जाती हैं।

(पअ) वीर गाथाएँ

63. छत्तीसगढ़ के वीर योद्धाओं की कहानियाँ, जैसे वीर नारायण सिंह की गाथाएँ, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में प्रमुख रहे।

64. इनमें देशभक्ति और बलिदान की भावना व्यक्त की जाती है।

(अ) पंचतंत्र और जातक कथाएँ

65. यह कहानियाँ जनजातीय समाज में नैतिक शिक्षा देने के लिए सुनाई जाती हैं।

66. इनमें पशु-पक्षियों के माध्यम से जीवन के महत्वपूर्ण संदेश दिए जाते हैं।

### 3. मौखिक परंपराएँ

छत्तीसगढ़ की मौखिक परंपराएँ यहाँ की संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। इनमें सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है।

(प) रामनामी परंपरा

67. सतनामी समाज में “राम-राम” नाम को पूरे शरीर पर गोदवाने की परंपरा है।

68. यह परंपरा भक्ति और आध्यात्मिकता को दर्शाती है।

(पप) देवगुड़ी और घोटुल परंपरा

49. देवगुड़ी: यह आदिवासियों का पवित्र स्थल होता है, जहाँ परंपरागत पूजा-अर्चना होती है।

50. घोटुल: मुरिया जनजाति की विशिष्ट सामाजिक संस्था, जहाँ युवक-युवतियाँ सामूहिक जीवन जीने के नियम सीखते हैं।

(पपप) कर्मा और सरहुल परंपरा

51. यह आदिवासियों के प्रमुख त्योहारों से जुड़ी मौखिक परंपराएँ हैं।

52. इन त्योहारों के दौरान पारंपरिक गीत और नृत्य किए जाते हैं।

(पअ) कथा-वार्ता परंपरा

53. गाँवों में बुजुर्ग लोग रात के समय बच्चों और युवाओं को पुरानी कहानियाँ और धार्मिक गाथाएँ सुनाते हैं।

54. इनमें महाभारत, रामायण और लोकगाथाएँ प्रमुख होती हैं।

(अ) लोकनाट्य परंपरा (नाचा)

55. नाचा छत्तीसगढ़ का एक लोकप्रिय लोकनाट्य रूप है, जिसमें हास्य और सामाजिक व्यंग्य प्रस्तुत किए जाते हैं।

56. इसमें पारंपरिक वेशभूषा, नृत्य और संवाद होते हैं।

छत्तीसगढ़ के लोकगीत, कहानियाँ और मौखिक परंपराएँ इस क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर को संजोए हुए हैं। ये परंपराएँ केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि समाज को दिशा देने और उसकी पहचान को बनाए रखने का भी कार्य करती हैं। आज भी

## छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति

ग्रामीण और जनजातीय समुदाय इन्हें संजोकर रखे हुए हैं, जिससे छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत जीवंत बनी हुई है।

आधुनिक समय में जनजातीय संस्कृति पर पड़ता प्रभाव

छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति हजारों वर्षों से अपनी मौलिक परंपराओं और रीति-रिवाजों के साथ संरक्षित रही है। हालांकि, आधुनिक समय में शहरीकरण, वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, शिक्षा और सरकारी नीतियों के कारण जनजातीय जीवन और संस्कृति पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में देखा जा सकता है।

1. शिक्षा और जागरूकता का प्रभाव

(प) साक्षरता दर में वृद्धि

57. सरकारी प्रयासों और गैर-सरकारी संगठनों (छळवे) की मदद से जनजातीय समुदायों में शिक्षा का प्रसार हुआ है।

58. बच्चे पारंपरिक गुरुकुल या मौखिक शिक्षा की जगह आधुनिक स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं।

(पप) पारंपरिक ज्ञान और शिक्षा में कमी

69. शिक्षा प्रणाली में आधुनिक विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाता है, जिससे जनजातीय लोककथाएँ, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ और हस्तकला कौशल लुप्त हो रहे हैं।

70. नई पीढ़ी अपने पारंपरिक रीति-रिवाजों और लोककला से दूर होती जा रही है।

2. वैश्वीकरण और आर्थिक विकास का प्रभाव

(प) पारंपरिक आजीविका का परिवर्तन

71. पहले जनजातियाँ कृषि, वन उपज संग्रहण और शिल्पकला पर निर्भर थीं, लेकिन अब वे व्यापार, नौकरी और आधुनिक व्यवसायों की ओर बढ़ रही हैं।

72. कई जनजातीय कारीगर अब बाजार की मांग के अनुसार अपने शिल्प और वस्त्रों को आधुनिक रूप दे रहे हैं।

(पप) वन संपदा और पारंपरिक संसाधनों की कमी

73. उद्योगों और खनन परियोजनाओं के कारण जंगलों की कटाई हो रही है, जिससे वन-आधारित जीवनयापन प्रभावित हो रहा है।

74. महुआ, तेंदू पत्ता, साल बीज, और अन्य वन उत्पादों पर निर्भरता घट रही है।

(पपप) बाजार-आधारित अर्थव्यवस्था का प्रभाव

75. अब जनजातीय लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए विभिन्न व्यवसाय अपना रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

76. हालांकि, कुछ मामलों में वे शोषण का शिकार भी हो रहे हैं और अपनी पारंपरिक अर्थव्यवस्था खोते जा रहे हैं।

### 3. तकनीकी विकास और संचार के प्रभाव

(प) मोबाइल और इंटरनेट का प्रभाव

77. इंटरनेट और मोबाइल फोन की उपलब्धता के कारण जनजातीय युवा बाहरी दुनिया से जुड़ रहे हैं।

78. सोशल मीडिया के माध्यम से वे अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन साथ ही आधुनिक जीवनशैली की ओर आकर्षित भी हो रहे हैं।

(पप) रेडियो, टेलीविजन और सिनेमा का प्रभाव

रेडियो और टेलीविजन ने जनजातीय लोगों को मुख्यधारा की दुनिया से जोड़ा है।

पारंपरिक नृत्य, गीत, और रीति-रिवाजों की जगह बॉलीवुड और पॉप संस्कृति ले रही है।

### 4. पारंपरिक रीति-रिवाजों और धार्मिक परंपराओं पर प्रभाव

(प) पारंपरिक त्योहारों और नृत्यों का ह्रास

पहले जनजातीय समाज में करमा, सरहुल, हरेली, आदि त्योहारों को पारंपरिक रूप से मनाया जाता था, लेकिन अब कई लोग शहरों में काम करने के कारण इन्हें पूरी तरह से नहीं मना पाते।

लोकनृत्य जैसे सुआ नृत्य, करमा नृत्य, और गेड़ी नृत्य अब धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं।

(पप) धार्मिक मान्यताओं में बदलाव

ईसाई धर्म और हिंदू धर्म के प्रभाव के कारण पारंपरिक पूजा-पद्धतियाँ बदल रही हैं।

कुछ जनजातीय समुदाय अपने मूल देवी-देवताओं की पूजा की जगह आधुनिक धार्मिक संस्थाओं से जुड़ रहे हैं।

### 5. भाषाई और सांस्कृतिक परिवर्तन

(प) मातृभाषाओं का ह्रास

गोंडी, हल्बी, कुडुख, भतरी जैसी जनजातीय भाषाएँ धीरे-धीरे विलुप्त हो रही हैं, क्योंकि नई पीढ़ी हिंदी या अंग्रेजी को अधिक प्राथमिकता दे रही है।

सरकारी शिक्षा व्यवस्था में स्थानीय भाषाओं को कम महत्व दिया जाता है।

(पप) पारंपरिक परिधान और गहनों में बदलाव

पहले जनजातीय पुरुष धोती, लंगोटा और महिलाएँ लुगड़ा पहनती थीं, लेकिन अब वे शहरी परिधानों की ओर बढ़ रहे हैं।

पारंपरिक चूड़ी, बहुंटा, कड़ा, ऐंठी, और मुंदरी जैसे गहनों की जगह अब फैशनेबल आभूषणों का उपयोग किया जा रहा है।

### 6. शहरीकरण और प्रवास का प्रभाव

(प) गाँवों से शहरों की ओर प्रवास

79. रोजगार की तलाश में जनजातीय युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिससे गाँवों में पारंपरिक जीवनशैली प्रभावित हो रही है।

80. इसके कारण कृषि और पारंपरिक शिल्प कार्यों में कमी आ रही है।

(पप) सामुदायिक जीवनशैली में परिवर्तन

81. पहले जनजातीय समुदाय सामूहिक रूप से कार्य करते थे, लेकिन अब व्यक्तिगत जीवनशैली को अधिक महत्व दिया जा रहा है।

82. पारंपरिक घोटुल और देवगुड़ी जैसी संस्थाएँ धीरे-धीरे समाप्त हो रही हैं।

### 7. सरकारी योजनाओं और नीतियों का प्रभाव

(प) जनजातीय संस्कृति के संरक्षण हेतु प्रयास

83. सरकार द्वारा “एकलव्य मॉडल स्कूल”, वन उपज आधारित उद्योगों, और हस्तशिल्प प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से जनजातीय लोगों की मदद की जा रही है।

84. पर्यटन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए जनजातीय कला को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(पप) आधुनिकीकरण बनाम संरक्षण

85. सरकार और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संरक्षण के प्रयासों के बावजूद कई जनजातीय परंपराएँ विलुप्त हो रही हैं।

86. सरकारी योजनाओं का लाभ हर जनजातीय व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाता, जिससे कई समुदाय अब भी संघर्षरत हैं।

आधुनिक समय में जनजातीय संस्कृति पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं। शिक्षा, प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास ने जहाँ उनके जीवन स्तर में सुधार किया है, वहीं पारंपरिक रीति-रिवाज, भाषा और जीवनशैली में भी बड़े बदलाव आए हैं। आवश्यक है कि विकास और आधुनिकीकरण के साथ-साथ जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी जड़ों से जुड़ी रहें।

# **MATS UNIVERSITY**

**MATS CENTER FOR OPEN & DISTANCE EDUCATION**

**UNIVERSITY CAMPUS : Aarang Kharora Highway, Aarang, Raipur, CG, 493 441**

**RAIPUR CAMPUS: MATS Tower, Pandri, Raipur, CG, 492 002**

**T : 0771 4078994, 95, 96, 98 M : 9109951184, 9755199381 Toll Free : 1800 123 819999**

**eMail : [admissions@matsuniversity.ac.in](mailto:admissions@matsuniversity.ac.in) Website : [www.matsodl.com](http://www.matsodl.com)**

